लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

18-8-92

[खंड 15 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 45, मंगलवार, 16 मई, 1972/26 वैशाख, 1894 (शक)

No. 45, Tuesday, May 16, 1972/Vaisakha 26, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
विलिंग्डन अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा संसद सदस्य के साथ कथित दुर्व्यवहार	Alleged Manhandling of Member by Willingdon Hospital Staff ..	1—4

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

842. जलढाका पन बिजली परियोजना (उत्तरी बंगाल) का निर्माण	Construction of Jaldhakha Hydro-Electric Project (North Bengal) ..	4—7
843. ट्रांसमीशन लाइनों की कमी के कारण फालतू बिजली का उपयोग न होना	Non Utilisation of Surplus Power due to lack of Transmission Lines ..	7—8
844. भारत के व्यापार हितों के बारे में ब्रिटेन के साथ बातचीत	Discussion with U.K. Re : India's Trade Interests ..	9—11
845. भूतापीय क्षेत्रों की भू विज्ञान तथा जल विज्ञान सम्बन्धी दशा का अध्ययन	Study made in Regard to Geological and Hydrological Condition of Geothermal Areas ..	11—12
847. पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियन्त्रण के उपाय	Flood Control Measures for West Bengal ..	12—15
848. भटिंडा स्थित ग्रेड दो के स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Health Unit Grade II at at Bhatinda ..	15—16
850. श्रीलंका को रेल वैगनों के निर्यात के लिये करार	Agreement for Export of Railway Wagons to Ceylon ..	16—17
851. दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर कुलियों द्वारा अप्रैल, 1972 में हड़ताल	Strike by Porters at Delhi and New Delhi Railway Stations in April, 1972 ..	17—19

*किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
852. रबड़ की चीजों का उत्पादन	Production of Rubber Products ..	19—20
853. बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की ग्राम्य विद्युतीकरण के लिये विशेष वित्तीय सहायता	Special financial assistance to Bihar, Orissa and West Bengal for development of rural electrification ..	20—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
841. विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा संचालित व्यापार संवर्धन, प्रचार और अनुसन्धान केन्द्र	Centres for Trade Promotion, Publicity and Research run by Foreign Trade Ministry	22—23
846. नारियल-जटा और काजू उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Coir and Cashew Industries	23
849. मशीनी औजारों का निर्यात	Export of Machine Tools	23—24
854. भारत के साथ यूरोपीय आर्थिक समुदाय के करार में फ्रांस की सरकार का सहयोग	Freneh Government's Cooperation in EEC Agreement with India	24
855. आर्थिक क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग के बारे में इकाफे (एशिया तथा सूदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग) सम्मेलन में लिये गये यिर्णय	Decision taken at ECAFE re. regional co-operation in economic field ..	24—25
856. त्रिपुरा में सिंचाई योजना	Irrigation Scheme in Tripura	25
857. खड़केई सिंचाई परियोजना प्रतिवेदन	Khadkei Irrigation Project Report	25
858. भारतीय हथकरघा वस्त्रों के ब्रिटेन को निर्यात के शुल्क मुक्त कोटे में वृद्धि	Increase in duty free quota for Indian Handloom exports to U.K. ..	26
859. कोव्वूर और कोठागुडड्म (दक्षिण मध्य रेलवे) के बीच नई रेलवे लाइन	New Railway Line between Kovvur and Kothagudem (South Central) ..	26
860. भारत और फ्रांस के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and France ..	26—27

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

6203. पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण	Survey of Backward Districts	27
6204. अलीगढ़ के गुड्स शेड में माल को चढ़ाने तथा उतारने का ठेका लेने वाली सहकारी समिति द्वारा उतारा तथा चढ़ाया गया माल	Traffic handled by the Cooperative Society holding Handling Contract at Aligarh Goods Shed	27—28
6205. आंध्र प्रदेश के कड़प्पा, करनूल और अनन्तपुर जिलों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजनाएं	Schemes approved by REC for Cuddapah, Kurnool and Anantpur Districts of Andhra Pradesh ..	28—29
6206. श्री सैलम जलाशय से कृष्णा नदी के जल के बहाव को मोड़ना	Division of Krishna Waters from Sri Sailam Reservoir ..	29
6207. दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची	Seniority List of Employees of Headquarters Office (South Central Railway) ..	30
6208. गुन्टूर मछरेला लाइन (दक्षिण मध्य रेलवे) को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Guntur-Macherela line into Broad Gauge Line South Central Railway	30
6209. आंध्र प्रदेश में श्रीसैलम पन बिजली परियोजना के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि	Amount spent on construction of Sri Sailam Hydro Electric Project A. P. ..	30—31
6210. समस्तीपुर जाने वाली 20 डाउन हावड़ा गाड़ी के पर्यटक डिब्बे का लूटा जाना	Looting of Tourist Compartment of Down Samastipur Bound Howrah Train ..	31
6211. रेलवे में कर्मचारी परिषदों का पुन: बनाया जाना	Revival of Staff Councils on Railway ..	31
6212. बिहार में ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वे	Rural Engineering Survey in Bihar ..	32
6213. बिहार में बिजली की मांग और सप्लाई	Demand and Supply of Power in Bihar ..	32
6214. बिहार में रेलवे अस्पताल	Railway Hospitals in Bihar ..	32—33
6215. सिलिका रेत के निर्यात का प्रस्ताव	Proposal to Export Silica Sand	33—34
6216. विभिन्न किस्म के कोयले के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Coal Prices of different Grades ..	34—35

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6217. संयुक्त भारत श्रीलंका निर्यात कोटे के अन्तर्गत चाय का विपणन	Marketing of Tea under Joint Indo-Ceylon Export Quota ..	35
6218. जिला कुरनूल (आंध्र प्रदेश) के द्रोणाचलम जंक्शन और अडोनी के बीच नई रेल लाइन	New Railway Line between Dronachalam Junction and Adoni, District Kurnool (Andhra Pradesh) ..	36
6219. उत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर सामान उतारने चढ़ाने का कार्य करने वाले नैमित्तिक मजदूरों को भुगतान	Payment to Casual Labourers who performed Handling Work at various Stations on Northern Railway ..	36
6220. फजलपुर सहित जूही पर सामान उतारने चढ़ाने के ठेके के लिए टेण्डर	Tenders for Goods Handling Contract at Juhi including Fazalpur ..	37
6221. बिहार में पुनपुन नदी पर बांध बनाना	Construction of Dam on Poon Poon River in Bihar ..	37—38
6222. दाहोद, पश्चिम रेलवे के नैमित्तिक मजदूरों को अस्थायी कर्मचारियों का दर्जा देना	Temporary Status to Casual Labourers of Dahod (Western Railway) ..	38
6223. नागपुर डिवीजन के इतवारी ग्रुप के स्टेशनों पर माल तथा पार्सल चढ़ाने तथा उतारने का कार्य करने वाले ठेकेदार को दिये गये रेलवे क्वार्टर	Railway Quarters provided to Handling Contractor for Goods and Parcels of Itwari Group of Stations of Nagpur Division	38
6224. बंगला देश को तेंदु पत्तों का निर्यात	Export of Tendu Leaves to Bangladesh ..	38—39
6225. राज्य व्यापार निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में खरीदा गया तम्बाकू	Tobacco Purchased by State Trading Corporation in Andhra Pradesh	39
6226. राज्य व्यापार निगम की कुल बिक्री के बारे में इसके अध्यक्ष का वक्तव्य	STC Chairman's Statement Regarding Turnover of STC ..	39
6227. मेल रेलगाड़ियों में विभागीय खान पान व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय	Decision to withdraw Departmental Catering in Mail Trains ..	39—40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6228. अपरिष्कृत पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य	Minimum Support Price for Raw Jute	40
6229. कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार पटसन के सांविधिक मूल्य	Statutory Prices for Jute as Recommended by APC	40
6230. अखिल भारतीय विधि सेवा का बनाया जाना	Creation of All India Legal Service	41
6231. केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जाना	Reports finalised by Central Water and Power Commission	41
6232. पटसन के समर्थन मूल्य में वृद्धि	Increase in Support Price of Jute	42
6233. कडना परियोजना को बहुद्देश्यीय परियोजना में बदलना	Conversion of Kadana Project into a Multi-purpose Project	42
6234. ब्रिटेन और नीदरलैण्ड से स्थानान्तरित की जाने वाली कम्पनियों की परिसम्पत्तियों का मूल्य	Value of assets of Companies proposed to be shifted from U.K. and Netherland ..	42—43
6235. जान कपड़ा मिल, आगरा का बंद होना	Closure of John Textile Mill, Agra	43
6237. थाईलैण्ड में इस्पात परियोजना की स्थापना	Setting up of a Steel Project in Thailand ..	43
6238. यूरोप से सामान का परिवहन	Transportation of Goods from Europe ..	43—44
6239. सरकारी क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों और निगमों को आवंटित की गई आयातित मोटर गाड़ियां	Imported Motor Vehicles allotted to various Companies and Corporations in Public Sector ..	44
6242. बंगला देश को तम्बाकू तथा तम्बाकू के पत्तों का निर्यात	Export of Tobacco and Tobacco Leaves to Bangla desh ..	44
6243. चुनाव विधि में संशोधन करने संबंधी विधेयक	Bill on Amendments to Election Laws ..	44—45
6244. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात किये जाने के लिये मंजूर किया गया हार्डकोक	Hard Coke Sanctioned for Export by MMTC ..	45

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6245. पटसन मूल्यों का अलाभप्रद उतार चढ़ाव	Disadvantageous Movement of Jute Prices ..	46
6246. सक्सेरिया मिल्स लिमिटेड, बम्बई को अधिकार में लेना	Take over of Sakseria Mills Ltd. Bombay	46
6247. रेलवे भ्रष्टाचार का उन्मूलन	Eradication of Corruption on the Railways ..	46—47
6248. चिकित्सा स्टोर (उत्तर रेलवे) को चलाने के लिये स्टोर कीपर के पद का बनाया जाना	Creation of Post of Store Keeper to Man Medical Store (Northern Railway) ..	47
6549. बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में एस एण्ड टी विभाग में प्रशिक्षण तथा अन्य प्रयोजनों के लिये भेजे गये व्यक्तियों के बदले छुट्टी रिजर्व का उपयोग	Leave Reserve Utilized against Persons Sent for Training and other purposes in S & T Department Bikaner Division (Northern Railway) ..	47—48
6250. चलचित्रों का निर्यात	Export of Films	48
6251. गंगा को कावेरी से मिलाये जाने का फरक्का के जल पर प्रभाव	Affect of Ganga Cauvery Link on Farrakka Waters ..	48—49
6252. भटिंडा (उत्तर रेलवे) में कर्मचारी क्वार्टरों की कमी	Shortage of Staff Quarters at Bhatinda (Northern Railway)	49
6253. भटिंडा (उत्तर रेलवे) में स्टाफ कैंटीन	Staff Canteen at Bhatinda (Northern Railway)	49
6254. श्रीलंका को रेल वैगन निर्यात करने के लिये समझौता	Agreement for Export of Railway Coaches to Ceylon ..	50
6255. रेलवे पर अधिकरण के समक्ष विचाराधीन मामले	Pending Cases before Railway Rate Tribunal ..	50
6256. चिली में अंक्टाड III में विकसित देशों से मांगी गयी सुविधायें	Facilities Demanded from Developed countries at UNCTAD III in Chile ..	50—51
6 257. तेन्दु पत्तियों का निर्यात	Export of Tendu Leaves ..	51
6258. रबड़ उत्पादों के लिये प्राकृतिक रबड़ की आवश्यकता	Natural Rubber required for Rubber Products ..	51—52
6259. शालीमार और सन्तरागाची क्षेत्रों (दक्षिण पूर्व रेलवे) में रेलवे के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Railway Employees at Shalimar and Santragachi Areas (South Eastern Railway)	52—53

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
6260. रेलवे गेटमैनों के वेतनमान	Pay Scales of Railway Gatemen	..	53
6261. पश्चिम बंगाल में बिजली का बार बार बन्द होना	Frequent Electricity Failures in West Bengal	..	53—54
6262. निर्यात में प्रगति के लक्ष्य	Export Growth Target	..	54
6263. राजस्थान में नई रेलवे लाइनें	New Railway lines in Rajasthan		54
6264. रेलवे कर्मचारियों को बोनस का लाभ	Benefit of Bonus for Railway Employees	..	54—55
6265. पाली जिले की सिंचाई योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance given by Central Government for Irrigation Schemes in Pali District	..	55
6266. त्रिपुरा में विद्युत की मांग तथा सप्लाई	Demand and supply of Power in Tripura	..	55
6267. उड़ीसा में रामजल सिंचाई परियोजना	Ramjal Irrigation Project in Orissa		56
6268. विदेशी फिल्मों का आयात	Import of Foreign Films	..	56—57
6269. कछार जिला और बंगला देश के बीच व्यापार मार्ग	Trade Channel between Cachar District and Bangladesh	..	57
6270. अजुध्या टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली के कर्मचारियों को बकाया मजूरी का भुगतान	Payment of pending Wages to Workers of Ajudhya Textile Mills, Delhi	..	57—58
6271. उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में चिकित्सीय आधार पर क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters on Medical Grounds in Delhi Division (Northern Railway)	..	59
6272. कृत्रिम रेशे का उत्पादन	Production of Man made Fibre	..	59—60
6273. बरहान रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) के निकट एक मालगाड़ी का लूटा जाना	Looting of a Goods Train near Barhan Railway Station (Northern Railway)	..	60
6274. नागार्जुन सागर परियोजना (आन्ध्र प्रदेश) के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Nagarjunasagar Project (A. P.)	..	60
6275. राजकीय क्षेत्र के अन्तर्गत तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco under State Sector		61

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6276. राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अपनाई गई कसौटी	Criteria adopted by REC for Rural Electrification Schemes in States ..	61
6277. इंजीनियरिंग सामान सम्बन्धी पिछले करारों को पूरा करने के बारे में मिश्र के साथ समझौता	Egypt's Agreement to fulfil Carry over Contracts for Engineering Goods ..	61—62
6278. विद्युतचालित रेलवे इंजनों के फालतू पुर्जों की सप्लाई के लिये ठेका	Contract for supply of Spare Parts for Electric Locomotives ..	62—63
6279. ब्रिटेन की फर्म से बीयरिंग व्हील सेटों की खरीद	Procurement of Bearing Wheel Sets Quotation from U.K. Firm ..	63
6280. श्री डूंगरपुर रेलवे स्टेशन (राजस्थान) से पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे स्टेशनों को नमक का गैर कानूनी लदान	Unauthorised Loadings of Salt at Dungarpur Station (Rajasthan) for Northeast Frontier Railway Stations ..	63—64
6281. कपास का वसूली मूल्य	Procurement price of Cotton ..	64
6282. राज्य व्यापार निगम द्वारा बंगला देश के साथ व्यापार	Handling of Trade with Bangladesh by STC	64
6283. उड़ीसा में मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाएं	Medium Irrigation Schemes in Orissa ..	64—65
6284. विलासपुर में रेलवे कार्यालय का विस्तार	Expansion of Railway Office at Bilaspur ..	65
6285. मध्य रेलवे के मुख्यालय का मध्य प्रदेश के रायपुर जिले को स्थानान्तरण	Shifting of Central Railway Headquarters to Raipur District, Madhya Pradesh ..	65
6286. धमतरी के निकट रायपुर (मध्य प्रदेश) में सतियारा बांध अथवा महानदी बांध का निर्माण	Construction of Satiara or Mahanadi Dam near Dharmatari in Raipur ..	65
6287. रायपुर स्थित रेलवे रिपेयरिंग वर्कशाप में भर्ती	Recruitment in Railway Repairing Workshop, Raipur ..	66
6288. बिहार में मानसी जंकशन को गंगानदी से होने वाले कटाव से बचाव	Saving Mansi Junction in Bihar from erosion in Ganga River	66

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.		
6290. राज्यों में समान सिंचाई सुविधायें	Uniform Irrigation facilities in States	66—67
6291. रतलाम में कताई मिल का खोला जाना	Setting up of Spinning Mill at Ratlam ..	67
6292. राजस्थान में रेलवे अस्पताल	Railway Hospitals in Rajasthan	67
6293. बिहार में गुआ को ततीबा से, मनोहरपुर को सलाय से रेल से जोड़ने सम्बन्धी बिहार सरकार का प्रस्ताव	Bihar Government proposal for Railway links up of Gua with Tatiba Manoharpur with Salai in Bihar ..	68
6294. बिहार में अमझोर और बनजारी के बीच बड़ी लाइन	Broad Gauge Line between Amjore and Banjari in Bihar ..	68
6295. निर्यात के लिये राज सहायता	Subsidy for Exports	68—69
6296. जूट के व्यापार के बारे में भारत बंगला देश का संयुक्त कार्यक्रम	Indo Bangla Desh Joint Programme re: Jute Trade ..	69
6297. अजमेर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर पार्सलों का जमा हो जाना	Parcels piled up at Ajmer Station (Western Railway)	69—70
6298. अजमेर स्टेशन पर ट्रांशिपमेंट वाले पार्सलों की सुरक्षा	Safety of Parcels for Transhipment at Ajmer Station ..	70
6299. पश्चिम रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों का पकड़ा जाना	Detection of Ticketless Travelling on Western Railway ..	70
6300. पूर्वोत्तर रेलवे में चोरी, हत्या और लूट की घटनाएं	Incidents of Thefts, Murders Loot on North Eastern Railway ..	70—71
6301. अर्ध वार्षिक रेलवे समय सारणी का जारी किया जाना	Issue of Six monthly Railway Time Table ..	71
6302. मध्य रेलवे जोन में हुई प्रगति	Progress made on Central Railway Zone ..	71
6303. कृषि, उद्योग और विद्युत उत्पादन के लिये पानी की आवश्यकता का पता लगाने के लिये पंजाब को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Punjab for Assessing Water Requirement for Agriculture, Industry and Power Generation ..	71—72
6304. धरगंधरा के नमक उद्योग और राजकोट के गेहूं के व्यापारियों के लिये रेल वैगन	Railway Wagons for Salt Industry at Dhrangadhra and Wheat Merchants of Rajkot ..	72

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

6305. कुलू गोंद का निर्यात	Export of Kulu Gum	72
6306. बस्तर और रायपुर जिले (म० प्र०) में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें	Rural Electrificiation Schemes in Bastar and Raipur District (M. P.)	72—73
6307. रेल गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling on Railways	73
6308. बंगला देश के साथ रेल सम्पर्क	Rail Link with Bangladesh	73—74
6309. बंगला देश के साथ पटसन करार की क्रियान्विति में ढील	Slow implementation of Jute Agreement with Bangladesh ..	74
6310. कोटा डिवीजन रेलवे के निकट खाली पड़ी रेलवे भूमि	Vacant Railway land near Kota Divisional Railway	74
6311. कासगंज तथा कायमगंज स्टेशनों पर लखनऊ एक्सप्रेस के लिये स्लीपर डिब्बों का कोटा	Quota of sleeper coachcs for Lucknow Express at Kasganj and Kaimganj Stations ..	74—75
6312. गंगा कावेरी लिन्क के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ दल का प्रतिवेदन	Report of U. N. Team on Ganga Cauvery Link	75
6313. फिरोजपुर (उत्तर प्रदेश) से डिवीजनल मुख्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of Divisional Headquarters from Ferozepur (Northern Railway) ..	75
6314. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Judges of High Courts ..	75—76
6315. मध्य प्रदेश से बीड़ियों का निर्यात	Export of Bidis from Madhya Pradesh	76
6316. नई दिल्ली तथा बम्बई रेलवे स्टेशनों पर अमृतसर एक्सप्रेस का समय पर पहुंचाना	Timely arrival of Amritsar Express at New Delhi and Bombay Stations	76—77
6317. मैसूर में मध्यम आकार की सिंचाई योजनाएं	Medium Irrigation Schemes in Mysore ..	77
6318. इलायची उत्पादकों की समस्याएं	Problems faced by Cardamom planters ..	77—78
6319. आल इण्डिया शंटिंग पाइन्ट्समैन एण्ड शंटिंग जमादार्स एसोसियेशन द्वारा ज्ञापन	Memorandum by All India Shunting Jamadars Association ..	78

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6320. भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार की सम्भावना	Indo Nepalese Trade prospects	79
6321. रुई की स्थिति	Cotton situation	79
6322. भारत में बिजली के जनरेटरों की आवश्यकता	Requirement of power generators in India	79—81
6223. विदेशों में रेल डिब्बों की मांग	Demand of Railway Coaches in Foreign Countries ..	81
6324. रेयन/नाइलान यार्न का मूल्य निर्धारण फार्मूला	Pricing formula for Rayon/Nylon yarn	81—82
6325. विदेशों में भारतीय पुस्तकों की बिक्री	Sale of Indian books abroad ..	82—83
6326. खागौल (दानापुर) में डिग्री कालेज का खोला जाना	Opening of a Degree College at Khagaul (Danapur) ..	83
6327. कोटा स्टेशन के रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway employees of Kota Station ..	83—84
6328. रेलवे में अनुसचिवीय कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध	Ban on recuitment of Ministerial staff on Railway ..	84
6329. भारत नेपाल व्यापार में गिरावट	Decline in Indo Nepalese Trade ..	84—85
6331. भारत बंगला देश सीमा पर निर्बाध व्यापार जोन	Free Trade Zone on Indo Bangladesh Border ..	85
6332. मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलने के दौरान सामान्य परि-वहन सुविधायें	Normal Transport arrangements during conversion of Metre gauge to Broad gauge lines ..	85
6333. पंजाब और हरियाणा से काण्डला बन्दरगाह तक खाद्यान्नों की ढुलाई के लिये वैगनों की मांग	Demand for wagons for movement of foodgrains from Punjab and Haryana to Kandla Port ..	85—86
6334. हावड़ा नागपुर रेल मार्ग (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर ट्रेन सेवाओं का अव्यवस्थित होना	Disruption of train services on Howrah Nagpur line (South Eastern Railway) ..	86
6335. अलीगढ़ जिले में नैमित्तिक श्रमिकों की मजूरी दर	Rate of casual labour in Aligarh District ..	86—87

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
6336. गड़हरा रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर चोरियां	Thefts at Garhara Railway Station (Eastern Railway)		87
6337. कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य	Floor price of raw jute	..	87—88
6339. विदेशों में संयुक्त उद्यमों के बारे में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किया गया अध्ययन	Study made by Indian Institute of Foreign Trade Re : Joint Ventures Abroad		88
6340. संथाल परगना, बिहार में फकूर से पत्थर की वस्तुओं की ढुलाई के लिये बिहार सरकार का वैगनों के लिये अनुरोध	Bihar Government's request for wagons for movements of stone products from Pakur in Santhalparganas, Bihar	..	88—89
6341. बिहार के शाहबाद जिले में बड़ी लाइन के लिये बिहार सरकार का प्रस्ताव	Bihar Government't proposals for Broad Gauge line in Shahabad District in Bihar	..	89
6342. कपड़ा उद्योग को आधुनिक बनाने के लिये आधुनिक मशीनों का आयात	Import of Sophisticated machinery for modernising Textile Industry		89
6343. एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1972 के लिये संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का प्रस्ताव	UNIDO's offer for Asian International Trade Fair, 1972	..	90
6344. उच्च न्यायालों के मुख्य न्यायाधिपतियों की नियुक्ति	Appointment of Chief Justices of High Courts	..	90—91
6345. संकेत व दूर संचार विभाग (उत्तर रेलवे) निजामुद्दीन, दिल्ली और नई दिल्ली के निरीक्षकों के अधीन कर्मचारियों के लिये रेलवे क्वार्टरों का कोटा	Quota of Railway quarters for Staff under Inspectors, Nizamuddin, Delhi and New Delhi of S&T Department (Northern Railway)		91
6346. दिल्ली, जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों (उत्तर रेलवे) के इलेक्ट्रीकल । मेकेनिकल सिगनल मेन्टेनरों का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Electrical/Machanical Signal Maintainers Delhi, Jodhpur and Bikaner Division (Northern Railway)	..	91—92
6347. दिल्ली, जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों (उत्तर रेलवे) के इलैक्ट्रीकल । मेकेनिकल सिगनल मेन्टेनरों की ड्यूटी लिस्ट लगाना	Display of duty lists of Electrical/ Mechnical and Signal Maintainers Delhi, Jodhpur Bikaner Divisions (Northern Railway)	..	92—93

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6348. अजीमगंज और कटवा जंक्शनों (पूर्व रेलवे) के बीच 355 अप और डाउन ट्रेनों का बन्द किया जाना	Discontinuation of 355 Up and 355 Down trains between Ajimganj and Katwa Junctions (Eastern Railway) ..	93
6349. पटसन के स्थान पर कत्रिम रेशों का प्रयोग	Replacement of jute by synthetics ..	93—94
6350. इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात	Export of Engineering goods ..	94
6351. बिहार में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of Metre gauge into Broadgauge lines in Bihar ..	95
6352. फालतू विद्युत शक्ति का उपयोग	Utilisation of surplus power ..	95
6353. सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में कर्मचारियों की श्रणीवार संख्या	Number of Exmployees Class-wise in Ministry of Irrigation and Power ..	96
6354. मणिभद्रा सिंचाई परियोजना का प्रतिवेदन	Manibhadra Irrigation Project Report ..	96—97
6356. प्रतीक उच्च न्यायालय के लिये न्यायधीशों की आवश्यक संख्या के बारे में अध्ययन	Study regarding number of Judges required for each High Court ..	97
6357. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने वाले राज्य	States Participating in Internationnl Trade Fair ..	97
6358. रेलवे कर्मचारियों के लिये अवकाश गृहों में स्थान का आबंटन करने की प्रक्रिया	Procedure for Allotment of Accommodation in Holiday Homes for Railway Employees ..	97—99
6359. चाय के बेकार अंश का उपयोग	Utilisation of Tea Waste ..	99
6360. विदेश व्यापार मंत्रालय तथा इसके विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या	Strength of Employees in Foreign Trade Ministry and various Department ..	99—100
6361. दावों सम्बन्धी एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सतर्कता एवं विशेष पुलिस संस्थान के बारे में टिप्पणी	Comments of vigilance and S. P. E. by One Man Expert Committee on Claims ..	100
6362. दिल्ली क्लाथ मिल्स में अनुमति प्राप्त स्पिंडलों की संख्या	Spindles allowed for Delhi Cloth Mills ..	101

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
6363. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में मितव्ययता करने के उपाय	Measures taken to effect economy in National Projects construction Corporation	..	101
6364. बहराइच जिले में शारदा सहायक परियोजना के पानी से सिंचाई सुविधाएं देना	Irrigation Facilities from Waters of Sharda Sahayak Project in Bahraich District	..	101—102
6365. रेलवे कर्मचारियों द्वारा चार्ज लेते देते समय वस्तुओं की सूची बनाना	Preparation of inventory of Goods while Handling taking over Charge by the Railway Staff	..	102
6366. एतमा बोंगो बांध (मध्य प्रदेश) के निर्माण की प्रगति	Progress made in Construction of Etama Bongo Dam (Madhya Pradesh)	..	102
6367. ड्राइवरों के ग्रेड में (पश्चिम रेलवे) पदोन्नति के लिये वरिष्ठता निर्धारित करने के नियम	Rules for Determining Seniority for Promotion to Grade of Drivers (Western Railway)	..	102—103
6368. पश्चिम रेलवे में 'ए' ग्रेड ड्राइवरों की पदोन्नति	Promotion of Drivers 'A' Grade in Western Railway	..	103
6369. उत्तर रेलवे के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध की गई जांच का परिणाम	Result of Investigation against certain Employees of Northern Railway		103
6370. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उत्तर रेलवे की समयसारणी का उपलब्ध न होना	Non-availability of Northern Railway Time Table at New Delhi Station	..	104
6372. नवगांव (आसाम) में कोपिंग पनबिजली परियोजना	Koping Hydel-Electric Power Project in Nowgaon (Assam)	..	104
6373. इदिक्की पनइथिलो परियोजना	Idikki Hydro Electric Project	..	104
6374. केरल में ग्राम्य विद्युती करण की नई परियोजनाएं	New Project for Rural Electrification in Kerala	..	105
6375. दक्षिण रेलवे में रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents on Southern Railway		105
6376. तम्बाकू के निर्यात में कमी	Set back in Tobacco Exports	..	106
6377. बाढ़ नियंत्रण की वृहद योजना	Master Plan for Flood Control	..	107
6378. बाढ़ नियत्रंण के लिये नदियों का अध्ययन	Number of rivers studied for Flood Control	..	107—108

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6379. नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) में क्लेम प्रिवेन्शन इंसपेक्टरों का केडर	Cadre of Claim Inspectors and claim Prevention Inspectors at New Delhi (Northern Railway) ..	108
6380. इंडियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसियेशन, नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को निःशुल्क रेलवे पास	Free Railway Warrants to Deputationists from Indian Railway Conference Association, New Delhi ..	109
6381. उत्तर रेलवे में ए० पी० आई० डब्ल्यू० के पद पर कार्य कर रहे भूतपूर्व ए० आई० ओ० डब्ल्यू० अधिकार्यों के लिये व्यवधानहीन सेवा	Continuous Service for Ex-AIOWs now Absorbed as APWIS ON Northern Railway ..	109—110
6382. आन्ध्र प्रदेश के लिये स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं	Rural Electrification schemes Sanctioned for Andhra Pradesh ..	110—111
6383. सोन नदी पर बनाई गई नहर से सिंचित होने वाली भूमि	Places likely to be irrigated by Canal From River Sone	111
6384. भारत बंगला देश विद्युत बोर्ड	Indo-Bangladesh Power Board	111—112
6385. संसद् भवन स्थित रेलवे बुकिंग कार्यालय से संसद सदस्यों के लिये तीसरे दर्जे की सीटों का कोटा	Quota of Third Class Seats for M-Ps from Parliament House Booking Office ..	112
6386. अडोनी (दक्षिण रेलवे) में उपरिपुल का निर्माण	Construction of an over-Bridge at Adoni (Southern Railway) ..	112..113
6387. बरौनी गड़हरा क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान के आदेश निरसित करना	Revocation of Orders of break in service of Employees of Barauni Garahara Area	113
6388. दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में सहायक चिकित्सा अधिकारियों को नजर जांचने का अधिकार देना	Powers to Asstt. Medical Officers for Vision Test. Delhi Division (Northern Railway) ..	113—114
6390. मध्य रेलवे में माल की चोरी	Theft of Goods on Central Railway ..	114
6391. विधान सभा चुनावों में स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सेनापतियों के चित्र लगाना	Display of pictures of Chiefs of Staff of Army, Navy and Air Force during Elections to Legislative Assemblies ..	114—115

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
6392. मध्य रेलवे में हत्या, लूटमार और चोरी की घटनायें	Incidents of Murder, Looting and Theft on Central Railway	..	115
6393. मध्य रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ना	Detection of Ticketless Travellers on Central Railway		115—116
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—		
तिरुचिरा पल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था अपर्याप्त होने का समाचार	Reported inadequate customs check at Tiruchirapalli Airport		116—119
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	..	116—117
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh		116—119
हरिजनों, आदिवासियों आदि के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में चर्चा	Re: Discussion on ill-treatment of Harijans, Adivasis, etc.		120
विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा संसद सदस्य के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में	Re. Alleged manhandling of Member by Willingdon Hospital Staff	..	121—126, 140—142
वित्त विधेयक, 1972	Finance Bill, 1972	..	120—121, 126—140
श्री के० एन० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	..	120—121
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	..	126—129
श्री मल्लिकार्जुन	Shri Mallikarjun		129—130
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	..	130—132
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary		132
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri	..	133
श्री प्रताप सिंह नेगी	Shri Pratap Singh Negi	..	133—134
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra		134—135
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	..	135—136
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi		136—138
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikrishan Modi	..	138—139
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R. N. Sharma	..	139

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री तेजा सिंह स्वतंत्र	Shri Teja Singh Swatantra	..	139—140
विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा एक संसद् सदस्य के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य	Statement re. Alleged manhandling of Member by Willingdon Hospital Staff	..	140—142
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shanker Dikshit	..	140—142

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 16 मई, 1972/26 वैशाख, 1894 (शक)

Tuesday, May 16, 1972/Vaisakha 26, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

विलिंग्डन अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा संसद सदस्य के साथ कथित दुर्व्यवहार
ALLEGED MANHANDLING OF MEMBER BY WILLINGDON HOSPITAL STAFF

Shri Chandra Shailani : Mr. Speaker, Sir, I am a member of this House and you see my condition. The doctors of the Willingdon Hospital kept me locked for one hour and beat me up. This morning, my nephew, who is putting up with me and studies here, met with an accident. When my brother took him to the hospital's emergency ward, he was badly rebuked and later, when I reached there, I too was not permitted to go inside by the Gatekeeper. I told then that I am a Member of Parliament and had the privilege to enter, the doctor stated that hundreds of M. Ps. like me come there. He caught me by the collar and pushed me twice. When I went inside, the doctor got me beaten up by his staff members. This is the situation.

You would be surprised to know that that doctor excited class IV employees to launch an agitation against me. An hon. Member of this House as well as the Minister of Parliamentary Affairs was there, and also Shri Shashi Bhushan an hon. Member of this House was there and they are the eye witness to the spectacle. It is quite possible that they would have even killed me had the police not helped me out. I was kept locked inside the room for four hours and was insulted as no Member of any Parliament in the world has ever been insulted. This is my condition. My torn out shirt is here before the House.

In order to maintain the dignity of this august House, I would request you to call for full information in this connection and inflict the condign punishment to those who have so treated me otherwise I do not know what would happen to the dignity of this country and this House— **(Interruptions)**.

Shri Nar Singh Narain Pandey : Mr. Speaker, it is a very serious matter.

Shri Chandra Shailani : I very politely submit that I am at present not mentally balan-

ced, I was abused and beaten up I do not bother for that but it is a matter of great concern that when I told them that I would make a complaint about that to the Prime Minister and the Health Minister Shri Dikshit, one of the doctors Shri Rama Kant hurled thousands of insulting words for the Prime Minister and the Health Minister Shri Dikshit. When such is the condition in the Hospitals, I can't say where would it lead to.

एक माननीय सदस्य : अस्पताल का नाम क्या है ?

Shri Chandra Shailani : Willingdon Hospital, Emergency Ward. The hon Minister for Parliamentary Affairs has come and he himself has seen a part of the incident.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह तो बड़ा गम्भीर मामला है श्रीमन् ।

श्री बी० के० दासचौधरी : अत्यन्त गम्भीर मामला है ।

Shri Narsingh Narain Pandey : It is a very important matter. It is not a question of any one hon. Member, but all the Members as well as of the dignity of this House. This matter should be taken up very seriously. Severest action should be taken against the doctors who have insulted the hon. Member. Let Mr. Speaker himself take up the matter in his hands ; consider it a matter of privilege and refer it to the Committee on Privileges so that no incident of such a nature is permitted to recur in future.

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री राजबहादुर वहां उपस्थित थे । वह बतायें और हम सुनें कि वहां क्या हुआ । यह तो एक अत्यन्त गम्भीर मामला है ।

Dr. Kailash : I have visited this hospital twice or thrice. I was not treated like that but certainly a common man is always badly treated there. I could have kept quiet but when an M. P. can be treated so badly what will become of the ordinary people ; I have seen all that with my own eyes. All the doctors, matrons, nurses etc. connected with this incident should be called for and asked to explain. Shri Raj Bahadur was present there. I would request him—(**Interruptions**).

श्री नरसिंह नारायण पाण्डे : उन्हें इसी समय सदन के समक्ष पेश किया जाना चाहिये ।

Shri Shankar Dayal Singh : First of all the doctors and the staff should be suspended.

Shri Chandra Shailani : You can see the condition of my nephew, he met with such a serious accident ... (**Interruptions**). Had the police not helped me I would have not been able to come here.

Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : I had gone to the Nursing Home to see Sardar Darbara Singh. I found a big crowd and some policeman were helping out Shri Shailani and taking him away somewhere. He was very much disturbed and worried with tears in his eyes. I had seen his nephew who had received severe injuries on his leg. When I enquired, Shri Shailani told me that he was beaten up. I suggested him to get the wound dressed first lest that should bleed. Then he went to that side. When I returned and reached the Medical Officer's room, I found some police Officers guarding him. I consoled him and he narrated the whole episode. The policemen told me that he was manhandled and that he was in a Gherao like situation.

I talked to Prof. D. P. Chattopadhyay. Shri Uma Shankar Ji was not available. He himself had gone to the hospital. I hope he would investigate into the matter. I am myself very sad that he met with such an incident. I, however, do not know how and why it all happened and what followed : but I found him very much pained and bewildered. Many people had gathered there and there was much excitement.

Shri Narsingh Narain Pandey : The doctor should be suspended and produced before the Bar of the House.

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभा के मध्याह्न से पूर्व, स्थगित होने से पूर्व हम इसके बारे में ब्यौरा चाहते हैं। हम तथ्यों का सही विवरण चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ी ही खेदजनक घटना है । वस्तुत: ही बड़े दु:ख की बात है कि यह घटना घटी। आधे घण्टे पूर्व जब मैं अपने कक्ष में बैठा था, मेरे सचिव ने मुझे बताया कि श्री शैलानी के भाई मुझसे टेलीफोन पर बातचीत करना चाहते थे और ऐसी घटना हुई थी जैसाकि श्री शैलानी ने आपके सामने स्वयं बताया है। मुझे बताया गया कि वह अभी भी अस्पताल में हैं। फिर मेरे सचिव ने मुझे बताया कि श्री शैलानी मिल नहीं रहे हैं। बाद में मुझे बताया गया कि वह प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के कमरे में हैं। इसी बीच मैंने एस० एस० पी० के पद के समक्ष के अपने अति वरिष्ठ आरक्षी अधिकारी को अस्पताल भेजा ताकि वह वहां श्री शैलानी के भाई से मिलें और स्थिति के अधिक खराब होने से पूर्व मुझे मामले से अवगत करायें। आखिर यह हमारा कर्तव्य है कि हम वहां अपना आदमी भेजें और यह सुनिश्चय करें कि उसके साथ कोई बुरा बर्ताव न हो। इसी अवधि में संसदीय कार्य मंत्री मुझसे मिले और मुझे बताया कि वह भी वहां अस्पताल में उपस्थित थे और बड़े दु:ख की बात है कि ऐसी घटना घटी।

फिर, यहां आने से कुछ मिनट पूर्व मैं डाक्टर विष्ट को खोज सका और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया। यह बात लगभग 3 मिनट पहले की है। मैंने कहा कि मैं श्री शैलानी से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं, वह घर पर नहीं हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने कमरे में हैं। अत: कोई दो मिनट पहले उसने मुझे बताया वह अभी अपने कमरे में हैं और मैं उनसे सम्पर्क कर सकता हूं। मैंने कहा अब तो ग्यारह बज रहे हैं। इस प्रकार यह उनकी कही हुई बात है और यहां मैं श्री शैलानी को बैठे देख रहा हूं। उनके भाई उपलब्ध नहीं हो सके। यह सब कुछ बड़ी खेदजनक घटना है, मैंने डाक्टर को बताया कि अस्पताल लोगों का जीवन बचाने के लिये है, उन्हें मार डालने के लिये नहीं। मंत्री महोदय ने मुझे बताया कि वह वहां थे और पुलिस वाले उनसे मिले। पुलिस वालों ने उन्हें बताया कि वे लोग तो श्री शैलानी को मार ही डालते, उनका आक्रमण इतना कठोर था। पुलिस पहुंची नहीं थी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा अन्य लोग तो शैलानी साहब को समाप्त ही कर डालते। उन्होंने मंत्री महोदय को भी सलाह दी कि वह स्वयं अपनी भी जान बचायें। यह स्थिति है।

अत: अब सभा चाहे जो निर्णय ले, परन्तु कम से कम मैं यह देखता हूं कि वे कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें परन्तु वे हर समय अपनी निजी अथवा सार्वजनिक बातचीत में संसद सदस्यों की भर्त्सना करते हैं और कहते हैं कि अत्यन्त महत्वपूर्ण लोग उन्हें अपना कार्य नहीं करने देते। मुझे एक दिन की घटना याद है।

हम जानना चाहते हैं कि वहां पर कितने अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और वे नहीं जान सके। सम्भव है पांच या छ: हों क्योंकि आखिर राज्य सभा और हमारे सहित हम 700 या 800 आदमी हैं। कोई न कोई व्यक्ति तो बीमार होता ही है, हममें से कुछ वृद्ध भी हैं और कभी कभी कोई दुर्घटना भी हो जाती है। अतः यदि वे वहां जायें और यदि सभा ने उन्हें कुछ विशेषाधिकार दे रखे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे इन सदस्यों के बारे में निन्दात्मक बातें करें। यह एक अलग बात है कि यदि मैं या मंत्री महोदय वहां जायें तो उचित ध्यान दें। परन्तु इससे तो सारा ही उद्देश्य विफल हो जाता है। यदि हम वहां से चलें और बाद में वे हम पर कहकहे लगायें। बस इतनी सी बात है। मेरे विचार से यह वातावरण भी इस प्रकार की घटना के लिये उत्तरदायी है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस मामले की पूरी तरह छानबीन करें और सभा को पूरा विवरण दें, फिर हम इस मामले पर गम्भीरता से कार्यवाही करें। उदाहरणार्थ किसी समिति में ले जाकर अथवा इसी सभा में। यदि जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो फिर सामान्य लोगों के साथ क्या बीतती होगी। मैं जानता हूं कि उनका काम कुछ सख्त है, कुछ अधिक भी है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वे इस प्रकार का व्यवहार करें। सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में हम भी सुबह सुबह उठते हैं, काफी लोगों से मिलते हैं, काफी काम भी करते हैं, यहां सभा में भी आते हैं। मैं जानता हूं कि हमसे कुछ तो आधी रात तक जागते रहते हैं और फिर प्रातः ही काम पर लग जाते हैं। हम शिकायत तो नहीं करते। ये सरकारी कर्मचारी ऐसा क्यों करते हैं?

श्री ए० पी० शर्मा : क्योंकि वे मालिक हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी पूरी सहानुभूति श्री शैलानी के साथ है। हम लोग आपके साथ हैं। सचमुच ही हमें शर्म आती है कि ऐसी घटना हुई। मैं आपको बताता हूं कि हम यह सुनिश्चय करेंगे कि ऐसी घटना फिर न हो। धन्यवाद।

श्री राजबहादुर : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्री शशिभूषण भी वहीं थे। और उन्होंने स्थिति को संभालने के प्रयास में बड़ी सहायतापूर्ण और सहृद भूमिका निभायी।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जलढाका पन-बिजली परियोजना (उत्तरी बंगाल) का निर्माण

*842. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल ढाका पन-बिजली परियोजना (उत्तरी बंगाल) का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया था और इसके कब तक पूरा होने का लक्ष्य था;

(ख) इस समूची परियोजना पर पहले अनुमानित व्यय कितना था, संशोधित अनुमान कितना है और अब तक उस पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ; और

(घ) इस परियोजना के चालू होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जलढ़ाका जल विद्युत् परियोजना के निर्माण का कार्य 1960 के शुरू में आरम्भ किया गया था। उस समय परियोजना को 1964 में पूर्ण किया जाना अनुसूचित था।

(ख) परियोजना की मूल अनुमानित लागत 4.45 करोड़ रुपये थी। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा बताई गई संशोधित अनुमानित लागत 15.34 करोड़ रुपये है। संशोधित प्राक्कलन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। 1970-71 के अंत तक किये गये व्यय की राशि 13.97 करोड़ रुपये थी और 1971-72 के दौरान प्रत्याशित व्यय की राशि 0.75 करोड़ रुपये है।

(ग) नदी के ऊपर बराज पूर्ण होने वाला है और द्वार लगाने का कार्य आगामी माह में समाप्त हो जाएगा। 9-9 मैगावाट के सेटों को जून, 1967 तक चालू किया गया था और तब से वे चल रहे हैं। आशा है कि 9 मैगावाट का तीसरा सेट शीघ्र ही चालू किया जाएगा।

(घ) जलढाका नदी में अगस्त 1964 और अक्तूबर 1968 में विध्वंसकारी बाढ़ों के कारण भूस्खलन हुए, परियोजना को जाने वाली सड़कें और पारेषण लाइनें नष्ट हो गईं और इसके परिणामस्वरूप परियोजना का निर्माण कार्य पीछे पड़ गया। परियोजना के कुछ स्वरूपों में परिवर्तन करना पड़ा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह परियोजना कब तक चालू कर दी जायेगी और (ख) इससे उत्तर बंगाल की बिजली की कितने प्रतिशत आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा, और वहां की पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : दो एकक तो कार्य कर रहे हैं और तीसरा आरम्भ होने जा रहा है। आशा है यह कुछ मास में तैयार हो जायेगा।

उत्तर बंगाल के सम्बन्ध में, यह सच है कि इसमें बहुत कम विद्युत उपलब्ध है। वस्तुतः केवल जलढाका ही कुछ विद्युत सप्लाई कर रहा है अथवा इसे विद्युत ही न मिलती। परन्तु दो बातें हैं जिन्हें करने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक कार्य है आसाम और पुर्निया से तुरन्त ही बिजली प्राप्त करना। दोनों ही स्थानों पर हम ट्रांसमीशन लाइनें बिछा रहे हैं। हम इसे शीघ्र ही पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं ? फिर किसी कारण कुछ विलम्ब हो रहा है। मुझे बताया गया कि यह एक वर्ष में तैयार हो जायेगा। जब ये दो लाइनें निर्मित हो जायेंगी तो हमें 20-25 मैगावाट या इससे भी अधिक बिजली उपलब्ध हो जायेगी। इससे इस क्षेत्र की बिजली सम्बन्धी कम से कम आपात आवश्यकता तो पूरी हो ही जायेगी।

हम दक्षिण बंगाल से एक ताप-बिजली संयंत्री उत्तर बंगाल में स्थानान्तरित भी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ढलकोला में भी एक बड़ा केन्द्र स्थापित करने का प्रयास है जिससे उत्तर

और दक्षिण बंगाल और उत्तर बिहार तथा सभवतः बंगला देश को भी लाभ पहुंचेगा। इस केन्द्र को तुरन्त ही स्थापित करने का प्रयास है। इस केन्द्र से हमें लगभग 18 मैगावाट विद्युत मिलने की आशा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा दूसरा प्रश्न है कि जलढाका अधिकारियों के विरुद्ध कदाचार, असफलताओं तथा भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये एक जांच समिति गठित की गई थी, समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उक्त प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

डा० के० एल० राव : जी हां। एक समिति पश्चिम बंगाल सरकार ने गठित की थी और हमें उसके बारे में नहीं बताया गया है। वस्तुतः मैंने इस प्रतिवेदन के बारे में जानकारी मांगी है और उन्होंने प्रतिवेदन की एक प्रति मुझे वर्ष 1970 में भेजी और उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं भेजी है। अतः हम सोच रहे हैं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री बी० के० दासचौधरी : मन्त्री महोदय के विवरण में मुख्य उत्तर की अन्तिम पंक्ति में कहा गया है कि इस परियोजना के कुछ पहलुओं में परिवर्तन करना पड़ेगा और यह देखते हुए कि बाढ़ तथा अन्य कारणों से जलढाका परियोजना को गम्भीर हानि हुई है क्या मन्त्री महोदय ने इस मामले की गहराई में जांच की है कि ये मुसीबतें एक तो सिक्किम और दूसरे भूटान की ओर से आने वाली ऊपरी बहावों के कारण पैदा हुई हैं, और यदि हां, तो वह ऐसे क्या उपाय करना चाहेंगे जिससे कि बाढ अथवा भूस्खलन के कारण आगे और अधिक हानि न पहुंचे। क्या वह सिक्किम और भूटान की ओर से आकर मिलने वाले जल केन्द्र पर ऊपर कोई जलागार बनाने का विचार कर रहे हैं जिससे कि इस परियोजना को इन हानियों से बचाया जा सके ?

डा० के० एल० राव : यह परियोजना हिमालय के बीच गहरी घाटियों में स्थित है और ऐसी नदियां परेशानी पैदा करती ही हैं। केवल यही नहीं, जम्मू व काश्मीर में, चिनानी में, हिमाचल प्रदेश आदि में भी ऐसी ही स्थिति है। आरम्भ में हम छोटे विद्युत केन्द्र बनाकर विद्युत पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद हम पहाड़ी नहरों से छोटे केन्द्र नहीं बनायेंगे। हम बड़े पैमाने पर विद्युत का प्रजनन करने जा रहे हैं क्योंकि हमें देश के लिये बड़ी मात्रा में विद्युत की आवश्यकता है। मेरे विचार से जलढाका में केवल बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य के अतिरिक्त और अधिक जलागार निर्मित करना न तो आवश्यक है और न ही सम्भव है।

अध्यक्ष महोदय : डा० रानेन सेन।

श्री बी० के० दासचौधरी : आप 15 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। आप इस परियोजना को कैसे बचायेंगे ? आपने इसकी गहराई से जांच नहीं की है।

डा० के० एल० राव : श्रीमन, हम तो इस सम्बन्ध में हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैंने अन्य सदस्य का नाम लिया है और आपको मेरी अनुमति के बिना कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिये। अब क्योंकि मन्त्री महोदय कुछ बता रहे हैं तो वह अपनी बात पूरी कर लें।

एक माननीय सदस्य : वह अपनी बात पूरी कर चुके हैं ।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं अपना पहला ही प्रश्न दोहरा रहा था । मन्त्री महोदय ने जम्मू काश्मीर तथा अन्य स्थानों का नाम लिया । मैंने विशेषरूप से जलढाका के बारे में पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न दोहराने के लिये भी आपको मेरी अनुमति लेनी चाहिये । जब मैं अन्य सदस्य को पुकार चुका था तो मैं नहीं समझता था कि आप पुनः खड़े हो जायें । डा० रानेन सेन ।

डा० रानेन सेन : यह देखते हुए कि उत्तर बंगाल में प्रति वर्ष छोटे या बड़े पैमाने पर निश्चय ही बाढ़ आती है, जिसके कारण जलढाका के टरबाइनों आदि में पानी भर जाता है तो क्या मैं जान सकता हूं कि विद्युत का उत्पादन करने वाली जलढाका परियोजना को प्रति वर्ष जल की विभीषिका से बचाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

डा० के० एल० राव : जैसाकि मैंने कहा है परियोजना के कुछ पहलुओं में परिवर्तन किया गया है जिससे इस परियोजना को प्रति वर्ष नदी में होने वाली सामान्य क्षति से बचाया जा सकेगा । एक काम तो यह किया गया है कि पहले वहां खुले जलमार्ग थे परन्तु अब उन्हें ढक दिया गया है ताकि यदि भू-स्खलन भी हो तो विद्युत पर प्रभाव न पड़े । इसके लिये यह सावधानी अवश्य बर्तनी पड़ेंगी कि जब नदी में भारी बाढ़ होगी और बड़े बड़े गोल पत्थर लुढकेंगे तो उस समय उनसे विद्युत न पैदा होने पाये । यह सावधानी अन्य स्थानों पर भी रखी जाती है अर्थात दो, तीन या चार दिन तक विद्युत पैदा नहीं की जाती ।

अन्यथा अब स्थापित की गई पद्धति अर्थात कन्डक्टर पद्धति जिसे पूरा किया गया है तथा लागू किया गया है, में मुझे सामान्यतः कोई अड़चन नहीं दिखाई देती ।

श्री समर गुह : क्या जल ढाका परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में पम्पों एवं औद्योगिक प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा सकेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न जलढाका परियोजना के बारे में था, न कि औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में ।

डा० के० एल० राव : उत्तर बंगाल में जलढाका से उत्पन्न होने वाली बिजली थोड़ी है । कुछ समय तक, जब तक कि आसाम बिहार के साथ कनेक्शन स्थापित नहीं कर लिये जाते उपलब्ध होने वाली बिजली बहुत थोड़ी होगी ।

अध्यक्ष महोदय : वे दोनों ही अध्यक्ष की बात पर ध्यान नहीं देते ।

ट्रांसमीशन लाइनों की कमी के कारण फालतू बिजली का उपयोग न होना

*843. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतपुड़ा में उपलब्ध 10 मैगावट फालतू बिजली का ट्रांसमीशन लाइनों की कमी के कारण पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उपयोग नहीं किया जा सकता ; और

(ख) यदि हां, तो ट्रांसमीशन लाइनों की कमी के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सतपुड़ा ताप विद्युत् केन्द्र में पांच विद्युत् जनन यूनिट हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 62.5 मेगावाट है। एक यूनिट आपाती रूप में रखा जाता है और शेष में से तीन या चार यूनिटों को भार और प्रचालन स्थितियों के अनुसार चलाया जाता है। सतपुड़ा से मध्य प्रदेश ग्रिड को विद्युत् दी जाती है और फालतू विद्युत् राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को पारेषित कर दी जाती है। चूंकि पंजाब और हरियाणा के बीच संपर्क राजस्थान के जरिए है, इसलिए इस विद्युत् केन्द्र से पंजाब और हरियाणा को राजस्थान के जरिए ही राहत विद्युत् सप्लाई की जा सकती है। जब सतपुड़ा में सिर्फ तीन यूनिट ही चलाये जाते हैं, तो पंजाब और हरियाणा को देने के लिए कोई फालतू विद्युत् नहीं होती। जब चार यूनिट चलाये जाते हों, तो भाखड़ा प्रणाली को राहत विद्युत् दी जा सकती है लेकिन जब व्यस्ततम समय नहीं हो तो यह अधिकतम 25 मेगावाट होगी।

वर्तमान पारेषण प्रणाली के साथ पंजाब-हरियाणा क्षेत्र को व्यस्ततम मांग अवधि के दौरान राहत सम्भव नहीं है। यह इस कारण से है कि चम्बल-सतपुड़ा क्षेत्र में पारेषण सम्पर्क केवल 132 के० वी० लाइन का है। एक 220 के० वी० पारेषण लाइन अब कोटा और जयपुर के बीच निर्माण की प्रौढ़ावस्था में है और इसके दिसम्बर, 1972 के अन्त तक चालू होने की सम्भावना है। इस लाइन के पूर्ण हो जाने से राजस्थान को सतपुड़ा से और अधिक विद्युत् लेना सम्भव हो जाएगा चाहे यह विद्युत् उनके अपने इस्तेमाल के लिए अपेक्षित हो या पंजाब-हरियाणा क्षेत्र को राहत देने के लिए रिहन्द-अमरकण्टक लाइन में एक दूसरे सर्किट को लगाने का कार्य पहले से ही हाथ में है और इससे उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त विद्युत् पारेषण सम्भव हो जाएगा।

श्री रणबहादुर सिंह : क्या बिजली की इन ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण में केन्द्र सहायता दे रहा है। ऐसी बिजली की लाइनों के लिये अधिकांश राज्यों के पास धन का अभाव है और इसी कारण निर्माण कार्य रुका पड़ा है।

डा० के० एल० राव : कोटा-जयपुर लाइन पर भारत सरकार ने राज्य योजना के अतिरिक्त ऋण के रूप में धन लगाया है।

श्री रणबहादुर सिंह : उत्तर प्रदेश में हरिपुर और दामरा विद्युत् केन्द्र के मध्य केवल एक ही लाइन है। क्या उसे दोहरा किया जायेगा ताकि अन्ततोगत्वा जब सिंहरौली ताप विद्युत् केन्द्र स्थापित हो जाये, तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को बिजली सप्लाई की जा सके, जहां सम्भवतः कोरबा के निकट उद्योग स्थापित होने से विद्युत की कमी हो सकती है ?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि जब हम विकास करते हैं तब भारी क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण करते हैं। इस समय रिहन्द-अमरकन्टक लाइन को दोहरा बनाया जा रहा है। दूसरी लाइन बिछाई जा रही है।

भारत के व्यापार-हितों के बारे में ब्रिटेन के साथ बातचीत

*844. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अभी हाल की विदेश यात्रा के दौरान ब्रिटेन ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि वह भारत के व्यापार-हित की रक्षा करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई विस्तृत चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र): (क) से (ग). ब्रिटिश मंत्रियों के साथ मेरी बातचीत हुई थी और ब्रिटेन सरकार ने अभी हाल में भारत सरकार को एक स्मारक-पत्र दिया है। स्मारक-पत्र में उन्होंने ऐसी विशिष्ट वस्तु समस्याओं पर बातचीत करने के लिये एक समय-क्रम तथा प्राथमिकता-क्रम का सुझाव दिया है जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विस्तार के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकती है।

ब्रिटेन सरकार से प्राप्त सुझावों का अध्ययन किया जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इंगलैंड ने जो प्रतिबन्ध लगाए थे क्या वे उसने हटा लिये हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : कपड़े पर लगाया गया 15 प्रतिशत शुल्क अभी लगा हुआ है। पहले प्रस्ताव था कि 15 प्रतिशत शुल्क के साथ कोटा पद्धति भी समाप्त कर दी जाएगी नई व्यवस्था के अनुसार 15 प्रतिशत शुल्क चालू रहेगा और कोटा प्रणाली भी बनी रहेगी। प्रश्न यह हैं कि ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश का क्या परिणाम निकलेगा। हमने उन्हें स्मृतिपत्र भेजा है जिसमें अपनी कठिनाइयां बतायीं है और हमें उनका उत्तर प्राप्त हो गया है। मैं उन्हें सभा पटल पर नहीं रखूंगा क्योंकि उसका सम्बन्ध दोनों सरकारों से है। मुझे उनकी सहमति भी लेनी पड़ेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या 15 प्रतिशत शुल्क से हमारे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो हमारे व्यापार पर उन प्रतिबन्धों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उसके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमारे व्यापार पर उससे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सदन में कई बार इस पर चर्चा की गई है। वैकल्पिक व्यवस्था के लिये हमने यूरोपीय साझा बाजार के देशों से सम्पर्क स्थापित किया है, उनमें हमारे विशेषज्ञ बढ़ाए जा रहे हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश से हमारे विदेश-व्यापार की क्या स्थिति होगी ? क्या ब्रिटेन के साझा बाजार में प्रवेश के बाद भारत को कुछ लाभ भी होंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : लाभ का प्रश्न ही कहां है। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। जनवरी 1973 में जैसे ही ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश करता है, राष्ट्रमंडलीय वरीयताएं समाप्त हो जायेंगी जोकि हमारे लिये अति हानिकर होगा।

डा० रानेन सेन : मैंने समझा कि आपने मुझे पुकारा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री झा को बुलाया था।

डा० रानेन सेन : मैंने समझा कि आपने मुझे प्रश्न पूछने को कहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी ओर से बोल सकते हैं।

डा० रानेन सेन : उनके इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीमंडलीय वरीयताएं समाप्त हो रही हैं, हमें राष्ट्रमण्डल से कौन सी बातें जोड़ रही हैं।

एक माननीय सदस्य : यह आप प्रधान मंत्री से पूछिए।

डा० रानेन सेन : क्यों ? वह मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री हैं, उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको अवश्य ही संतोषजनक उत्तर देना चाहिए। उन्होंने आपकी पदवी बढ़ा दी है।

श्री एल० एन० मिश्र : इस समस्या पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और यह भी मांग की गई थी कि वरीयता समाप्त किये जाने पर हमें राष्ट्रमंडल छोड़ देना चाहिए। यह सभी बातें ब्रिटेन सरकार को सूचित कर दी गई हैं और हमने उन्हें बता दिया है कि हमारी संसद के इस बारे में बहुत दृढ़ विचार हैं और वरीयता समाप्त होने की दशा में हमारा राष्ट्रमण्डल में बना रहना कठिन है। प्रश्न तो यह है। परन्तु एक नई बात हुई है जिसका हम पर अधिक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने निर्णय किया है कि कैरीवियन देशों, प्रशान्त सागर देशों तथा अफ्रीकी राष्ट्रमंडलीय देशों की वरीयताएं जारी रहेंगी। यह भेदभाव-पूर्ण बर्ताव है और इसका हमने विरोध किया है। इस मामले पर मैंने ब्रिटेन के विदेश मंत्री, विदेश व्यापार मन्त्री से लन्दन में बातचीत की थी। उसके परिणाम-स्वरूप कुछ किये जाने की सम्भावना है।

डा० रानेन सेन : हमारी ओर से, अथवा उनकी ओर से ?

श्री एल० एन० मिश्र : उनकी ओर से।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं जानना चाहता हूं कि ब्रिटिश सरकार की भारत के प्रति इस नीति के पुरस्कार के रूप में ब्रिटेन के शिष्टमण्डल को ब्रिटिश कम्पनियों को ब्रिटेन से रद्दी और पुरानी मशीनरी के आयात की अनुमति देने का भारत सरकार ने निर्णय किया है।

श्री एल० एन० मिश्र : ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि हथकरघा उत्पादों की बिगड़ती हुई दशा, ब्रिटेन को किये जाने वाले निर्यातों विशेषत: वस्त्रों में कमी के कारण और भी खराब हो जायेगी, यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सर्वथा संगत नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्यों नहीं ? हमारा निर्यात मुख्यतः वस्त्रों का ही होता है और मेरा प्रश्न है कि हथकरघा उत्पादों, जिनकी दशा पहले ही विषम है और भी बिगड़ जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अत्यन्त व्यापक रूप में ले रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्, क्या मैं विषय की संगतता के बारे में कुछ कह सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह कहना मेरा काम है। मैं केवल इस बारे में ही बोलता हूं कि कौन से विषय संगत हैं और कौन से नहीं, आप यह अधिकार भी मुझे नहीं देते। यदि आप उत्तर देने की स्थिति में हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र : खादी के बारे में एक पृथक प्रश्न है। इस वर्ष हम हथकरघा के पुराने कोटे को बहाल कर पाए हैं और इस वर्ष कोई कठिनाई नहीं होगी। परन्तु जैसा कि उन्हें पता है, उन्होंने हैंडलूम की परिभाषा बदल दी है। और चादरें और तौलिए हथकरघे के अन्तर्गत नहीं रखे जा रहे हैं। यदि इन दो वस्तुओं को निकाल दिया जाता है तो हमें काफी हानि होगी । परन्तु इस वर्ष पुरानी परिभाषा और पुराने कोटे बने रहेंगे। ब्रिटेन के मन्त्री के साथ हुई पिछली बातचीत का यह परिणाम है ।

भूतापीय क्षेत्रों की भू-विज्ञान तथा जल-विज्ञान संबंधी दशा का अध्ययन

*845. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतापीय क्षेत्रों की भू-विज्ञान तथा जल-विज्ञान संबंधी दशा का अध्ययन आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) क्या वेश के विभिन्न भागों में विभिन्न स्थानों पर इन बातों के बारे में प्रयोगशाला अध्ययन किये गये हैं ; और

(ग) क्या भूतापीय शक्ति का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना संभव है और यदि हां, तो इसके आर्थिक पहलू क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां। देश में प्रमुख गर्म चश्मों के क्षेत्रीय भू-विज्ञान और भू-जल विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन समय-समय पर किये गये हैं।

(ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, यादवपुर विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान ने कई गर्म चश्मों के जल के ताप, प्रवाह और रासायनिक विश्लेषण के संबंध में गर्म चश्मों के विभिन्न क्षेत्रों के और गर्म चश्मों के क्षेत्रों में प्रचलित ताप-अनुपात के भी कुछ अध्ययन किये हैं।

(ग) इसे अभी निर्धारित किया जाना है। अनुकूल स्थितियों में, भूतापीय विद्युत जनन बहुत ही आकर्षक रूप में माना जाता है, क्योंकि भूतापीय संसाधनों से विद्युत् जनन की लागत जन-संसाधनों से विद्युत् जनन की लागत के लगभग बराबर हो सकती है। शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित विस्तृत अनुसंधान कार्यों (संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की सहायता से) से यह पता चलेगा कि आया भारत में भूतापीय ऊर्जा को बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया जा सकता है अथवा नहीं।

श्री राजदेव सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्तावित विस्तृत अनुसन्धान कब तक पूरा हो जायेगा ?

डा० के० एल० राव : यह परियोजना देश के कार्यक्रम के एक मद के रूप में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सम्मुख रखी गई है। ऐसा होने के पश्चात् अनुसन्धान कार्य को हाथ में लिया जायेगा।

श्री राजदेव सिंह : क्या प्रस्तावित अनुसंधान कार्य हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किया जाएगा अथवा अन्य देशों के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया जायेगा ?

डा० के० एल० राव : अनुसंधान हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किया जाएगा। खुदाई का कार्य ही कुछ कठिन है। यह 10000 फुट गहरी की जानी है। तो भी हमारे पास यह कार्य करने के लिये अपने व्यक्ति हैं फिर भी हमें शायद खुदाई क्षेत्र के तकनीकी व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करनी पड़ सकती है।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण के उपाय

*847. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियंत्रण उपायों की क्रियान्विति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तुरन्त 11 करोड़ रुपये देने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सरकार चतुर्थ योजना के अंतिम दो वर्षों में कुछ राज्यों को, जिनमें पश्चिम बंगाल भी सम्मिलित है, हाल ही के वर्षों में बाढ़ों के अनुभवों के आधार पर बनाई गई प्राथमिकता प्राप्त बाढ़ नियंत्रण और जल निकास स्कीमों के द्रुतगति से कार्यान्वियन के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में कुल 11 करोड़ रुपये की प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों की आवश्यकताओं का ब्यौरा भेजा है जिसमें 4.91 करोड़ रुपये 1972-73 के लिए हैं और 6.09 करोड़ रुपये 1973-74 के लिए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को 1972-73 के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति देने से संबंधित कार्यवाही की जा रही है।

डा० रानेन सेन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लगभग प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों में बाढ़ आती है और बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिये कोई उचित निरोधात्मक व्यवस्था नहीं है, क्या भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को बाढ़ नियंत्रण करने वाली किसी व्यापक योजना का सुझाव दिया है ताकि न केवल पश्चिम बंगाल अपितु बिहार को भी बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : विभिन्न राज्यों की अपमी परियोजनाएं हैं। पश्चिम बंगाल ने भी काफी अच्छा कार्य किया है। उनके पास बहुत सी परियोजनाएं हैं। परन्तु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना के पश्चात ही व्यापक योजना आयेगी। इसकी मंजूरी दे दी गई है। आयोग की लागत भारत सरकार उठायेगी। उसे शीघ्र ही लगाया जायेगा। हम अधिकारियों का पता लगा रहे हैं। जब यह कार्य हो जायेगा तो हम समूचे गंगा बेसिन के लिए एक व्यापक बाढ़ नियंत्रण योजना लायेंगे।

डा० रानेन सेन : क्या भारत सरकार ने संयुक्त मोर्चा सरकार के सिंचाई मंत्री द्वारा दिये गए उन सुझावों पर गौर किया है जो उत्तरी बंगाल में जहां लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, उत्तरी बंगाल वृहत योजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दिये जाने के बारे में हैं ? इसके पश्चात् मैं जानना चाहता हूं कि क्या फरक्का बांध के कारण महानदी-गंगा में जो बाढ़ आयेगी, उस पर नियंत्रण करने की भारत सरकार की कोई योजना है ?

डा० के० एल० राव : फरक्का बांध का बाढ़ से कोई सम्बन्ध नहीं है। महानदी तटबंध के लिये मंजूरी दे दी गई है और भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त, धन लगाकर इसकी सहायता की जायेगी। वह कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

डा० रानेन सेन : मेरे प्रश्न का पहला भाग उत्तरी बंगाल में बाढ़ के नियंत्रण के लिये मास्टर प्लान के बारे में था।

डा० के० एल० राव : उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई है। वह इस समय कार्य कर रहा है, जांच कर रहा है तथा कुछ योजनाओं को क्रियान्वित भी कर रहा है। यदि कोई योजना आयेगी तो उस पर विचार किया जायेगा।

Shri Shankar Dayal Singh: Major portion of the flood water in West Bengal Comes from the Damodar river. Is there any scheme to utilise the water of the Damodar river for irrigation purposes in Bihar thereby reducing the floods.

अध्यक्ष महोदय : यहां यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा : क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सुवर्णरेखा तटबंध योजना के लिये किसी वित्तीय सहायता की मांग की है जिसके लिये सरकार डोलोंग नदी पर अन्वेषण कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न उठता है ? क्योंकि इन नदियों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा : यह प्रश्न बाढ़ संरक्षण योजनाओं के बारे में है तथा इस नदी पर अन्वेषण किया जा रहा है।

डा० के० एल० राव : सुवर्णरेखा उन नदियों में से है जो बंगाल तथा उड़ीसा को क्षति पहुंचाती है। तटबंध बनाने के हमारे मूल विचार को अधिक समर्थन नहीं मिला है। अब हम जलाशयों की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके लिये उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के साथ अन्वेषण किये जा रहे हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने बताया कि वह एक योजना लायेगी। यह वह योजना लाती है और वह योजना उपयोगी पाई जाती है तो सुवर्णरेखा में बाढ़ नियंत्रण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे : इस बात को देखते हुए कि बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिये गंगा-कावेरी परियोजना का लक्ष्य है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि वह परियोजना कहां तक आई है ?

Mr. Speaker : It is about West Bengal.

Shri Vasantrao Purushottam Sathe : But the Ganga has a link with that.

Mr. Speaker : How waters of the Cauveri have come into West Bengal ?

Shri Vasantrao Purushottam Sathe : If waters of the Ganga come into the Cauveri, will there be no flood ?

डा० के० एल० राव : इस पर अभी निर्णय किया जाना है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने लोअर दामोदर परियोजना को पूरा करने के लिये धन की मांग की है ?

डा० के० एल० राव : जी, हां। लोअर दामोदर परियोजना प्राथमिकता परियोजनाओं में से एक है जिसके लिये भारत सरकार सहायता देने जा रही है। इस वर्ष उस परियोजना के लिये मेरे विचार में $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। वह राशि पश्चिम बंगाल सरकार को उस कार्य को करने के लिये दी जायेगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि दामोदर घाटी निगम योजना अधूरी है, पूरी नहीं हुई है। यह केन्द्रीय सरकार की परियोजना है। पहला उत्तर लोअर दामोदर योजना के बारे में था। मेरा प्रश्न समग्र दामोदर योजना के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है। वह केवल खड़े हो गए हैं इतने पर ही मैं उन्हें अनुमति देने के लिये बाध्य नहीं हूं।

श्री समर गुह : क्या सुवर्णरेखा परियोजना को पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा दोनों सरकारों ने स्वीकार किया था और कार्य भी आरम्भ कर दिया गया था, यदि हां, तो परियोजना कार्य कब आरम्भ किया गया था ? सुवर्णरेखा के बारे में सरकार जिस नवीकृत योजना पर विचार कर रही है उसे वास्तविक रूप प्रदान करने का सही समय क्या है तथा कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ? दूसरे, मैंने

32 लाख रुपये की लागत वाली एक छोटी परियोजना-बाराचोका मूल धारा परियोजना के बारे में मंत्री महोदय को अभ्यावेदन दिया है। गत पांच वर्षों में सिंचाई से सम्बद्ध विभिन्न अध्ययनों पर सरकार ने लगभग 50 लाख रुपये खर्च किये हैं। इस बाढ़ नियंत्रण परियोजना की लागत 11 करोड़ रुपये होगी। क्या बाराचोका परियोजना को आरम्भ किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक छोटी परियोजना के लिये 11 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं। वह मंत्री महोदय से यह कैसे आशा करते हैं कि वह प्रश्न-काल में इसका उत्तर दें ?

श्री समर गुह : पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे मंत्रालय को भेजा है।

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो अध्यक्ष क्या कर सकता है ?

डा० के० एल० राव : न तो पश्चिम बंगाल सरकार और न ही उड़ीसा ने इस परियोजना की मंजूरी दी है परन्तु माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि बायीं तरफ तटबंध न होने के कारण मिदनापुर जिले में काफी क्षति होगी। पहले हम तटबंध बनाने पर विचार कर रहे थे परन्तु बाद में पता चला कि तटबंध वाले क्षेत्र में बहुत से गांव बसे हुए थे और उनको भारी क्षति पहुंच सकती थी। इसके पश्चात् हमने सोचा कि पहले नदी-जल पर अवरोधक जलाशयों द्वारा नियंत्रण किया जाये। हम वही करने का विचार कर रहे हैं। मैं भी चिंतित हूं कि उस नदी पर नियंत्रण करने के लिये कोई कार्यवाही की जानी चाहिये। बिहार सरकार कुछ योजनाओं के साथ आगे आ रही है। मेरे विचार में हम इस दिशा में शीघ्र ही निर्णय करेंगे।

श्री समर गुह : श्रीमन्, दूसरे प्रश्न का क्या हुआ ? मंत्री महोदय ने उसका उत्तर नहीं दिया है। **(व्यवधान)** वह पश्चिम बंगाल द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई परियोजनाओं में शामिल है। मैंने जानना चाहा था कि क्या उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : वह खड़े नहीं हो रहे हैं। अगला प्रश्न।

भटिंडा स्थित ग्रेड दो के स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाना

*848. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा रेलवे स्टेशन पर स्थित ग्रेड दो का स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 14,000 रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है ;

(ख) क्या भटिंडा के रेलवे कर्मचारी बहुत समय से उस स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाने और चिकित्सीय सुविधाओं में वृद्धि करने की मांग करते रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। भटिण्डा में पहले ही ग्रेड-I का एक स्वास्थ्य केन्द्र मौजूद है जो वहां रहने वाले 3,162 रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri B. S. Bhaura : I think the hon. Minister has not gone through the question. I have asked about 14,000 Railway workers and he is replying abont 3 thousand workers. May I know the number of staff there and whether the facilities permissible there are given to them or not ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Yes, Sir, It is given in the question that there are 14,000 Railway workers but there are 3 thousand workers and the medicine facilities available for them have been considered sufficient.

Shri B. S. Bhaura : My question has not been replied. I asked about medical facilities for 14,000 workers and their families.

Mr. Speaker : You said that 14,000 workers and their families and the hon. Minister is saying that 3,000 workers and their families.

Shri B. S. Bhaura : While replying to the part (B) of the question, the hon. Minister has said that he has received no representation. Is it a fact that when the General Manager visited that place on March 4, and the workers asked for appointment the appointment was not given to them and they staged demonstration and the leaders who were pressing their demand were transferred from there ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I have said in reply that no representation has been received. But the facilities which are available at present to the workers there are considered sufficient. The hon. Member has asked in the question about the medicine facilities for 14,000 workers and their families and we have said that the facilities for 3,000 workers and their families are sufficient.

Shri B. S. Bhaura : The leaders who have been transferred were demanding......

Shri Mohd. Shafii Qureshi : We have no information if any local representation was given.

Agreement for Export of Railway Wagons to Ceylon

*850 **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have concluded an agreement for export of Railway wagons to Ceylon ; and

(b) if so, the sailent features thereof ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). No separate agreement for export of wagons has been concluded with the Government of Ceylon. In November, 1971, Government extended a line of credit of Rs. 50 million to the Government of Ceylon for purchase of capital goods and machinery from India. The agreement provides **inter-alia** a ceiling of Rs. 2.00 million for purchase of railway epuipments including wagons.

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the Railway wagons worth Rs. 2.00 million which are to be exported will be of all the three gauges—Broad-gauge, Metre-gauge and Narrow-gauge ?

Shri L. N. Mishra : There is arrangement of Broad-gauge in Ceylon and she would like to take broad-gauge wagons. But we have not yet entered into any agreement for this.

Shri Bibhuti Mishra : When the agreement of Rs. 5 crores was concluded, has any agreement been entered into for the export of railway epuipment worth Rs. 2.00 million out of this amount of Rs. 5 crores and by what time it will be exported ?

Shri L. N. Mishra : It depends on their demand. In view of the circumstances prevalent there, they have not been able to decide as to whether they would take coaches or wagons. We have said that we can give coaches worth Rs. 2.00 million but we are not also in a position to give more coaches. But if they demand, that will be seen.

दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर कुलियों द्वारा अप्रैल, 1972 में हड़ताल

+

*851. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुलियों को 100 नए लाइसेंस जारी किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के कुलियों ने 17 अप्रैल, 1972 को अचानक हड़ताल कर दी थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) लाइसेंसधारी भारिकों के एक भाग के मुख्यत: वर्तमान लाइसेंसधारी भारिकों के अलावा कुछ और अधिक भारिक रखने के बारे में रेल प्रशासन के निर्णय के विरोध में नयी दिल्ली स्टेशन पर 17 और 18 अप्रैल को हड़ताल कर दी थी। भारिकों की वर्तमान संख्या 576 है, और इसे अपर्याप्त समझा गया था तथा इस सम्बन्ध में यात्रियों से बहुत सी शिकायतें मिली थीं। इसे तथा यात्रियों की ग्रीष्म कालीन सामान्य भीड़-भाड़ को देखते हुए, भारिकों की संख्या बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव था। यह संख्या पहले ही 1969 में एक विस्तृत आकलन के आधार पर तय पायी गयी थी। दिल्ली मुख्य स्टेशन पर कोई हड़ताल नहीं हुई।

(ख) लाइसेंस धारी भारिकों की मांगें इस प्रकार थीं :—

(i) नयी दिल्ली स्टेशन पर लाइसेंसधारी भारिकों की संख्या न बढ़ायी जाये;

(ii) मृत लाइसेंसधारी भारिकों के बिल्लों को मृत लाइसेंसधारी भारिक के पुत्र, भाई या उसकी विधवा के भाई के अलावा उनके नजदीकी सम्बन्धियों के नाम करने की अनुमति होनी चाहिए;

(iii) वृद्धावस्था, अशक्तता, आदि के कारण जीवित लाइसेंस-धारी भारिकों के बिल्लों को उनके सम्बन्धियों के नाम करने की अनुमति होनी चाहिए।

ग्रीष्मकालीन भीड़-भाड़ की जरूरतें पूरी करने के लिए पहले से ही पेनल पर रखे 23 उम्मीदवारों को बुलावा भेजा गया। इनमें से 9 आये और 8 को ठीक पाया गया जिन्हें 17-4-72 को बिल्ले दे दिये गये। रेल उपमंत्री द्वारा 18-4-72 को बुलायी गयी लाइसेंसधारी भारिकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यद्यपि यह मान लिया गया था कि नयी दिल्ली स्टेशन पर लाइसेंसधारी भारिकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, तो भी जब तक रेलवे अधिकारियों द्वारा लाइसेंसधारी भारिकों के प्रति कुछ तथा कथित अनाचार सम्बन्धी आरोपों और उनकी मांगों की जांच पड़ताल न हो जाये, भारिकों की संख्या और न बढ़ायी जाये। ये आरोप अस्पष्ट थे और यह निश्चय किया गया कि हर एक भारिक को अपनी-अपनी खास शिकायतें लिखकर देनी होंगी, और उनकी जांच-पड़ताल मंडल अधीक्षक, दिल्ली द्वारा भी की जायेगी। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

मृत लाइसेंसधारी भारिक के लाइसेंस को उसके पुत्र या पुत्र न होने पर उसके भाई या उसकी विधवा के भाई के नाम अनुकम्पा के आधार पर इस विचार से कि वे, परिवार के नजदीकी होने कारण परिवार की सहायता करेंगे, बदल दिया जाता है। अन्य किसी नजदीकी सम्बन्धी के नाम बिल्ला बदलने की मांग की जांच की जा रही है।

ऐसे जीवित लाइसेंसधारी भारिकों के बिल्ले जो वृद्धावस्था के कारण अशक्त हो गये हैं उनके सम्बन्धियों के नाम बदलने के प्रश्न पर, निहितार्थी को दृष्टिगत रखते हुए, विचार किया जा रहा है।

श्री पी० एम० मेहता : जैसा कि विवरण में कहा गया है रेल कर्मचारी किस प्रकार के कदाचार बरतते हैं जिनसे कुलियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या रेल विभाग के इन कुलियों को भी वही सुविधाएं प्रदान करने की योजना है जो रेल कर्मचारियों को दी जाती हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस समय कुलियों की संख्या 576 है तथा इसमें वे 8 कुली सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें 17 अप्रैल 1972 को बैज दिये गये थे। मौसमी भीड़-भाड़ को तथा यात्रियों की संख्या में 50 लाख से 77 लाख की वृद्धि को ध्यान में रखते हुये हम कुलियों की संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं जिससे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुविधा मिल सके। किन्तु कुलियों ने इस वृद्धि का विरोध किया है क्योंकि उनके अनुसार इसमें कुछ सौदेबाजी की गई है। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं तथा कुलियों की भर्ती रोक दी गई है और आरोपों की जांच की जा रही है।

अन्य रेल कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इन कुलियों को प्लेटफार्म सम्बन्धी सुविधाएं दी जा चुकी हैं। कुलियों को उनके बच्चों को शिक्षा आदि की सुविधाएं भी दे दी गई हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : मंत्री महोदय ने बताया है कि इस समय अतिरिक्त कुलियों की भर्ती को बन्द कर दिया गया है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में विचार करेंगे कि कुलियों की संख्या में वृद्धि

करने से वर्तमान कुलियों की आय कम होगी अतः कुलियों की संख्या में वृद्धि के प्रश्न पर विचार करते समय क्या इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाए ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह समझना गलत है कि कुलियों की संख्या बढ़ाने से कुलियों की आय कम हो जाएगी क्योंकि यातायात में भी तो वृद्धि हुई है। मैं कह चुका हूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगभग 77 लाख यात्रियों को सम्भालना पड़ता है। अतः यातायात में वृद्धि के कारण उनकी आय कम नहीं होगी।

रबड़ की चीजों का उत्पादन

*852. **श्री वयालार रवि :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित समस्त प्राकृतिक रबड़ का उपयोग करने के लिये रबड़ की चीजों के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

इस समय विशेष रूप से देश में उत्पादित प्राकृतिक रबड़ की समस्त मात्रा को खपाने के उद्देश्य से रबड़ की चीजों के उत्पादन को बढ़ाने की कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है। फिर भी, देश में मोटर-गाड़ियों के टायरों तथा ट्यूबों के उत्पादन के लिए तेरह नये एक्कों को आशय-पत्र जारी करके अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिये पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं। प्रस्थापित लाइसेंस क्षमता के क्रियान्वित होने से प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सम्भवतः घरेलू मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त न हो।

श्री वयालार रवि : विवरण में कहा गया है कि सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। पता नहीं मंत्रालय क्या कर रहा है। क्या यह सच है कि गत दो वर्षों से उनकी नीति रबड़ का आयात करने की रही है और अब देश में लगभग 60,000 टन रबड़ का भण्डार है। 60,000 टन रबड़ को खपाने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है तथा इस मंत्रालय ने छोटे उत्पादकों की सहायता के लिये कानूनी तौर पर मूल्य निर्धारण के लिये क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार का प्रस्ताव बंगला देश के साथ कोई करार करने का है जिसके अन्तर्गत बंगलादेश को रबड़ का निर्यात किया जाए ?

श्री ए० सी० जार्ज : उत्तर में मैंने यह नहीं कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। विवरण में कहा गया है कि हमने 13 अतिरिक्त आशय पत्र जारी किये हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि गत दो-तीन वर्षों में भारी आयात किया गया है। महोदय ! मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्राकृतिक रबड़ का आयात 1969-70 में 17,821 टन था, 1970-71 में 2423 टन तथा 1971-72 में केवल 342 टन था। वर्ष के प्रारम्भ में, अप्रैल में भी आयात के यही आंकड़े थे। बाद में आयात के सभी लाइसेंस रद्द कर दिये गये थे। तथा ये 342 ऐसे थे जो अप्रेल से निलम्बित लाइसेंसों के रूप चले आ रहे थे।

जहां बंगलादेश को निर्यात किये जाने की सम्भावनाओं के बारे में माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है मैं सदन को यह जानकारी देने में प्रसन्नता का अनुभव करता हूं कि बंगला देश सरकार ने भारत से रबड़ खरीदने में अच्छी रुचि दिखाई है तथा आशा है कुछ ही दिनों में इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया जाएगा।

श्री वयालार रवि : 13 आशय पत्र दिये गये थे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने लोगों ने कारखाने आदि स्थापित करके अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। क्या उन आशय पत्रों के सम्बन्ध में कोई कार्य किया गया है ? क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है कि सम्पूर्ण रबड़ का व्यापार सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा जिससे रबड़ उत्पादकों को सरकार द्वारा निर्धारित निम्नतम मूल्य प्राप्त हो सकें। क्या टायर उद्योग के राष्ट्रीय-करण का भी प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों अच्छे मित्र दिखाई देते हैं। मंत्री महोदय उत्तर देने को सदा तैयार हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : डन्लप (इण्डिया) लिमिटेड को अम्बतूर संयंत्र के विस्तार के लिये अतिरिक्त क्षमता दी जा रही है। गुडईयर (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता, मद्रास रबड़ फैक्ट्री-इंचैक को भी अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इन क्षमताओं को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है।

जहां तक 13 कारखानों को आशय पत्र दिये जाने का सम्बन्ध है उनमें से चार या पांच ने परियोजनाओं की आधी कियान्विति करली है।

श्री वयालार रवि : क्या आप का प्रस्ताव व्यापार को सरकारी एजेंसियों के माध्यम से करने का है तथा टायर उद्योग को राष्ट्रीयकृत करने का है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह प्रस्ताव भारत सरकार की नीति के अनुकूल है तथा इस पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को ग्राम्य विद्युतीकरण के लिए विशेष वित्तीय सहायता

*853. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ग्राम्य विद्युतीकरण के तीव्र विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने विशेष वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी धन राशि आबंटित की गई है ;

(ग) क्या इन राज्यों ने ग्राम्य विद्युतीकरण के विकास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम अपनाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

चौथी योजना के दौरान, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत पम्पसेटों के विद्युतीकरण पर बल दिया जाना जारी है । ग्रामों का विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का गौण भाग है । चौथी योजना में केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है । केन्द्रीय सहायता और राज्यों के अपने संसाधनों को एक में मिला दिया जाता है और फिर राज्य सरकारें अपनी अपनी राज्य योजना में विकास के विविध शीर्षों के अन्तर्गत उनका आबंटन करती हैं । ग्राम विद्युतीकरण निगम ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में योगात्मक धन का प्रावधान करता है । उसने बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की, जहां ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति अखिल भारतीय औसत से कम है विद्युतीकरण स्कीमों और उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों को विशेष महत्व दिया है । निगम ने अब तक बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की क्रमश: 17,11 और 16 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं, जिनका ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

राज्य	स्वीकृत स्कीमों की संख्या	स्वीकृत ऋण की राशि (लाख रुपये में)	विद्युतीकृत ग्राम	पम्पसेट	लघु और कृषि उद्योग
बिहार	17	965.670	2,037	27,617	4,070
उड़ीसा	11	505.637	1,059	16,826	1,372
पश्चिम बंगाल	16	1186.679	3,387	12,784	13,659

आशा है कि ये स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार दो से पांच वर्षों तक की अवधि में पूर्ण हो जाएंगी ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल ने ग्रामीण विद्युतीकरण की एक परियोजना बनाई थी जिसके अनुसार 1973 तक 10,000 पम्प सैटों को चलाया जाना था ? क्या यह भी सच है कि अब प्रति मास ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल 253 गांवों को सम्मिलित किया जा रहा है, और यदि हां तो 1973 तक प्रस्तावित कार्यक्रम का केवल एक तिहाई कार्य ही पूरा हो सकेगा ? क्या ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की धीमी गति का कारण राज्य में धन राशि की कमी अथवा बिजली के खम्बों और तारों की कम सप्लाई है...

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि 1973 तक 10,000 गांवों में बिजली लगाने की योजना है, और यदि हां, तो क्या प्रति मास केवल 230 ग्रामों में बिजली लगाई जा रही है और यदि हां,

तो क्या इस गति से 1973 तक योजनाबद्ध लक्ष्य में से केवल एक-तिहाई लक्ष्य की प्राप्ति होगी और यदि हां, तो कार्यक्रम को इतनी धीमी गति से क्रियान्वित करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : पश्चिम बंगाल सरकार ने 10,000 गांवों में बिजली लगाने की मूल योजना तैयार की थी । किन्तु मुझे खेद है कि पहले तीन वर्षों में बहुत कम प्रगति हुई है । वहां की सरकार केवल 845 गांवों में बिजली लगा सकी है । यह कार्य बहुत कम है । अतः मैंने इस मामले पर राज्य के मुख्य मन्त्री से पत्र व्यवहार किया तथा उनसे अनुरोध किया कि वह स्वयं इस मामले में रुचि लें तथा कार्य तेजी से करायें । उन्होंने उत्तर में कहा कि मैं सम्पूर्ण व्यवस्था में तेजी ला रहा हूं तथा विद्युतीकरण कार्यक्रम अब शीघ्रता से पूरा किया जाएगा ।

जहां तक धनराशि का प्रश्न है विद्युतीकरण का विषय राज्य से सम्बन्धित है तथा धनराशि की व्यवस्था करना राज्य का ही कार्य है । तथापि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कुछ अतिरिक्त वित्तीय सहायता दे रहा है । उसने लगभग 12 करोड़ रुपयों की योजना की मंजूरी दी है जिससे अन्य अधिक गांवों में बिजली लगाई जा सकती है । वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि बंगाल में संबद्ध अधिकारी परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित करें ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार 10,000 गांवों में बिजली लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है तो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त हजारों युवा इंजीनियर बेरोजगार हो जाएंगे, यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री ने मन्त्री महोदय के साथ हाल की बातचीत के दौरान इस मामले को उठाया था, यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

डा० के० एल० राव : जैसा कि मैंने निवेदन किया है पहले तीन वर्षों में 10,000 गावों में बिजली लगाने के कार्यक्रम में बहुत कम प्रगति हुई है । इस कार्य को तेजी से पूरा कराने का कार्य बंगाल के मुख्य मन्त्री ने स्वयं अपने हाथ में लिया है, और मुझे आशा है कि इसमें तेजी आएगी । भारत सरकार को इस बात से बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस कार्यक्रम को तेजी से पूरा किया जा रहा है । ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में पश्चिम बंगाल देश में उन राज्यों में से तीसरा राज्य है जिनमें यह कार्य सबसे कम हुआ है । इस अन्तर को समाप्त करने के लिये बहुत कार्य किया जाना है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विदेश व्यापार मन्त्रालय द्वारा संचालित व्यापार संवर्धन, प्रचार और अनुसन्धान केन्द्र

*841. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा व्यापार संवर्धन, प्रचार और अनुसन्धान सम्बन्धी कितने केन्द्र चलाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष में कोई नया केन्द्र खोलने की योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो कहां ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) मन्त्रालय द्वारा एक भी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल जटा और काजू उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

*846. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार नारियल जटा और काजू उद्योगों के समूचे निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) नारियल जटा और काजू उद्योगों के समस्त निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Export of Machine Tools

*849. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the volume and value of exports of machine tools during the last three years, year-wise ; and

(b) if the exports have declined, the reasons therefor and the steps taken in this regard ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) Exports of machine tools during the last three years have been as follows :

Years	Value in Rs. lakhs
1969-70	296
1970-71	284
1971-72 (April, 71 to January 1972 only)	250

(b) There is only marginal decline in exports during 1970-71 as compared to 1969-70. During the year 1971-72 the exports are likely to reach the same level as in 1970-71. The main reason for the marginal decline has been stated to be high shipping freight. Other reasons mentioned in this connection are (a) General depression in the US industry, (b) Import surcharge imposed in USA and international monetary crisis. The following steps are taken to promote exports of machine tools in addition to the general steps being taken for increasing the export of engineering goods as a whole :

1. The Indian Machine Tools Manufacturers Association—an approved organisation for the purpose of assistance from Marketing Development Fund—has been given grants-in-aid for

(i) Participation in Hanover Fair 1970.

(ii) Inviting Foreign Buyers Delegation in December 1969.

2. M/s. Hindustan Machine Tools Ltd.,—a recognised Export House—were given matching grants-in-aid (Rs. 5.48 lakhs) from MDC for bringing out illustrated catalogues for distribution in overseas markets and to foreign buyers.

3. IMTMA—Indian Machine Tools Manufacturers Association—represented to the shipping Conference Lines for reduction of freight rates. As a result, reduction of freight on Lathes by US$8/- has been obtained effective from 1.8.1971.

4. A Market Orientation Team was sponsored to USA, Europe and Japan.

भारत के साथ यूरोपीय आर्थिक समुदाय के करार में फ्रांस की सरकार का सहयोग

*854. **श्री सी० टी० दंडपाणि :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने फ्रांस की सरकार से सहयोग मांगा था जिससे कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के शामिल हो जाने पर भारत के निर्यात व्यापार पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने का संतोषजनक हल निकाला जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वार्ता कहां तक सफल रही ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई समझौता हुआ है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). जी हां। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश से भारत के निर्यात व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में फ्रांस सरकार के अधिकारियों से बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान फ्रांस सरकार ने समुदाय के विस्तार से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के शीघ्र तथा संतोषजनक समाधान के लिये हमारे सुझाव के प्रति स्वीकारात्मक भावना प्रकट की।

Decision taken at E.C.A.F.E. regional co-operation in economic field

*855. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether at the E.C.A.F.E. Conference concluded recently, Asian countries took a decision to give priority to regional cooperation in economic fields ; and

(b) if so, the broad outlines of the decision taken by them in this regard ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L.N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) The 28th Annual Session of Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE) held at Bangkok from March 15-27, 1972, also marked the Silver Jubilee Anniversary of the establishment of this organisation. On the occasion, the Commission unanimously adopted a Declaration which broadly underlined the strategy and programme of action for further economic cooperation amongst the countries of the region. A copy of the Declaration adopted had already been placed in the Parliament Library.

त्रिपुरा में सिंचाई योजना

*856. **श्री दशरथ देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना में क्रियान्विति के लिए केन्द्रीय सरकार को त्रिपुरा सरकार से कोई सिंचाई योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). त्रिपुरा सरकार अपने राज्य में कुछ मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए सर्वेक्षण और अनुसन्धान कार्य कर रही है। विशिष्ट स्कीमों के लिए परियोजना रिपोर्टें और प्राक्कलन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

राज्य सरकार ने भी लगभग 4000 एकड़ भूमि में सिंचाई करने के लिए कृषि मन्त्रालय के लघु सिंचाई सेक्टर में तीन लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के लिए कुछ प्रारम्भिक प्रस्ताव तैयार किए हैं। केन्द्रीय सरकार ने अधिकारियों द्वारा दी गई तकनीकी टिप्पणियों की रोशनी में उनके द्वारा स्कीमों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

खडकेई सिंचाई परियोजना प्रतिवेदन

*857. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने खडकेई सिंचाई परियोजना के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग और योजना आयोग ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है ; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तावित खादकेई सिंचाई परियोजना में 8,900 हेक्टेयर की सिंचाई और फेरो वैनेडियम फैक्टरी को जल की सप्लाई करना परिकल्पित है। इस स्कीम की केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में तकनीकी जांच हो रही है।

भारतीय हथकरघा वस्त्रों के ब्रिटेन को निर्यात के शुल्क-मुक्त कोटे में वृद्धि

*858. **श्री निहार लास्कर :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार भारतीय हथकरघा वस्त्रों के निर्यात के शुल्क-मुक्त कोटे को 10 लाख वर्ग गज से 80 लाख वर्ग गज तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इस बारे में घोषित किये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या पहले के निर्यात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए नया कोटा उचित है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). 1970-71 में ब्रिटेन को 78 लाख वर्ग गज हथकरघे के सूती माल का जो निर्यात किया गया था, उसके मुकाबले ब्रिटेन के प्राधिकारियों ने 1972 में 80 लाख वर्ग गज हथकरघे के सूती माल के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है । तथापि, वे तौलियों तथा चादरों के शुल्क-मुक्त आयात के लिये सहमत नहीं हुए हैं । प्रस्ताव विचाराधीन है ।

कोव्वूर और कोठागुडड्म (दक्षिण रेलवे) के बीच नई रेलवे लाइन

*859. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे पर कोव्वूर और कोटागुड्डम के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस वर्ष सर्वेक्षण किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) हां श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Trade Agreements between India and France

*860. **Dr. Laxmi Narain Pandey :**
Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether two trade agreements have recently been signed between India and France; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). No trade agreements as such have recently been signed between India and France. A Protocol was signed between India and France on the 24th March, 1972 at Paris renewing the trade arrangement for a

further period of one year beginning from 1st January, 1972 to 31st December, 1972. The salient features of the Protocol are :

(a) The French Government have agreed to implement the Indo French Commercial Development Programme as proposed by India ;

(b) The French Government have agreed to assist India in stepping up the export performance of Indo-French joint ventures in India ;

(c) The French Government agreed to grant technical assistance for Indian participation in French trade fairs/exhibitions ;

(d) The French Government have agreed to offer all possible assistance for increasing Indo-French Cooperation in third countries ;

(e) A French TV team is expected to visit to produce a film on India's industrial and technical development with specific reference to its export potential.

पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण

6203. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पिछड़े जिलों के सर्वेक्षण के लिए कोई सर्वेक्षण दल नियुक्त किये हैं और यदि हां, तो क्या इन दलों ने सर्वेक्षण-कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन जिलों का सर्वेक्षण किया गया है और उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि सर्वेक्षण-कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, तो इसके कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). ग्रामों में विकासात्मक कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिये आधारभूत इंजीनियरी और कृषि सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करना आवश्यक है जो विकास की वैज्ञानिक और व्यवहार्य स्कीमें तैयार करने में सहायक होंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 550 सर्वेक्षण दलों द्वारा 17 राज्यों के 25 जिलों में सर्वेक्षण हाथ में लेने हेतु ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षण स्कीम को स्वीकृत किया गया है। इस स्कीम को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। स्टाफ की भरती की जा रही है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बहरहाल, वास्तविक सर्वेक्षण कार्य अभी आरम्भ किया जाना है। इसको स्टाफ के प्रशिक्षण के पश्चात् राज्यों द्वारा हाथ में लिया जाएगा।

अलीगढ़ के गुड्स-शेड में माल को चढ़ाने तथा उतारने का ठेका लेने वाली सहकारी समिति द्वारा उतारा तथा चढ़ाया गया माल

6204. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1971 से मार्च, 1972 के दौरान सहकारी समिति द्वारा, जिसके पास माल चढ़ाने तथा उतारने का ठेका था, अलीगढ़ गुड्स शेड पर, अनुसूची में दी गई प्रत्येक मद का

महीने-वार अलग-अलग कितना माल उतारा तथा चढ़ाया गया, और उसके द्वारा महीने-वार कितने राशि के बिल प्रस्तुत किये गये ;

(ख) समिति को मूलतः प्रति मास कितने मूल्य का ठेका दिया गया था ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि समिति ने कुछ रेलवे कर्मचारियों की सांठ-गांठ से अनुसूची की कुछ मदों में पद्धतिबद्ध ढंग से गड़बड़ी की थी जिससे कि रेलवे प्रशासन को अलाभ हो और समिति अवांछित भुगतान वसूल कर सके ; और

(घ) मार्च, 1972 तक समिति द्वारा कुल कितनी अवांछित धन राशि वसूल की गई और जिम्मेदार ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2034/72**]

(ख) 1,423,68 रुपये ।

(ग) रेल प्रशासन को एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच हो रही है ।

(घ) पूछताछ पूरी हो जाने पर ही परिणाम जाना जा सकता है ।

आन्ध्र प्रदेश के कड़प्पा, करनूल और अनन्तपुर जिलों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजनाएं

6205. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश के कड़प्पा, करनूल और अनन्तपुर जिलों के लिए जिलावार मन्जूर की गई योजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इन योजनाओं पर काम के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) योजनावार कितनी धनराशि मन्जूर की गई तथा वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(घ) क्या अब तक हुई प्रगति संतोषजनक है और यदि नहीं, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम, जिसकी स्थापना केन्द्रीय सेक्टर में 1969 में हुई थी, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य बिजली बोर्डों को योगात्मक धन देता है। निगम ने अब तक कुड्डापाह, कुर्नूल और अनन्तपुर जिलों के लिए एक-एक स्कीम स्वीकृत की है। इन स्कीमों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी जाती हैं :–

1. 42 ग्रामों, 1302 कृषि पम्पसेटों और 67 लघु और कृषि उद्योगों को विद्युत् सप्लाई के लिए 39.78 लाख रुपए की ऋण-सहायता से कुड्डापाह जिले के पुलीवेन्द्रा तालुक में ग्राम विद्युतीकरण ;

2. 43 ग्रामों, 1220 कृषि पंपसेटों के विद्युतीकरण के लिए और 84 लघु और कृषि उद्योगों को विद्युत् की सप्लाई के लिए 51.16 लाख रुपए की ऋण-सहायता से कुर्नूल जिले के पत्तीकोन्डा तालुक में ग्राम विद्युतीकरण ;

3. 45 ग्रामों, 1350 पम्पसेटों के विद्युतीकरण के लिए और 135 लघु और कृषि उद्योगों को विद्युत् की सप्लाई के लिये 45 लाख रुपए की ऋण सहायता से अनन्तपुर जिले के कादिरी तालुक में ग्राम विद्युतीकरण ।

(ख) जबकि कुड्डापाह जिले में स्कीम पर कार्य चार वर्षों में पूर्ण किया जाना है, कुर्नूल और अनन्तपुर जिलों की स्कीमों पर कार्य पांच वर्षों में पूर्ण होना है ।

(ग) और (घ). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	नीचे दी गई तारीख तक व्यय (लाख रुपये)	
1. कुड्डापाह जिले में ग्राम विद्युतीकरण	39.78	14.46	31-3-1972
2. कुर्नूल जिले में ग्राम विद्युतीकरण	51.16	11.33	31-1-1972
3. अनन्तपुर जिले में ग्राम विद्युतीकरण	45.00	6.43	30-9-1971

प्रगति संतोषजनक समझी गई है ।

श्री सैलम जलाशय से कृष्णा नदी के जल के बहाव को मोड़ना

6206. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि निर्माणाधीन श्री सैलम जलाशय से कृष्णा नदी के जल को रायल सीमा क्षेत्र के करनूल और कड़प्पा में ले जाने की जोरदार मांग है जिससे उन क्षेत्रों में व्याप्त अकाल की पुरानी स्थिति को स्थायी रूप से दूर किया जा सके ;

(ख) इस बारे में राज्य सरकार का विचार क्या है जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित किया गया है ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश सरकार से कुरनूल और कुड्डापेह के जिलों में सिंचाई के लिए श्री सेलम के जल के प्रयोगार्थ कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

6207. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची अभी तक तैयार नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों को स्थायी बनाने तथा उनकी पदोन्नति करने की क्या व्यवस्था है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) केवल परिचालन शक्ति शाखा के लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची अनन्तिम है, बाकी सूचियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

(ख) मुख्य यांत्रिक इंजीनियर कार्यालय के लिपिक संवर्ग को परिचालन शक्ति शाखा के साथ मिलाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) सामान्य नियमों का अनुसरण किया जाता है।

गुन्टूर मछरेला लाइन (दक्षिण-मध्य रेलवे) को बड़ी लाइन में बदलना

6208. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुन्टूर-मछरेला लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा नदेकुड़ो को बीबीनगर के साथ बड़ी लाइन से मिलाने की निश्चित परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की रूपरेखा क्या है और उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) परियोजना पर कार्य के कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार, यह परियोजना 324 कि० मी० लम्बी है और इस पर 22.82 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। रिपोर्टें विचाराधीन हैं और उनकी जांच पूरी हो जाने के बाद इस परियोजना के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

आंध्र प्रदेश में श्रीसेलम पन बिजली परियोजना के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि

6209. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में श्रीसेलम पन बिजली योजना के निर्माण पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) 1971-72 में इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई और 1972-73 के लिए कितनी धनराशि रखी गई;

(ग) क्या निर्माण कार्य निर्धारित समय सूची के अनुसार नहीं हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और कार्य के किस वर्ष तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1971-72 के अन्त तक 33.29 करोड़ रुपये ।

(ख) 1971-72 और 1972-73 प्रत्येक के लिए 4.20 करोड़ रुपये ।

(ग) धन की कमी के कारण परियोजना में धीमापन आ गया है ।

(घ) परियोजना अधिकारियों ने मशीनरी और संयंत्र के अग्रिम भुगतान के लिए और सिविल कार्यों को तेज करने के लिए अतिरिक्त धन मांगा है । वर्तमान व्यय की दर से 110 मैगावाट के प्रथम विद्युत् जनन यूनिट के पांचवीं योजना के अन्त तक चालू हो जाने की सम्भावना है ।

समस्तीपुर जाने वाली 20 डाउन हावड़ा गाड़ी के पर्यटक डिब्बे का लूटा जाना

6210. **श्री पम्पन गौडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 फरवरी, 1972 को समस्तीपुर जाने वाली 20 डाउन हावड़ा गाड़ी के पर्यटक डिब्बे को पूर्वोत्तर रेलवे में डाकुओं के एक गिरोह ने लूट लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) क्या पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, समस्तीपुर की रेलवे पुलिस ने डकैती का एक मामला दर्ज किया है । इस सम्बन्ध में पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

(ग) मामले की जांच अभी तक हो रही है ।

रेलवे में कर्मचारी परिषदों का पुनः बनाया जाना

6211. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी, परिषदें जो कि क्षमता बढ़ाने के लिये अर्थोपाय ढूंढ़ने तथा मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिए स्थापित की गई थीं अब निष्क्रिय हो गई हैं; और

(ख) क्या प्रशासन तथा मजदूरों दोनों के लाभ के लिए इन को पुनः बनाने और इनके पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). उत्पादन यूनिटों को छोड़कर रेलों पर कर्मचारी परिषदें 1967 में समाप्त कर दी गयी थीं । इन्हें फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बिहार में ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वे

6212. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के कुछ जिलों में ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वे ने सर्वेक्षण किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं और सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) . बिहार सरकार ने ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षणों के लिए मुंगेर और शाहाबाद जिलों को चुना है । सर्वेक्षण दलों के लिए अपेक्षित स्टाफ की भरती की जा रही है ।

बिहार में बिजली की मांग और सप्लाई

6213. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय बिजली की कितनी मांग है;

(ख) राज्य में वास्तव में बिजली का कितना उत्पादन होता है;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में राज्य में बिजली की कितनी मांग होने की संभावना है; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली की कितनी सप्लाई होने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) अनुमान लगाया गया है कि बिहार में इस समय बिजली की मांग 463 मैगावाट है ।

(ख) इस समय बिहार राज्य में वास्तविक विद्युत्-जनन, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड में 180.224 मैगावाट है जो कि दामोदर घाटी निगम प्रणाली में विद्युत्-जनन द्वारा अनुपूरित है ।

(ग) 431 मैगावाट जमा 414 मैगावाट की दामोदर घाटी निगम पर मांग जो कि कुल मिलाकर 845 मैगावाट हो जाती है ।

(घ) 555 मैगावाट जमा दामोदर घाटी निगम से प्राप्त सप्लाई ।

बिहार में रेलवे अस्पताल

6214. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिलावार कितने रेलवे अस्पताल हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में उनमें औसतन कितने रोगियों का उपचार किया गया है ;

(ग) क्या चालू वर्ष में अस्पतालों में कमरों की संख्या बढ़ाने तथा वहां पर औषधियों के स्टाक को बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) बिहार राज्य में रेलवे अस्पताल निम्नलिखित स्थानों पर हैं :—

धनबाद, दानापुर, गया, जमालपुर, चक्रधरपुर, टाटानगर, सोनपुर, समस्तीपुर, गड़हरा और कटिहार।

रेलवे अस्पताल की व्यवस्था करते समय जिन मुख्य बातों पर विचार किया जाता है वे हैं, उस स्थान विशेष पर कर्मचारियों का संकेन्द्रित होना। वह स्थान अन्य स्थानों से कितना अलग-थलग है, उस स्थान पर रेलवे सरकारी/नागरिक चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता, तथा वर्तमान केन्द्र तक पहुंचने के लिए गाड़ियों की उपलब्धता। इसलिए रेलवे अस्पताल रेलवे के मुख्यालय/मंडलों/उप-मंडलों के स्तर पर खोले जाते हैं, किसी राज्य के नागरिक जिलों के आधार पर नहीं।

(ख) औसत दैनिक उपस्थिति इस प्रकार है :—

	1969-70	**1970-71**
धनबाद	408.5	491.4
दानापुर	355.0	379.6
गया	201.0	190.2
जमालपुर	298.0	315.6
चक्रधरपुर	426.0	417.2
टाटानगर	266.3	301.6
सोनपुर	358.7	159.4
समस्तीपुर	467.0	471.0
गडहरा	343.8	481.7
कटिहार	681.2	671.0

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिलिका रेत के निर्यात का प्रस्ताव

6215. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम का केरल के शेरतलाई तथा अन्य तटवर्ती क्षेत्रों से सिलिका रेत के निर्यात का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उन देशों के नाम क्या हैं जिनको इस खनिज का निर्यात किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केरल के शेरतलाई तथा अन्य तटवर्ती क्षेत्रों से सिलिका रेत का निर्यात करने के लिये कोई ठोस प्रस्थापना खनिज तथा धातु व्यापार निगम के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न किस्म के कोयले के मूल्यों में वृद्धि

6216. **श्री टी० डी० कांबले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कोयले के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई ;

(ख) प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक किस्म के कोयले के मूल्य में कितनी वृद्धि की गई ;

(ग) क्या ग्रेड एफ० जी० एच० और ग्रेड नम्बर एक की तुलना में कोकिंग कोयले के ग्रेड ए० बी० सी० और डी० और नान कोकिंग कोयले के सलैक्टेड ग्रेड के मूल्य में अधिक वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जहां तक रेलों का सम्बन्ध है, पिछले तीन वर्षों में, अर्थात् 1969-70 से 1971-72 तक, कोयले की कीमतों में तीन बार वृद्धि की गई है।

(ख) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और रेलें ए० बी० सी० और डी० ग्रेड का कोकिंग कोयला नहीं खरीद रही हैं।

(घ) जब एफ०--और जी० ग्रेड का कोकिंग कोयला खरीदा जाता है तब उसके लिए वही कीमत दी जाती है जो ग्रेड 1 के गैर कोकिंग कोयले के लिए दी जाती है। जैसा कि संलग्न विवरण से ज्ञात होगा, हाल में जहां कहीं गैर कोकिंग कोयले के चुने हुए ग्रेडों की कीमतों में वृद्धि की गई है वहां वह वृद्धि ग्रेड 1 की कीमत में की गयी वृद्धि से अधिक है। 1971 और 1972 में कीमतों में जो वृद्धि की गयी थी, वह औद्योगिक लागतों और कीमतों के व्यूरो की सिफारिशों पर आधारित थी।

विवरण

कोयले का ग्रेड	प्रति मीटरिक टन बढ़ायी गयी कीमत (रुपयों में)		
पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्र	**1.10.69**	**1.1.1971**	**1.1.1972**
चुने हुए "ए"	0.70	—	2.01@
चुने हुए "बी"	0.70	—	1.92@
ग्रेड—I	0.70	—	1.73@
ग्रेड—II	0.70	—	1.46@

@यदि 1972 में पश्चिम बंगाल और बिहार कोयला क्षेत्रों से लदे हुए माल डिब्बों का भेजा जाना संतोषजनक नहीं समझा जाता तो कीमतों में 0.35 रुपये प्रति मीटरिक टन के हिसाब से वृद्धि कर दी जायगी।

कोयले का ग्रेड	प्रति मीटरिक टन बढ़ायी गयी कीमत (रुपयों में)		
कोरिया तथा रीवा और पेंच तथा चांदा कोयला क्षेत्र	**1.10.69**	**1.1.1971**	**1.1.1972**
चुने हुए	0.70	0.16	—
ग्रेड—I	0.70	—	—
ग्रेड—II	0.70	—	—
तालचेर कोयला क्षेत्र			
चुने हुए	0.70	4.33	—
ग्रेड—I	0.70	3.96	0.37
सिंगरेनी			
बिना ग्रेड वाले	0.70	—	1.71

संयुक्त भारत-श्रीलंका निर्यात कोटे के अन्तर्गत चाय का विपणन

6217. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा 1970 से लेकर मार्च, 1972 के अन्त तक वर्षवार संयुक्त भारत-श्री लंका निर्यात कोटे के अन्तर्गत कितनी चाय का निर्यात किया गया और जिन देशों को चाय निर्यात की गई, उनके नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : भारत-श्री लंका संयुक्त निर्यात कोटे की तुलना में भारत से काली चाय के वास्तविक निर्यात इस प्रकार हैं :

(मात्रा दस लाख किग्रा० में)

अवधि	भारत-श्रीलंका का संयुक्त कोटा	भारत से वास्तविक निर्यात
1970	420.9	204.4
जनवरी, 71 से मार्च, 72 तक (15 महीनों में)	506.0	249.7

भारत से जिन प्रमुख देशों को चाय का निर्यात किया गया, वे हैं : ब्रिटेन, आयरलैंड, पश्चिम जर्मनी, नीदरलैंड, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, संयुक्त अरब गणराज्य, सूडान, ट्यूनीशिया, इराक़, अफगानिस्तान, जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ।

जिला करनूल (आंध्र प्रदेश) के द्रोणाचलम जंक्शन और अडोनी के बीच नई रेल लाइन

6218. **श्री के० कोडन्डा रामी रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के करनूल जिले में द्रोणाचलम और अडोनी के बीच नई रेल लाइन बिछाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से, यातायात सम्बन्धी ऐसा कोई पर्याप्त औचित्य दिखायी नहीं देता जिससे कि यह रेल सम्पर्क अर्थक्षम होगा ।

उत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर सामान उतारने चढ़ाने का कार्य करने वाले नैमित्तिक मजदूरों को भुगतान

6219. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के हाथरस, किल्लाह, शिकोहाबाद, जुही, फजलपुर, कानपुर सैन्ट्रल गुड्स शेड और मिर्जापुर पर किस तारीख से नैमित्तिक मजदूर सामान उतारने चढ़ाने का कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या छः महीनों से अधिक समय से काम कर रहे नैमित्तिक मजदूरों को केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों के अनुसार मंजूरी दी गई है ; और

(ग) वहां पर स्थायी प्रबन्ध कब तक कर लिये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क)

स्टेशन	**तारीख**
हाथरस किला	10-2-1970
शिकोहाबाद	3-9-1968
जूही (फजलगंज सहित)	22-6-1971
कानपुर सेंट्रल गुड्स शेड	1-6-1971
मिर्जापुर	1-12-1971

(ख) जी हां, छः महीने की **लगातार** सेवा पूरी करने पर । प्रश्न के भाग (क) में जिन नैमित्तिक मजदूरों का उल्लेख किया गया है, उन्होंने छः महीने की **लगातार** सेवा नहीं की ।

(ग) नये सप्लाई ठेकेदारों की नियुक्ति को शीघ्रता से अंतिम रूप देने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

फरयालपुर सहित जुही पर सामान उतारने चढ़ाने के ठेके के लिए टेण्डर

6220. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्होंने फरयालपुर सहित जूही में सामान उतारने चढ़ाने के ठेके के लिए 8 जून, 1971 को टेण्डर दिये थे तथा प्रत्येक टेण्डर का प्रतियोगातमक मासिक मूल्यांकन क्या है और टेण्डर देने वालों की सामान के लदान चढ़ान के क्या आंकड़े दिये गये थे जिनके आधार पर मूल्यांकन किया गया था;

(ख) क्या जनता के समक्ष टेण्डर खोलने के पश्चात् टेण्डर देने वालों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई थी कि सामान के उतारने चढ़ाने के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर कर बताया गया था और वे गुमराह करने वाले थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगाने के लिए कि शिकायतें ठीक थीं अथवा नहीं, कोई जांच कराई गई थी और इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) मेसर्स बी० आर० मंगल एण्ड कम्पनी कानपुर और रेलवे लेबर को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कानपुर ने फजलगंज (न कि फजलपुर) सहित जूही में माल चढ़ाने-उतारने के ठेके के लिए 8.6.71 को अपने टेण्डर दिये थे और उनका मासिक मूल्यांकन क्रमश: 11,440.59 रुपये और 13,793.94 रुपये था। इन दो स्थलों के औसत मासिक यातायात से सम्बन्धित आंकड़ों के बारे में टेण्डर दाताओं को सप्लाई किया गया विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2035/72**]

(ख) जी हां। एक टेण्डर दाता मेसर्स बी० आर० मंगल एण्ड कम्पनी से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ग) चूंकि पिछला ठेका 11,500 रुपये प्रति मास के एक मुश्त आधार पर था, इसलिए यातायात के वास्तविक आंकड़े इक्ट्ठे नहीं किये गये थे और नये टेण्डर मांगते समय अनुमानित आंकड़े बताये गये थे और इस आशय की स्पष्ट टिप्पणी दे दी गयी थी। मेसर्स बी० आर० मंगल एण्ड कम्पनी, कानपुर से शिकायत प्राप्त होने पर आंकड़ों का सत्यापन किया गया और वे अधिक पाये गये और उन्हें यातायात के वास्तविक आकड़ों से अवगत करा दिया गया।

बिहार में पुनपुन नदी पर बांध बनाना

6221. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गया जिले तथा उसके साथ लगने वाले क्षेत्रों को एक लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए बिहार में पुनपुन नदी पर बांध बनाने हेतु संभाव्यता-अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं, इस बांध से कितनी सिंचाई क्षमता उत्पन्न होने की सम्भावना है और इससे किन क्षेत्रों को पानी मिल सकेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) . बिहार सरकार ने कुछ समय पूर्व सूचित किया था कि गया जिले की लगभग 16,000 एकड़ और पटना जिले की लगभग 30,000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए गया जिले में हमीदनगर ग्राम के निकट पुनपुन नदी के ऊपर एक बराज के लिए अन्वेषण किये गये थे। बहरहाल, स्कीम अभी तक केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग को नहीं भेजी गई है।

दाहोद, पश्चिम रेलवे के नैमित्तिक मजदूरों को अस्थायी कर्मचारियों का दर्जा देना

6222. **श्री बी० आर० परमार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के दाहोद में ए० ई० एन० (आई) के अधीन काम करने वाले उन नैमित्तिक मजदूरों की संख्या कितनी है जिनको अधिकृत वेतनमान में अस्थायी कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया गया है यद्यपि उन्होंने छः महीने से अधिक की निरन्तर सेवा कर ली है; और

(ख) ऐसा कब तक कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नागपुर डिवीजन के इतवारी ग्रुप के स्टेशनों पर माल तथा पार्सल चढ़ाने तथा उतारने का कार्य करनेवाले ठेकेदार को दिये गये रेलवे क्वार्टर

6223. **श्री अजीज इमाम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 में नागपुर डिवीजन के इतवारी ग्रुप के स्टेशनों पर माल तथा पार्सल चढ़ाने तथा उतारने का कार्य करने वाले ठेकेदार को 30 रेलवे क्वार्टर दिये गये थे;

(ख) क्या इन क्वार्टरों का किराया ठेकेदार के मासिक बिलों से वसूल किया गया था, और यदि नहीं, तो किराया किस प्रकार वसूल किया गया था; और

(ग) क्या इस मामले के बारे में ठेकेदार तथा प्रशासन के बीच विवाद था; और यदि हां, तो इसको किस प्रकार हल किया गया था ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, 31.8.1969 तक।

(ख) मई, 1967 तक इन क्वार्टरों का किराया हर महीने वसूल किया जाता था। शेष अवधि का किराया ठेकेदार के बाद के बिलों से अपेक्षाकृत कम किस्तों में वसूल किया गया था।

(ग) जी हां, विवाद किराये में वृद्धि के बारे में था और इसे पंचाट के माध्यय से निबटाया गया।

बंगला देश को तेंदु पत्तों का निर्यात

6224. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की सरकार ने बीड़ी बनाने वाले मजदूरों को रोजगार देने के लिये भारत से तेंदु पत्तों का आयात करने की इच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) व्यापार करार के अन्तर्गत भारत से तेंदु पत्तों का आयात करने के लिये बंगला देश की सरकार से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में खरीदा गया तम्बाकू

6225. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने आन्ध्र प्रदेश में अब तक कितना तम्बाकू खरीदा है और उसका मूल्य क्या है; और

(ख) तम्बाकू के इन भण्डारों का कैसे निपटारा किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम ने 93.0 लाख किग्रा कच्चा तम्बाकू खरीदा है। उस पर जो कीमतें दी गईं वे खरीद गये तम्बाकू के वर्गों के अनुसार अलग-अलग थीं, किन्तु उन कीमतों से कम नहीं थीं जो 1971 में दी गई थीं ।

(ख) इन स्टाकों को निपटाने के लिये बाजारों का पता लगाने के लिये राज्य व्यापार निगम प्रयास कर रहा है ।

राज्य व्यापार निगम की कुल बिक्री के बारे में इसके अध्यक्ष का वक्तव्य

6226. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1972 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित राज्य व्यापार निगम की कुल बिक्री के आंकड़ों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें वे सभी निर्यात भी शामिल हैं जो गैर-सरकारी आयोगों द्वारा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) ये आंकड़े राज्य व्यापार निगम तथा इसके अनुषंगी निगमों द्वारा किये गये प्रत्यक्ष व्यापार को दर्शाते हैं ।

मेल रेलगाड़ियों में विभागीय खान-पान व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय

6227. **श्री समर गुह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई मेल रेलगाड़ियों में विभागीय खान-पान व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर गैर सरकारी खान-पान सेवा आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). केवल 1 अप/2 डाउन कालका मेल गाड़ियों के सम्बन्ध में ठेकेदार को भोजन यान का प्रबन्ध हस्तान्तरित करने का विनिश्चय किया गया है क्योंकि रेलों द्वारा इस सेवा को जारी रखना लाभप्रद नहीं पाया गया। अभी तक अन्य गाड़ियों के विषय में कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

अपरिष्कृत पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य

6228. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपरिष्कृत पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य सांविधिक आधार पर निर्धारित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). 1972-73 के मौसम के लिये कच्चे पटसन की कीमत नीति पर कृषि कीमत आयोग द्वारा की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं। आशा है इस मामले में सरकार के विनिश्चयों की घोषणा शीघ्र ही कर दी जायेगी।

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार पटसन के सांविधिक मूल्य

6229. **श्री एच० एम० पटेल** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने पटसन के लिये न्यूनतम सांविधिक मूल्यों की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्यों की सिफारिश की गई है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). 1972-73 के मौसम के लिये कच्चे पटसन की कीमत नीति पर कृषि सम्बन्धी कीमत आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि इस मामले में सरकार के विनिश्चयों की घोषणा शीघ्र ही कर दी जायेगी।

अखिल भारतीय विधि सेवा का बनाया जाना

6230. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आदि के अनुरूप अखिल भारतीय विधि सेवा आरम्भ करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). विधि आयोग ने, अपनी चौदहवीं रिपोर्ट "न्यायिक प्रशासन का सुधार" में यह सिफारिश की थी कि न्यायिक प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ढांचे पर एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाई जानी चाहिए । इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया गया । विभिन्न कारणों से अधिकांश राज्य सरकारें प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थीं । अतः मामले पर आगे कार्यवाही नहीं की गई ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दिया जाना

6131. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने विद्युत् उत्पादन के बारे में गत तीन वर्षों में कितने प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दिया है ;

(ख) आयोग द्वारा की गई कितनी सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) क्या उक्त सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने 18 परियोजना रिपोर्टों को तैयार करके अन्तिम रूप दिया है जिनमें पांच ताप उत्पादन के लिए हैं और 13 जल-विद्युत् उत्पादन के लिए शामिल हैं ।

(ख) और (ग). इन रिपोर्टों में प्रत्येक उत्पादन स्कीम के लिए तकनीकी योजना शामिल है और इन्हें कार्यान्वियनार्थ मूल आधार के रूप में अपनाया जा रहा है ।

ये परियोजना रिपोर्टें विद्युत् सेक्टर योजना के भाग के रूप में हैं और ये पंच वर्षीय योजनाओं के स्वीकृत अन्तर्विषय के अनुसार क्रियान्वित की जाएंगी ।

पटसन के समर्थन मूल्य में वृद्धि

6232. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार पटसन उत्पादकों के लाभ के लिए पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये प्रदि क्विंटल तक बढ़ाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है। 1972-73 के मौसम के लिये न्यूनतम समर्थन कीमत कृषि सम्बन्धी कीमत आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर निश्चित की जायेगी।

कडना परियोजना को बहु-उद्देश्यीय परियोजना में बदलना

6233. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अन्तर-राज्यीय कडना परियोजना को बहु-उद्देश्यीय परियोजना में बदलने के लिए स्वीकृति देने हेतु योजना आयोग से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) गुजरात सरकार ने कडाना सिंचाई बांध पर 240 मैगावाट की क्षमता की एक पम्प संचय विद्युत जनन स्कीम का प्रस्ताव किया है जो अब निर्माणाधीन है।

(ख) सलाहकार समिति ने योजना आयोग द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सिफारिश कर दी है।

ब्रिटेन और नीदरलैंड से स्थानान्तरित की जाने वाली कम्पनियों की परिसम्पत्तियों का मूल्य

6234. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री ब्रिटेन और नीदर लैंड से संयंत्रों का भारत में स्थानान्तरण करने के बारे में 29 मार्च, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 181 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में स्थानान्तरण की जा रही प्रत्येक कम्पनी की परिसम्पत्ति का शुद्ध मूल्य क्या है ;

(ख) भारतीय फर्में इन प्रत्येक फर्मों को किस मूल्य पर खरीद रही हैं ; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों को इन विदेशी फर्मों को खरीदने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). दिनांक 29 मार्च, 1972 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 181 के उत्तर में उल्लिखित सौदों में भारतीय

फर्मों द्वारा विदेशी फर्मों की खरीद शामिल नहीं है। उनमें भारतीय फर्मों द्वारा सम्बन्धित विदेशी फर्मों से पूंजीगत उपस्करों का आयात शामिल है। इन उपस्करों को भारतीय फर्में भारत में विदेशी फर्मों की सहायता से भारत से निर्यात किये जाने वाले माल के उत्पादन के लिये लगायेंगी। इन प्रबन्धों से सम्बन्धित ब्यौरा तारांकित प्रश्न संख्या 181 के उत्तर में पहले ही दिया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जान कपड़ा मिल, आगरा का बन्द होना

6235. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जान कपड़ा मिल, आगरा मालिकों के बीच कुछ मतभेद के कारण बंद पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप गत कई वर्षों से हजारों कर्मचारी बेरोजगार हैं ;

(ख) क्या मिल को अपने नियंत्रण में लेकर इसे सहकारी आधार पर चलाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है कि मिल मालिकों के बीच मतभेद के कारण बन्द पड़ी है।

(ख) जी नहीं। मिल को समाप्त करने योग्य समझा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

थाईलैण्ड में इस्पात परियोजना की स्थापना

6237. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाईलैण्ड में भारत-थाईलैण्ड इस्पात परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). इस्पात के उत्पादन के लिये थाईलैण्ड में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की कोई नई प्रस्थापना नहीं है। भारतीय औद्योगिक संयुक्त उद्यम के रूप में एक भारत-थाई इस्पात परियोजना को 1969 में मंजूरी दी गई थी और उसकी स्थापना की जा रही है।

Transportation of Goods from Europe

6238 **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether India has to spend much more on import and export of goods in the form of shipping charges due to closure of the Suez Canal ;

(b) if so, whether Government are trying to find out any other route for transporting goods to Europe or U.S.S.R. through Trans-Siberian Railway or by some other sea route; and

(c) if so, the routes being explored?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir. India is incurring more expenditure on freight on imports and exports as a result of closure of Suez Canal.

(b) and (c). There is no proposal for transporting goods to Europe or USSR through Trans-Siberian Railway. Few other proposals involving transit through certain countries including Iran have been made from time to time but none has materalised so far.

Imported motor vehicles allotted to various companies and Corporations in Public Sector

6239. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the number of imported motor vehicles allotted to the Companies and corporations in the public sector during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : The number of imported motor vehicles sold in the last three years to the companies and corporations in the public sector by the State Trading Corporation is as follows :

1969-70	4
1970-71	4
1971-72	4

बंगलादेश को तम्बाकू तथा तम्बाकू के पत्तों का निर्यात

6242. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से बंगला देश को तम्बाकू तथा तम्बाकू के पत्तों के निर्यात के बारे में कोई करार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). भारत तथा बंगला देश के बीच जो व्यापार करार मार्च, 1972 में सम्पन्न हुआ था, उसमें सीमित भुगतान प्रबन्ध के अन्तर्गत बंगला देश को 10 करोड़ रु० मूल्य की अनिर्मित तम्बाकू निर्यात करने की व्यवस्था है। दोनों सरकारों के बीच यह सहमति हुई है कि इस मद का व्यापार भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा बंगला देश के व्यापार निगम द्वारा सम्भाला जाएगा।

निर्वाचन विधि में संशोधन करने संबंधी विधेयक

6243. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन विधि में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक सदन में कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : संसद् में दिए गए आश्वासन के अनुपालन में, निर्वाचन विधि के संशोधन के लिए प्रस्ताव दोनों सदनों की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट कर दिए गए थे। 13 मार्च, 1972 को संसद् के समक्ष रखी गई संयुक्त समिति की रिपोर्ट की सरकार द्वारा परीक्षा की जा रही है और रिपोर्ट की परीक्षा के पश्चात् यथासंभव शीघ्र आवश्यक विधान संसद् में पुरःस्थापित किया जाएगा।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात किये जाने के लिये मंजूर किया गया हार्ड कोक

6244. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 से 1971 तक खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात किए जाने के लिए मंजूर किये गये हार्डकोक के मूल्य और मात्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) निर्यात के लिए किन-किन पार्टियों को ठेका दिया गया ; और क्या उक्त कार्य के लिए कोई टेण्डर मांगे गये थे और यदि हां, तो प्रत्येक पार्टी द्वारा दी गई दरों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में खनिज तथा धातु व्यापार निगम की निर्धारित नीति और स्थायी अनुदेश के अनुसार दो करोड़ रुपये से अधिक के प्रत्येक सौदे के लिए भारत सरकार की पूर्व-स्वीकृति लेनी होती है और यदि हां, तो क्या इस मामले में भी खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इस नीति का पूर्णरूप से पालन किया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970 के दौरान प्राइवेट पार्टियों की मार्फत निर्यात के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मंजूर किये गये हार्ड कोक की कुल मात्रा 180,500 टन है जिसका मूल्य 180.68 लाख रु० है। 1969 और 1971 के दौरान इसके निर्यात के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई थी।

(ख) इस अवधि के दौरान हार्ड कोक के निर्यात हेतु मे० टी० एम० शाह और मे० एच० के० एन्टरप्राइज नामक केवल दो फर्मों ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अनुमोदन के लिए संविदायें भेजी थीं। निर्यात के लिए हार्ड कोक की मंजूरी देने के प्रयोजनार्थ कोई निविदा नहीं मांगी गई थी क्योंकि उपरोक्त पार्टियों ने विदेशी क्रेताओं के साथ पहले से ही बिक्री की बातचीत कर ली थी और हार्ड कोक के निर्यात के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा कर दिया था।

(ग) तथा (घ). जी नहीं। खनिज तथा धातु व्यापार निगम सरकार की पूर्व अनुमति लिये बिना 4 करोड़ रु० से कम मूल्य तक की संविदायें कर सकता था। संबंधित संविदाओं के बारे में खनिज तथा धातु व्यापार निगम स्वयं इन संविदाओं को अंतिम रूप से तय करने के लिए सक्षम था।

पटसन मूल्यों का अलाभप्रद उतार-चढ़ाव

6245. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 20 अप्रैल, 1972 के हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड के सम्पादकीय पृष्ठ पर "रोबिंग पीटर टू रिवार्ड पोल" शीर्षक के अन्तर्गत पटसन मूल्यों के अलाभप्रद उतार-चढ़ाव के बारे में प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) पटसन की न्यूनतम समर्थन कीमत प्रत्येक वर्ष कृषि कीमत आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाती है। कीमत समर्थन करने के लिये प्रबन्ध भी किये जाते हैं। भारतीय पटसन निगम के प्रभावी ढंग से कार्य करने तथा कानूनी आधार पर कच्चे पटसन की न्यूनतम कीमत निश्चित होने पर यह आशा की जाती है कि उपजकर्ताओं के हितों की पूर्णरूपेण सुरक्षा हो जायेगी।

सक्सेरिया मिल्स लिमिटेड, बम्बई को अधिकार में लेना

6246. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सक्सेरिया मिल्स लिमिटेड, बम्बई को अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15 क के अन्तर्गत सक्सेरिया मिल्स लिमिटेड, बम्बई के कार्यों की जांच करने की अनुमति लेने के लिए सरकार ने उच्च न्यायालय, बम्बई में याचिका दी है। उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

रेलवे में भ्रष्टाचार का उन्मूलन

6247. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सार्वजनिक जीवन के व्यक्तियों ; सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का, जिनमें संसद् सदस्य भी शामिल हैं, सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं, लेकिन जनसाधारण और सामाजिक कार्य-कर्त्ताओं की ओर से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सुझावों का सदा स्वागत है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा स्टोर (उत्तर रेलवे) को चलाने के लिये स्टोर कीपर के पद का बनाया जाना

6248. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1969 में हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के बाद डिवीजनल चिकित्सा अधिकारी (उत्तर रेलवे) दिल्ली ने रेलवे प्रशासन को चिकित्सा स्टोर को चलाने के लिये जुलाई, 1970 से 270-380 रुपये के वेतनमान में स्टोर कीपर का पद बनाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). मंडल चिकित्सा अधिकारी, दिल्ली द्वारा उत्तर रेलवे के दिल्ली स्थित मुख्य अस्पताल के लिए 270-380 रु० के ग्रेड में स्टोर कीपर के एक पद के सृजन का प्रस्ताव किया गया था लेकिन इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं पाया गया।

बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में "एस एण्ड टी" विभाग में प्रशिक्षण तथा अन्य प्रयोजनों के लिये भेजे गये व्यक्तियों के बदले में छुट्टी रिजर्व का उपयोग

6249. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर डिवीजन में प्रत्येक 30 इलैक्ट्रिकल सिगनल मेंटेनर्स ग्रेड के लिये और प्रत्येक 40 मैकेनिकल सिगनल मेंटेनर्स के लिये केवल एक छुट्टी रिजर्व कर्मचारी की व्यवस्था है ;

(ख) क्या उक्त एक छुट्टी रिजर्व कर्मचारी का उपयोग केवल प्रशिक्षण पर जाने वाले कर्मचारियों और अन्य रिक्त स्थानों के लिये किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के छुट्टी वेतन के अवसर कम हो गये हैं ; और

(घ) इस बारे में रेलवे प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। ग्रेड I के 21 बिजली सिगनल मैन्टेनर्स के लिए छुट्टी रिजर्व के दो पद और ग्रेड II और ग्रेड III के 42 यांत्रिक सिगनल मेंटेनर्स के लिए छुट्टी रिजर्व खलासियों के 5 पद हैं। बीकानेर मण्डल में ग्रेड I के यांत्रिक सिगनल मेंटेनर्स का कोई पद नहीं है।

(ख) प्रशिक्षण के लिए भेजे गये कर्मचारियों के बदले छुट्टी रिजर्व का उपयोग किया जा रहा है लेकिन खाली पदों के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता।

(ग) जी हां, कुछ सीमा तक ।

(घ) बिजली सिगनल मेंटेनर्स और यांत्रिक सिगनल मेंटेनर्स के प्रशिक्षार्थी-रिजर्व पदों के सृजन के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

चलचित्रों का निर्यात

6250. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में कितने चलचित्रों का निर्यात किया गया ;

(ख) प्रत्येक भाषा की कितनी-कितनी फिल्में निर्यात की गईं ;

(ग) क्या उनका मंत्रालय भारतीय फिल्मों को केवल व्यापारिक दृष्टि से निर्यात करता है अथवा सांस्कृतिक आधार पर भी निर्यात करता है ; और

(घ) सांस्कृतिक आधारों पर निर्यात की गई हिन्दी फिल्मों पर फिल्में मंगाने वाले देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970-71 और 1971-72 (अक्तूबर 1971 तक) के दौरान निर्यातित फिल्मों की मात्रा और कीमत दर्शाने वाला एक बिवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2036/72]**

(ख) निर्यातित फिल्में किस भाषा की हैं उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि व्यापार खातों में फिल्मों के निर्यात आंकड़े भाषा के अनुसार अभिलिखित नहीं किये जाते ।

(ग) पत्तनों पर संविदाओं के पंजीकरण के अधीन रहते हुए फिल्मों के निर्यात लाइसेंस मुक्त रूप से दिये जाते हैं । फिल्मों का निर्यात वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक आधार पर किया जा रहा है ।

(घ) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

गंगा को कावेरी से मिलाये जाने का फरक्का के जल पर प्रभाव

6251. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :**
डा० रानेन सेन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा को कावेरी से मिलाने की प्रस्तावित योजना से फरक्का के जल पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा सिंचाई मंत्री से अप्रैल, 1972 में इस संबंध में कोई विचार-विमर्श किया था ; और

(ग) यदि हां, तो विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) राष्ट्रीय जल ग्रिड में, उच्च प्रवाह की अवधियों में (जून से अक्तूबर/नवम्बर) गंगा के फालतू पानी के केवल एक छोटे

से भाग के, गंगा बेसिन के बाहर, व्यपवर्तन की परिकल्पना की गई है। इस अवधि में, गंगा में बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है और फरक्का तथा गंगा बेसिन की अन्य परियोजनाओं की कल्पनीय आवश्यकताओं से बहुत अधिक होता है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त स्थिति पश्चिम बंगाल सरकार को स्पष्ट कर दी गई थी।

भटिंडा (उत्तर रेलवे) पर कर्मचारी क्वार्टरों की कमी

6252. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की भारी कमी हैं ;

(ख) क्या रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था करने हेतु कुछ बड़े बंगलों का विभाजन करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के क्या निष्कर्ष निकले हैं और भटिंडा में रेलवे कर्मचारियों के लिये और अधिक क्वार्टरों की व्यवस्था करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों के बड़े बंगलों के विभाजन के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए और अधिक क्वार्टरों की व्यवस्था के लिए कोई अन्य उपाय नहीं किये गये हैं।

भटिंडा (उत्तर रेलवे) में स्टाफ कंटीन

6253. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने गत वर्ष भटिंडा स्टेशन पर स्टाफ कंटीन स्थापित करने का निर्णय किया था ;

(ख) क्या वहां पर उनके लिये एक भी कंटीन की व्यवस्था नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी व्यवस्था कब तक की जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). भटिण्डा रेलवे स्टेशन पर एक कंटीन खोलने का प्रस्ताव क्षेत्रीय रेल-प्रशासन के विचाराधीन है।

श्रीलंका को रेल वैगन निर्यात करने के लिये समझौता

6254. **श्री विभूति मिश्र :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने श्रीलंका को रेल के डिब्बों का निर्यात करने के बारे में कोई समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे दर अधिकरण के समक्ष विचाराधीन मामले

6255. **श्री विभूति मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दर अधिकरण के समक्ष बहुत बड़ी संख्या में वर्ष 1966 तक के पुराने मामले विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की वर्तमान संख्या कितनी है और वर्ष 1969, 1970 और 1971 में कितने मामलों पर निर्णय किया गया ; और

(ग) इन मामलों का शीघ्र निबटारा करने और विलम्ब को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). इस समय रेलवे दर अधिकरण के पास 17 शिकायतें/आवेदन पड़े हैं जिनमें से एक 1966 का है ।

1969, 1970 और 1971 में जिन मामलों का निर्णय किया गया, उनकी संख्या क्रमशः एक, चार और शून्य है ।

(ग) अधिकरण एक न्यायालय के रूप में अपनी न्यायिक दायिता के साथ मामलों का निपटारा यथासंभव शीघ्रता से करता रहा है ।

Facilities Demanded from Developed Countries at UNCTAD III in Chile

6256. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Indrajit Gupta :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether he stated at the meeting of U.N.C.T.A.D. in Santiago (Chile) that the aim with which UNCTAD was set up, has not been achieved ; and

(b) if so, the nature of the facilities demanded from the developed countries for solving the problems of developing countries ; and

(c) the response of the developed countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : No, Sir. What is stated is the lack of positive response from the developed countries to the adoption of measures recommended by UNCTAD to facilitate access to their markets to the products of developing countries and bringing in the structural changes with a view to promote the world commercial pattern on a systematic and progressive basis.

(c) At the moment the main Committees and the sessional bodies set up by the Conference to go into the various substantive issues are engaged in negotiations. It is therefore, premature at this stage to know the response of the developed countries thereon.

तेन्दु पत्तियों का निर्यात

6257. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका को 'तेन्दु' पत्तियों का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितना निर्यात किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ;

(ग) क्या कुछ अन्य देशों को भी इन पत्तियों का निर्यात किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान श्रीलंका को किये गए निर्यात इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (लाख मे०)	मूल्य (लाख रु० में)
1969-70	23.0	55
1970-71	28.0	78
अप्रैल से नवम्बर, 1971	5.6 (अब तक उपलब्ध आंकड़े)	17

(ग) जी हां।

(घ) नेपाल और दक्षिण यमन जनवादी गणराज्य।

रबड़ उत्पादों के लिये प्राकृतिक रबड़ की आवश्यकता

6258. **श्री वयालार रवि :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में देश में कुल कितने रबड़ उत्पादों की मांग है तथा इस मांग को पूरा करने के लिये कुल कितनी प्राकृतिक रबड़ की आवश्यकता है ;

(ख) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में देश में कुल कितना रबड़ उत्पाद बना तथा इनके उत्पादन में कितने प्राकृतिक रबड़ का उपयोग किया गया ; और

(ग) देश में प्रत्येक राज्य में 1970-71 और 1971-72 में कुल कितनी प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन हुआ ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) रबड़ उत्पादों की अनुमानित मांग मोटरगाड़ी के टायर, बाइसिकल के टायर तथा फैन व वी वैल्ट (3.90 करोड़ अदद), रबड़ होस (0.45 करोड़ मीटर), रबड़ कनवेयर बेल्टिग (4,000 मे० टन) तथा रबड़ व कैनवास के जूते (5.00 करोड़ जोड़ी) की तुलना में प्राकृतिक रबड़ की अनुमानित आवश्यकता 96,500 मे० टन है।

(ख) वर्ष 1970 तथा 1971 के दौरान रबड़ उत्पादों का उत्पादन और प्रयोग में लाई गई प्राकृतिक रबड़ की मात्रा नीचे दी गयी है :—

रबड़ उत्पाद				प्राकृतिक रबड़	
वस्तु का नाम	**इकाई**	**1970**	**1971**	**1970** (मे० टन)	**1971** (मे० टन)
मोटरगाड़ी के टायर बाइसिकलों के टायर फैन व वी बैल्ट	करोड़ अदद	3.08	3.09	85,538	94,806
रबड़ होस	करोड़ मीटर	0.52	0.35		
रबड़ कन्वेयर बेल्टिग	मे० टन	2.777	2.994		
रबड़ तथा कैनवास के जूते	करोड़ जोड़ी	0.448	0.448		

(ग) प्राकृतिक रबड़ का राज्य-वार उत्पादन नीचे दिया गया है :—

राज्य	**1970-71** (मे० टन)	**1971-72** (मे० टन)
केरल	86,586	95,000
तमिलनाडु	4,589	5,200
मैसूर	706	780
अंडमान तथा अन्य	20	20
योग :	92,171	1,01,000 (अनुमानित)

शालीमार और सन्तरागाची क्षेत्रों (दक्षिण पूर्व रेलवे) में रेलवे के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

6259. **श्री समर गुह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के शालीमार और सन्तरागाची क्षेत्रों में बड़ी संख्या में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) क्या अनेक कर्मचारियों को उनके दर्जे से नीचे के क्वार्टर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी आवास की समस्याओं को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जी हां, इस रेलवे में क्वार्टरों की आमतौर पर कमी है।

(ग) एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है, बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो।

रेलवे गेटमैनों के वेतनमान

6260. **श्री समर गुह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सेवा में रेलवे गेटमैनों के वेतनमान सबसे कम हैं ; और

(ख) क्या तीसरे वेतन आयोग द्वारा उनके वेतनमानों का पुनरीक्षण किये जाने से पूर्व सरकार का विचार उनके वेतनमानों का पुनर्विलोकन करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। अनेक कोटियों से सम्बन्धित अन्य अकुशल रेलवे कर्मचारी भी हैं जिनको यही वेतनमान अर्थात् 70-85 रुपये का वेतनमान दिया गया है जो द्वितीय वेतन आयोग द्वारा अनुशोधित न्यूनतम वेतनमान है।

(ख) जी नहीं।

पश्चिम बंगाल में बिजली का बार-बार बन्द होना

6261. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बिजली बार-बार बन्द हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो बिजली के इस प्रकार बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कलकत्ता के क्षेत्रों को बिजली की नियमित सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) कलकत्ता और कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम लिमिटेड के लाइसेंसशुदा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले आस-पास के औद्योगिक क्षेत्र को विद्युत् सप्लाई में बार-बार होने वाली खराबियों के कारण हाल में नुकसान उठाना पड़ा।

(ख) ये खराबियां पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम को दी जाने वाली थोक विद्युत् में और कुछ हद तक इन प्रणालियों में मजबूरन बन्दी (आउटेजिज) के परिणामस्वरूप दामोदर घाटी निगम द्वारा दी जाने वाली विद्युत् में कटौती किए जाने के बाद लोड शेडिंग का सहारा लेने के कारण थीं।

(ग) कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम को पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड और दामोदर घाटी निगम द्वारा ठेके पर दी जाने वाली विद्युत् सप्लाई को बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। घाटी और कलकत्ता के बीच पारेषण-प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड के साथ विद्युत्-जनन क्षमता में वृद्धि लाने का कार्य तेज किया जा रहा है।

निर्यात में प्रगति के लक्ष्य

6262. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष के निर्यात विकास के लिये 8.1 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष किन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). इस वर्ष के दौरान निर्यात विकास के लिए 8.1 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है। तथापि काफी बड़ी संख्या में परम्परागत तथा गैर-परम्परागत दोनों प्रकार के उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि होने की अच्छी सम्भावना है।

New Railway Lines in Rajasthan

6263. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to lay any new Railway line in Rajasthan this year ;

(b) whether there is any scheme to lay any new Railway lines in the backward areas of Rajasthan during the Fourth Five Year Plan ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Construction of Dabla-Singhana M. G. rail link (33 kms.) mainly falling in Rajasthan, is in progress. This line will be completed by the end of 1973. No other rail link is likely to be taken up for construction in Rajasthan this year.

(b) No.

(c) Prima facie there is no traffic justification for laying new lines in this area at present.

रेलवे कर्मचारियों को बोनस का लाभ

6264. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ ने 26 मार्च, 1972 को हुई अपनी बैठक में रेलवे कर्मचारियों को बोनस के लाभ से वंचित रखने की सरकार की नीति की आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) रेलें सार्वजनिक कार्य करती हैं । इनके खर्च का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है और विकास के लिए इनके वित्तीय साधन केवल सरकार द्वारा जुटाने पड़ते हैं । इन दृष्टियों से सरकार द्वारा चलाये जाने वाले विभागीय उपक्रम, जिनमें रेलें भी शामिल हैं, बोनस योजना के क्षेत्र से बाहर रखे गये हैं । 1965 का बोनस भुगतान अधिनियम भी इन उपक्रमों पर लागू नहीं होता ।

Financial Assistance given by Central Government for Irrigation Schemes in Pali District

6265. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the financial assistance given so far by the Central Government for the irrigation schemes being implemented in Pali district of Rajasthan and the amount of financial assistanee still to be provided therefor ; and

(b) the time by which the irrigation schemes in Pali district would be executed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) No major or medium irrigation project is under construction by the Government of Rajasthan in Pali District.

(b) Does not arise.

त्रिपुरा में विद्युत् की मांग तथा सप्लाई

6266. **श्री दशरथ देव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में विद्युत् की आंकी गई वार्षिक मांग कितनी है ;

(ख) राज्य में विद्युत् का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य में विद्युत् की अनुमानित मांग कितनी है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विद्युत् की कितनी अनुमानित सप्लाई की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). 1971-72 के लिए त्रिपुरा में लगभग 5.5 मैगावाट विद्युत् की मांग का अनुमान लगाया गया है और इसे असम से थोक सप्लाई द्वारा अनुपूरित लगभग 4.6 मैगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता से विद्युत् जनन द्वारा पूरा किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 11.5 मैगावाट विद्युत् की प्रत्याशित उपलभ्यता के प्रति बिजली की मांग के बढ़ कर 6.7 मैगावाट हो जाने की सम्भावना है ।

उड़ीसा में रामजल सिंचाई परियोजना

6267. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग तथा योजना आयोग ने उड़ीसा में रामजल सिंचाई परियोजना का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और उक्त परियोजना को कब तक अनुमोदित किए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने 'रामजल' नामक किसी स्कीम का प्रस्ताव नहीं किया है। बहरहाल, राज्य सरकार ने धेनकनाल जिले में रामियाला सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव किया है। परियोजना पर केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं। राज्य सरकार के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है और उनके उत्तर प्राप्त होने पर परियोजना पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

विदेशी फिल्मों का आयात

6268. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विदेशों से फिल्मों का आयात करने में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ;

(ख) किन देशों से बड़ी संख्या में फिल्मों का आयात किया गया है और क्या लोगों की यह मांग है कि विदेशों से बड़ी संख्या में फिल्मों का आयात नहीं किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। सरकार को विदेशी फिल्मों के आयात में कमी करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मूल्य '000' रु० में
मात्रा '000' मीटर

क्रमांक	देश	1968-69		1969-70		1970-71		1971-72 (अक्तूबर, 71 तक)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बेल्जियम	486	236	10	4	235	107	15	43
2.	श्रीलंका	55	108	62	106	12	15	13	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	फ्रांस	35	62	31	44	41	87	15	37
4.	जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	1226	429	171	76	18	48	नगण्य	1
5.	जर्मन संघीय गणराज्य	143	182	86	150	125	115	7	23
6.	इटली	163	288	28	39	24	43	13	24
7.	जापान	56	77	45	80	18	56	48	109
8.	सिंगापुर	42	71	32	55	1	2	3	5
9.	ब्रिटेन	1167	3392	582	743	1143	1825	474	559
10.	सं० रा० अमरीका	1047	1623	942	1351	555	1105	436	661
11.	सोवियत संघ	89	155	73	129	71	135	67	123
12.	अन्य देश	213	332	193	338	86	130	76	164
	योग :	4722	6955	2255	3115	2329	3668	1167	1766

कछार जिला और बंगला देश के बीच व्यापार मार्ग

6269. **श्री निहार लास्कर :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कछार जिला और बंगला देश के बीच पुराने व्यापार मार्ग को इस बीच खुला घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) क्या बंगला देश के साथ सीमा पर पहले से ही अनधिकृत वस्तु विनियम व्यापार बड़े पैमाने पर चल रहा था ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). भारत तथा बंगला देश के बीच 20 मार्च, 1972 को सम्पन्न हुए व्यापार करार में उपबन्धित कुछ विशिष्ट मदों के लिए सीमा व्यापार की सुविधाओं के अन्तर्गत कछार-सिलहट क्षेत्र भी शामिल है। बंगला देश के साथ व्यापार करार पर हस्ताक्षर होने के बाद से सीमा व्यापार की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं।

अजुध्या टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली के कर्मचारियों को बकाया मजूरी का भुगतान

6270. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजुध्या टैक्सटाइल मिल्स, आजादपुर (दिल्ली) के उन सब कर्मचारियों को, जिनके

मिल के बन्द होते समय उपस्थिति नामावली में नाम थे, राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने, जिसने उक्त मिल को अगस्त, 1971 से अपने अधिकार में लिया था, फिर से नियुक्त कर लिया था ;

(ख) यदि नहीं, तो उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन कर्मचारियों को बकाया मजूरी उपदान आदि का भुगतान कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनकी बकाया राशि का भुगतान न करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, 45 कर्मचारियों के सिवाय।

(ख) उनमें से 39 कर्मचारी काम करने के लिए मिल में वापिस नहीं आए। शेष 6 कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को सरकार के प्रबन्ध के अन्तर्गत एक और वस्त्र मिल में पुनः काम पर लगा दिया गया है और अन्य दो कर्मचारियों का मिल के पुनः चालू होने से पूर्व देहान्त हो गया था। शेष 3 कर्मचारी सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके थे।

(ग) तथा (घ). चूंकि मिल कम्पनी के पूर्व दायित्वों का भुगतान इस समय रोक दिया गया हैं अतः कर्मचारियों को पूर्व देय राशियों के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, विशेष कृपा स्वरूप, कर्मचारियों की लंबित मजदूरी उन्हें दे दी गई है।

विवरण

क्रमांक	एकक का नाम	उत्पादित वस्तु	लाइसेंस/संस्थापित क्षमता (मे० टनों में)	1971 में वास्तविक उत्पादन (मे० टनों में)	विनियोजन लाख रु० में	कार्यकर्त्ताओं की सं०
1.	मैसर्स साउथ इंडिया विस्कोस	विस्कोस स्टैपल/रेयन धागा	4000	2900	1480.16	1590
2.	मैसर्स ग्वालियर रेयन एण्ड सिल्क मैन्यु० कं० लि०, नागदा।	विस्कोस स्टैपल रेशा	22000	57809	1199.48	3083
3.	सरसिल्क	एसीटेट रेशा/धागा	1800	1922	495.80	2439
4.	कैमिकल एण्ड फाइबर आफ इण्डिया लि०	पोलिस्टर रेशा	6100	5730	441.63	633
5.	जे० एण्ड के० संथेटिक्स लि०, कोटा	नायलोन रेशा	1800	25	अप्राप्य	अप्राप्य अलग से

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में चिकित्सीय आधार पर क्वार्टरों का आवंटन

6271. **श्री निहार लास्कर :**
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **रेल** मन्त्री उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के गैर लाजमी कर्मचारियों को क्वार्टरों के आवंटन के बारे में 11 अप्रैल के 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 356 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने आवेदन पत्रों पर अभी निर्णय नहीं किया गया है; और क्या सरकार उन कर्मचारियों को सबसे पहले क्वार्टर आबंटित करेगी जिन्होंने चिकित्सीय आधार पर आवेदन पत्र दिये थे; और

(ख) यदि हां, चिकित्सीय आधार पर कर्मचारियों को कब तक क्वार्टर आवंटित किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) इस समय दिल्ली क्षेत्र में आवास के आवंटन के लिए बकाया आवेदन पत्रों की कुल संख्या 20,219 है । डाक्टरी आधार पर बिना पारी के आबंटन के लिए दर्ज तीसरी श्रेणी के कुल कर्मचारियों की संख्या 54 और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या 8 है । जिन कर्मचारियों ने डाक्टरी आधार पर बिना पारी के आबंटन के लिए अपना नाम दर्ज कराया है उन्हें उच्चतम प्राथमिकता देने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) यह बताना सम्भव नहीं है कि डाक्टरी आधार पर बिना पारी के क्वार्टरों के आबंटन के लिए दर्ज कर्मचारियों को आवास का आबंटन कब तक कर दिया जायेगा ।

कृत्रिम रेशे का उत्पादन

6272. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृत्रिम रेशा उद्योग के कितने एकक हैं, उनकी क्षमता तथा उनमें उत्पादन कितना है, उसमें कितनी पूंजी लगी हुई है तथा उसमें कितने कर्मचारी, एकक वार कार्य कर रहे हैं ;

(ख) गूदा (पल्प) जैसे कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई के कारण कृत्रिम रेशे का उत्पादन कितना कम हुआ है ;

(ग) क्या कृत्रिम रेशे का उत्पादन देश में कृत्रिम तथा संश्लिष्ट धागा बुनने वाले एककों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ; और

(घ) सूती कपड़ा मिलों में बनने वाले सूती धागों के स्थान पर कृत्रिम धागे का कितना उपयोग हुआ है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) मानव-निर्मित उद्योग की लाइसेंस प्राप्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को कच्चे माल का आवंटन पर्याप्त रहा है । अतः इस कारण से उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) मानव-निर्मित रेशे ने सूती धागे को प्रतिस्थापित नहीं किया है अपितु इसकी अनुपूर्ति की है ।

Looting of a Goods Train near Barhan Railway Station (Northern Railway)

6273. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a goods train had been looted recently by the armed dacoits near Barhan between Agra and Aligarh Stations ;

(b) if so, the loss suffered and the action taken in the matter ; and

(c) the reasons for failure on the part of the Railway Protection Force to check this dacoity ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes, this incident took place on 16th April, 1972.

(b) The loss is estimated at about Rs. 1100/-(Rupees eleven hundred) out of which property worth Rs. 300/- has been recovered. The Government Railway Police, Tundla is making further investigations.

(c) The train was not escorted by Railway Protection Force. However, on receipt of information, Railway Protection Force and Government Railway Police staff rushed to the spot and during their search of the surrounding area 3 bags of gram were recovered. As a preventive measure, action has been taken to escort night goods train in the affected section and close liaison is being maintained with the Government Railway Police and local police to round up the criminals.

नागार्जुन सागर परियोजना (आंध्र प्रदेश) के लिये केन्द्रीय सहायता

6274. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुन सागर परियोजना के निर्माणकार्य की गति को ज्यों का त्यों बनाए रखने तथा दो एस० ई० सर्किलों को बन्द होने से तथा उसके परिणामस्वरूप इंजीनियरों और श्रमिकों की बड़े पैमाने पर छंटनी को रोकने के लिये केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि नागार्जुनसागर परियोजना पर कार्य कर रहे अभियंताओं और अन्य कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या में छंटनी करने का विचार किया जा रहा है और उसने विशेष सहायता की मांग की है ताकि इन कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर लगाया जा सके । अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकार के परामर्श से यथासंभव रोजगार की व्यवस्था करने की संभाव्यताओं की जांच की जा रही है ।

राजकीय क्षेत्र के अंतर्गत तम्बाकू का निर्यात

6275. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू के निर्यात को राजकीय क्षेत्र के अंतर्गत लाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). इस महत्व-पूर्ण निर्यात मद के विभिन्न पहलुओं का सविस्तार अध्ययन किया जा रहा है परन्तु इतनी जल्दी इसकी मोटे तौर पर कोई रूपरेखा बताना संभव नहीं है ।

राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अपनाई गई कसौटी

6276. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिये सहायता देने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने क्या कसौटी अपनाई है ;

(ख) क्या पिछड़े तथा सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिये इस कसौटी में कोई छूट दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). ग्राम विद्युतीकरण निगम, जिसकी स्थापना केन्द्रीय सेक्टर में जुलाई, 1969 में हुई थी ग्राम विद्युती-करण स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए राज्य बिजली बोर्डों को योगात्मक धन देता है । भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों की परिपालना करते हुए निगम ने आर्थिक व्यवहार्यता के मानदण्ड तैयार किए हैं जो उन स्कीमों द्वारा पूरे करने आवश्यक होते हैं जिन पर निगम ने धन लगाना होता है । ऐसी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों द्वारा कृषि उपज में वृद्धि लाकर और ग्राम उद्योगों का विकास करके सामान्य आर्थिक विकास किया जाना चाहिए, ये स्कीमें कृषि पम्पों के ऊर्जन पर बल के साथ परियोजना पहुंच पर आधारित होनी चाहिए और उन पर हुए खर्च पर पर्याप्त लाभ मिलना चाहिए । पिछड़े क्षेत्रों और अल्प विकसित पहाड़ी क्षेत्रों की स्कीमों के संबंध में जब से लाभ प्राप्त होने लगेंगे, उस अवधि के बारे में रियायतें दी गई हैं । इस बात का निर्णय करते समय कि आया स्कीम पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी में आती है या नहीं, अकसर सूखे से पीड़ित होने वाले क्षेत्र को भी ध्यान में रखा जाता है ।

इंजीनियरिंग सामान संबंधी पिछले करारों को पूरा करने के बारे में मिस्र के साथ समझौता

6277. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्र भारत के साथ इंजीनियरिंग सामान के बारे में पिछले करारों को, जिनके

बारे में उसने पहले जिम्मेवारी लेने से इन्कार कर दिया था, पूरा करने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). मिस्र के प्राधिकारियों ने इंजीनियरी सामान के लिए पुरानी 'पिछली संविदाओं' के संबंध में अपना दायित्व स्वीकार करने से किसी भी अवस्था में इन्कार नहीं किया था। पिछले महीने एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के काहिरा के दौरे के परिणामस्वरूप, मिस्र के प्राधिकारी अब मिस्र के अरब गणराज्य की सरकार द्वारा निश्चित प्राथमिकताओं के क्रम में भारत तथा मिस्र के अरब गणराज्य की सरकारों द्वारा स्वीकृत मुद्रा संबंधी अधिकतम सीमाओं के भीतर इन संविदाओं को पूरा करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

विद्युतचालित रेलवे इंजनों के फालतू पुर्जों की सप्लाई के लिए ठेका

6278. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय ने एक टेंडर के आधार पर एक विदेशी फर्म को विद्युत्चालित रेलवे इंजनों के फालतू पुर्जों की, जिनमें कार्बन ब्रश भी शामिल हैं, सप्लाई के लिये जून, 1968 में ठेके दिये थे ;

(ख) क्या देश में कुछ फर्में कार्बन ब्रश का निर्माण कर रही हैं और रेलवे को वर्ष 1966 से उनकी सप्लाई कर रही हैं ;

(ग) क्या देश में कार्बन ब्रश का निर्माण करने वाली फर्मों ने 28,500 ब्रशों के लिये 2.99 लाख रुपये की कीमत बताई थी जबकि विदेशी फर्म ने इतने ब्रशों की कीमत 7.38 लाख रुपये बतायी थी ; और

(घ) एक टेंडर के आधार पर विदेशी फर्म को ठेका देने के क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां। स्वाम्याधिकार वाली मद के रूप में इकहरे टेण्डर के आधार पर लगभग 88 हजार रुपये की लागत के थोड़े से कार्बन ब्रुशों के लिए एक विदेशी फर्म को आर्डर दिया गया था जिसने हमें बिजली के इंजन सप्लाई किये थे।

(ख) यद्यपि भारत में कुछ फर्में पंखों, मोटरों आदि के लिए कार्बन ब्रुश सप्लाई कर रही हैं, किन्तु वे भारी कर्षण मोटरों और बिजली रेल इंजनों की सहायक मोटरों में लगाये जाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

(ग) जी नहीं। आयात किये गये ब्रुशों के लिए फ्रांस को एक फर्म ने 28,500 कार्बन ब्रुशों के लिए 2.99 लाख रुपये की दर बतायी थी और इस फर्म को यह ठेका दिया गया था। एक और विदेशी फर्म ने, जिसे जून, 1968 में पहले वाला आर्डर दिया गया था, इन ब्रुशों के लिए 7.38 लाख रुपये की दर उद्धृत की थी लेकिन इस दर को ऊंचा होने के कारण स्वभावतः स्वीकार नहीं किया गया।

(घ) इकहरे टेण्डर के आधार पर खरीद केवल स्वाम्याधिकार वाली मदों के मामले में की जाती है और वह भी जब सप्लाई का एक ही विदित स्रोत हो।

ब्रिटेन की फर्म से बीयरिंग ह्वील सेटों की खरीद

6279. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की एक फर्म ने अगस्त, 1970 में 848 बीयरिंग ह्वील सेटों (22.9 टन) के लिए 668.82 डालर का मूल्य की पेशकेश की थी ; और क्या कुछ विलम्ब के कारण टेंडर फिर से मांगे गये थे ;

(ख) क्या उसी फर्म ने 6 महीने बाद जनवरी, 1971 में उसी प्रकार के ह्वील का भाव 743.55 डालर बताया था ; और

(ग) पहले भाव के मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया): (क) अगस्त, 1970 में खोले गये एक टेण्डर में इंगलैंड की एक फर्म ने निर्मित प्रकार के पहिया सेटों के लिए 668.82 डालर का भाव बताया था। इस फर्म ने अपने आरेख के अनुसार ठोस पहियायुक्त पहिया सेटों के लिए एक वैकल्पिक पेशकश भी की थी लेकिन इसे उपयुक्त नहीं पाया गया। चूंकि ठोस किस्म के पहिया सेट सस्ते थे और उन्हें इस आकार के पहिया सेटों के लिए अपनाया जा सकता था, इसलिए टेण्डर रद्द कर दिया गया और नये सिरे से ठोस पहियों की विकल्पयुक्त पेशकश करने के लिए कहा गया।

(ख) बाद में जनवरी, 1971 में इसी फर्म ने 743.55 डालर का जो भाव बताया, वह निर्मित पहियों सहित पहिया सेटों के लिए था और इस दर पर कोई आर्डर नहीं दिया गया। वास्तव में जो आर्डर दिया गया, वह दुबारा मांगे गये टेण्डर में ठोस पहियों सहित पहिया सेटों के लिए बतायी गयी न्यूनतम दर अर्थात् 554.07 डालर पर दिया गया। पहले के टेण्डर में प्राप्त तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य न्यूनतम दर से यह दर 114.75 डालर कम थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Unauthorised loadings of salt at Sri Dungarpur Station (Rajasthan) for Northeast Frontier Railway Stations

6280. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether authorised loadings of salt are made at Sri Dungarpur Railway Station (Rajasthan) for Railway Stations of Northeast Frontier Railway ;

(b) whether the business community is put to great difficulty on account of such attitude on the part of the railway employees as their goods are not despatched to other stations is spite of allotment of wagons to them ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) to (c). Presumably, the reference is about Sri Dungargarh station situated on the Northern Railway. The matter relating to unauthorised loading of salt from this station is under investigation and further information will be placed on the table of the Sabha as soon as the investigations are over.

कपास का वसूली मूल्य

6281. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास उगाने वाले किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने हाल में कपास के वसूली मूल्य निर्धारित किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्य निर्धारित किए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). सरकार ने भारतीय रुई निगम की रुई की उन उचित खरीद कीमतों के बारे में बता दिया है, जिन पर रुई की खरीद की जानी है, उनका विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2037/72**]

राज्य व्यापार निगम द्वारा बंगला देश के साथ व्यापार

6282. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश और भारत में हाल में हुए व्यापार करार के अन्तर्गत बंगला देश के साथ 50% व्यापार राज्य व्यापार निगम तथा इसकी सहायक एजेंसियों द्वारा किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम तथा इसकी सहायक एजेंसियां बंगला देश को किन-किन वस्तुओं का निर्यात करेंगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). बंगला देश के साथ सीमित भुगतान प्रबंध के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए दोनों सरकारों में सहमति हो गई है कि व्यापार विनिमय संलग्न विवरणों में बतायी गई एजेंसियों द्वारा संभाला जायेगा। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2038/72**]

उड़ीसा में मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाएं

6283. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में सिंचाई योजनाओं के बारे में 18 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3076 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में चौथी योजना में पूरी की जाने वाली मध्यम दर्जे की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : उड़ीसा सरकार ने सूचित

किया है कि चतुर्थ योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का प्रस्ताव है :—

1. सालिया	7. बहुदा चरण-एक
2. सलकीं	8. हीराधाराबटी
3. बुधाबुधियानी	9. पितामहल
4. गोडाहडो	10. उत्तई
5. धनेई	11. बधुआ
6. देरजंग	12. ब्राहुका

Expansion of Railway Office at Bilaspur

6284. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has formulated any scheme for expansion of the Railway Office in Bilaspur in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Shifting of Central Railway Headquarters to Raipur District, Madhya Pradesh

6285. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether his Ministry has under consideration any scheme to shift the headquarters of the Central Railway to Raipur District of Madhya Pradesh ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : No.

Construction of Satiara or Mahanandi Dam Near Dharmatari in Raipur (M.P.)

6286. **Shri Chandulal Chandrakar :**
Shri Arvind Netam :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have decided to construct Satiara Dam or Mahanandi Dam near Dharmatari in Raipur district of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the time by which this work will be started ; and

(c) the acreage of land likely to be irrigated thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) The Mahanadi Project (Phase I) proposed by the Government of Madhya Pradesh has been accepted for inclusion in the Developmental Plan of that State.

(b) Preliminary works on the Project are already in progress.

(c) In the second phase of the project, the Government of Madhya Pradesh propose to provide irrigation facilities to about 3 lakh acres.

Recruitment in Railway Repairing Workshop, Raipur

6287. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees working in the Railway Repairing Workshop, Raipur;

(b) whether recruitment of employees is going on in this workshop at present ; and

(c) the total number of employees likely to be recruited ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) 1241.

(b) No.

(c) No fresh recruitment is likely to be made in the near future.

Saving Mansi Junction in Bihar from Erosion in Ganga River

6288. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the danger of erosion by River Ganga faced by Mansi Junction (Bihar) ;

(b) whether any steps have been taken by Government to complete the protective measures before the Monsoons ; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c). Erosion by the river Ganga near Mansi has been taking place since 1961. Anti-erosion measures consisting of spurs and pitching have been implemented since then for the protection of the area as well as road and rail communications.

Some damage was caused to the protection works during the floods of 1971. The State Government of Bihar have taken up the Scheme for repairs and strengthening of five spurs at an estimated cost of Rs. 22.6 lakhs. These works are programmed to be completed before the ensuing floods.

Uniform Irrigation Facilities in States

6290. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether only 8 per cent of the cultivable land is irrigated in Madhya Pradesh ;

(b) the percentage of land irrigated in Punjab, Haryana and Tamil Nadu ;

(c) whether Government propose to provide irrigation facilities on a uniform scale in all the States ; and

(d) if so, the broad outlines of the proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) and (b). The irrigation potential created till the end of March, 1971 in Madhya Pradesh, Punjab, and Haryana and Tamil Nadu is assessed to be 8.2, 54.8 and 44.2% respectively of the cropped area in these States.

(c) and (d). A large number of new major and medium irrigation schemes have been taken up in the last decade or so in the States where the development of irrigation had been slow in relation to the potential irrigation possible from major and medinm irrigation projects. Works on many of these projects are still in hand and will spill-over into the Fifth Plan also. The State Governments have also proposed or have under investigation a number of new schemes which will be considered for implementation as and when the inter-State aspects involved in some of them are resolved and resources are in sight for their construction.

Setting up of Spinning Mill at Ratlam

6291. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2891 on the 23rd June, 1971 regarding the setting up of Spinning Mill at Ratlam and state whether Government propose to reconsider the matter in the light of the new industrial policy declared by them and also on account of the fact that Ratlam district has since been declared a backward District ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : No request for reconsidering the earlier decision has been received.

Railway Hospitals in Rajasthan

6292. **Shri Laljibhai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway hospitals in Rajasthan and the number of Railway hospitals at District-level ;

(b) the average number of patients treated in each hospital during the last three years ;

(c) whether there is any scheme to increase the number of rooms and the stock of medicines in hospitals there during the current year ; and

(d) if so, the salient features of the scheme ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The Railway Hospitals in Rajasthan are located at the following places :

Kota, Ajmer, Jaipur, Abu Road, Udaipur, Bandikui, Gangapur City, Jodhpur and Lalgarh (Bikaner).

The main considerations for provision of a Railway Hospital or Health Unit at a particular place, are the concentration of staff at that place, its degree of isolation, non-availability of Railway, Government/Civil medical facilities and frequency of train services to reach the existing units, etc.

The Railway Hospitals have thus been provided at its Divisional/Sub-Divisional Head-quarters.

The Railway Hospitals are not provided Districtwise in a State.

(b) Average daily attendance in these hospitals for the last three years is as follows :

	1968-69	**1969-70**	**1970-71**
Kota	1103.88	1115.37	1065.90
Ajmer	2247.75	2306.28	2331.20
Jaipur	688.08	687.41	625.50
Abu Road	450.34	565.08	441.00
Udaipur	326.07	386.67	383.80
Bandikui	526.29	472.35	512.50
Gangapur City	812.68	870.60	426.00
Jodhpur	772.08	798.74	638.61
Lalgarh	566.60	596.25	545.32

(c) No.

(d) Does not arise.

बिहार में गुआ को ततीवा से, मनोहरपुर को सलाय से रेल से जोड़ने सम्बन्धी बिहार सरकार का प्रस्ताव

6293. **श्री नवल किशोर सिंह :**
श्री हरी किशोर सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने गुआ से ततीवा तक बरास्ता बराईबुरु, मनोहरपुर से सलाय तथा गिर्नलिंगबुरु, सलाय से ततीवा बरास्ता छोटा नगरा, सलाय से गुआ बरास्ता घाटपुरी लाइन तक रेल द्वारा जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय से प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) मलंगटोली ब्लाक में अयस्क आगारों के विकास के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है। अध्ययन दल की विशिष्ट सिफारिशों का पता लग जाने के बाद इस क्षेत्र में नयी लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

बिहार में अमझोर और बनजारी के बीच बड़ी लाइन

6294. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के एक उपक्रम पायराइट्स फासफेट्स और केमिकल्स लि० के प्रबन्धकों ने, जो बिहार में अमझोर स्थित पाइराइट खानों का खुदाई कार्य करता है, सिन्दरी स्थित संयंत्रों की आवश्यकता पूर्ति करने और अपने उपभोग के लिए खानों के उत्पादन को ढोने के लिए अमझोर और बनजारी को बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए रेलवे प्रशासन पर दबाव डाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग ने, जिसे इस सम्बन्ध में लिखा गया था, सुझाव दिया है कि डेहरी-आन-सोन से अमझोरे/बंजारी तक बड़ी लाइन के निर्माण का कार्य उस समय तक आस्थगित रखा जाये जब तक कि सिन्दरी के विस्तार के लिए नियुक्त की गयी समिति सिन्दरी के विस्तार से सम्बन्धित प्रश्न को हल नहीं कर लेती। योजना आयोग से और आगे सूचना की प्रतीक्षा है।

निर्यात के लिये राज सहायता

6295. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन वस्तुओं, कच्चे माल तथा औद्योगिक उत्पादों को राज सहायता दी जाती है जिनका विदेशों को निर्यात किया जाता है ; और

(ख) राज सहायता के रूप में वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 में कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) प्रतिपूरक सहायता इंजीनियरी माल की कतिपय मदों, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों, प्लास्टिक के माल, चमड़ा तथा चमड़े से बने माल, खेल कूद के सामान, रेल पटरियों, लोहा तथा इस्पात स्क्रैप, मूंगफली निस्सारण, डिहाइड्रेटिड प्याज आदि के निर्यात पर दी जाती है ।

(ख)

वर्ष	दी गई प्रतिपूरक सहायता की राशि
1969-70	22.23 करोड़ रुपये
1970-71	28.80 करोड़ रुपये
1971-72	33.14 करोड़ रुपये

जूट के व्यापार के बारे में भारत-बंगला देश का संयुक्त कार्यक्रम

6296. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट के सामान के मूल्यों में स्थिरता लाने, नई मंडियों का पता लगाने, जूट के नये उपयोगों का पता लगाने तथा कृत्रिम रेशों के कारण जूट के व्यापार पर पड़े कुप्रभाव को दूर करने के लिए बंगला देश के साथ संयुक्त कार्यक्रम तैयार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस प्रकार के कार्यक्रम का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब बंगला देश सरकार अपनी अल्पावधि तथा दीर्घावधि की आवश्कताओं को अंतिम रूप दे देगी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Parcels piled up at Ajmer Station (Western Railway)

6297. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether thousands of parcels had piled up at Ajmer Station of the Western Railway from the 15th September, 1971 to 14th December, 1971 ;

(b) if so, whether these parcels were booked from Ajmer Station or these were required to the transhipped ; and

(c) if these parcels were meant for transhipment, the reasons for not loading them in time ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No. There was no hold up of parcels as Ajmer station from 15th September, 71 to 1st October, 71. However, there was a

hold up of parcels from 2nd October, 71 to 14th December, 71, the daily average number of parcels left over being 700.

(b) These left-over parcels were those which were both booked from Ajmer station as well as through parcels requiring transhipment.

(c) The parcels requiring transhipment could not be loaded in time due to unprecedented and unexpected receipt of through parcels as also parcels booked from Ajmer station itself which were 3 times the normal number and included perishable traffic of eggs and tomatos which had to be cleared in preferencc.

Safety of Parcels for Transhipment at Ajmer Station

6298. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there are no arrangements for the safety of the parcels meant for transhipment at Ajmer Station (Western Railway) ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b). No transhipment platform is provided at Ajmer Station (Western Railway). However, the parcels are repacked at this station. There is a cage for the safety of parcels and three Railway Protection Force Rakshaks are provided to guard it round the clock.

Detection of Ticketless Travelling on Western Railway

6299. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of ticketless travellers detected on the Western Railway since 1st January, 1971 ;

(b) the revenue earned by Government in the form of penalty ; and

(c) the number of persons sent to jail in this regard ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The number of ticketless travellers detected on Western Railway from 1st January, 1971 upto 31st March, 1972 was 3,17,812.

(b) Rs. 25,72,419/-.

(c) 23,660.

Incidents of Thefts, Murders, Loot on North Eastern Railway

6300. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of thefts, murders, loot and dacoities on the North Eastern Railway during the last year ;

(b) the estimated loss of property suffered by passengers as a result thereof ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check recurrence of such incidents in future ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) There were 2262 thefts, 7 murders, 81 cases of looting and 22 of dacoities.

(b) Rs. 7,13,000 approximately.

(c) (i) Important night passenger trains are being escorted by the Government Railway Police.

(ii) Supervisory Police Officers check the duties of the Government Railway Police and keep a watch on active criminals.

अर्ध-वार्षिक रेलवे समय सारणी का जारी किया जाना

6301. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्ध-वार्षिक समय-सारणियां, जो अप्रैल और अक्तूबर में जारी की जाती थीं, अब उनके ठीक समय पर जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). बाढ़ के कारण देश के पूर्वी भाग में गाड़ियों के अनियमित संचलन और नवम्बर, 1971 में फरक्का बांध के खुल जाने के फलस्वरूप गाड़ियों के संचालन के रुख में परिवर्तन के संदर्भ में 1971 की शरद कालीन समय सारणी का प्रकाशन अक्तूबर-नवम्बर तक स्थगित कर दिया गया था। आपातकाल और उसके परवर्ती प्रभाव को देखते हुए 1972 की ग्रीष्म कालीन समय सारणी का प्रकाशन मई तक स्थगित कर दिया गया था।

मध्य रेलवे जोन में हुई प्रगति

6302. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने तथा नई रेलगाड़ियां चलाये जाने के बारे में गत तीन वर्षों में मध्य रेलवे में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मध्य रेलवे में विगत तीन वर्षों के दौरान 12 अनुपनगरीय गाड़ियां और 53 उपनगरीय गाड़ियां चालू की गयीं। उनका चालन क्षेत्र बढ़ाया गया और 30 मिनट या अधिक 14 गाड़ियों का चालन समय कम कर दिया गया।

कृषि-उद्योग और विद्युत् उत्पादन के लिये पानी की आवश्यकता का पता लगाने के लिए पंजाब को केन्द्रीय सहायता

6303. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि-उद्योग और विद्युत् उत्पादन के लिये पानी की आवश्यकता का पता लगाने हेतु परियोजना प्रारम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को कोई ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

धरंगधरा के नमक उद्योग और राजकोट के गेहूं के व्यापारियों के लिए रेल वैगन

6304. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल-वैगनों की कमी के कारण धरंगधरा के नमक उद्योग को भारी मात्रा में स्टाक जमा हो जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या राजकोट के गेहूं के व्यापारियों को रेल-वैगनों की कमी के कारण भारी कठिनाई हो रही है और लगभग 8000 गेहूं के बोरे लदान के लिए पड़े हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त स्टेशनों से नमक और गेहूं—दोनों का ही लदान करने के लिये मांगे गये 400 वैगनों को उपलब्ध कराने के किसी प्रस्ताव पर रेल विभाग विचार कर रहा है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). पहली जनवरी, 1972 से 5 मई, 1972 तक की अवधि में धरंगधरा से बड़ी लाइन के 4035 और मीटर लाइन के 96 माल-डिब्बों में नमक का लदान हुआ। राजकोट से गेहूं के 246 माल-डिब्बों का लदान हुआ। जहां लदान में वृद्धि के लिए हर तरह से प्रयास किया जाता है वहां किसी स्टेशन विशेष के लिए विशिष्ट संख्या में माल-डिब्बों का आबंटन सम्भव नहीं है, क्योंकि उपलब्ध माल-डिब्बों को पंजीकरण की प्राथमिकता और वरीयता के अनुसार विभिन्न जिन्सों के लदान के लिए विभिन्न स्टेशनों के बीच बांटा जाता है।

Export of Kulu Gum

6305. **Shri Arvind Netam :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether "Kulu Gum" is exported from Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the quantity thereof exported last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b). We do not maintain any State-wise export statistics. In the year 1970-71, 103,37,851 kgs of Gum valued at Rs. 520,75,752 was exported. We do not have separate statistics for "Kulu Gum".

Rural Electrification Schemes in Bastar and Raipur District (M. P.)

6306. **Shri Arvind Netam :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the board outlines of the rural electrification schemes concerning Bastar and Raipur Districts of Madhya Pradesh, which are under consideration of the rural Electrification Corporation ; and

(b) the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) and (b). The Madhya Pradesh Electricity Board had submitted five rural electrification Schemes concerning Raipur and Bastar Districts to Rural Electrification Corporation for loan assistance. The Corporation has sanctioned two such schemes of Raipur District involving loan assistance of Rs. 138.875 lakhs covering electrification of 141 villages and 6552 pumpsets and power supply to 120 small industries. The remaining three schemes, two concerning Raipur District and one for Bastar District, did not fulfil the criteria evolved by the Corporation and as such these were returned to the Madhya Prades Electricity Board for revision. The revised Schemes when received in the Corporation would be examined in accordance with the criteria laid down by the Corporation and will be taken up individually for sanction depending upon the availability of funds for sanction of such schemes of Madhya Pradesh and other State Electricity Boards.

रेल गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा

6307. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत बढ़ गई है ;

(ख) क्या राज्य सरकार इस बुरी आदत को ठीक करने हेतु प्रभावी उपाय करने के लिए रेलवे प्रशासन के साथ सहयोग कर रही है ; और

(ग) इस बुराई को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) बिना टिकट यात्रा के आंकड़े रेलवेवार रखे जाते हैं, राज्यवार नहीं। अत: उन राज्यों के नाम जिनमें बिना टिकट यात्रा विकट स्थिति तक पहुंच गयी है, उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2039/72**]

बंगला देश के साथ रेल सम्पर्क

6308. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बंगला देश के साथ रेल सम्पर्क स्थापित कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित रेल सम्पर्क स्थापित किये गये हैं :—

(1) बेनापोल—जैसोर—खुलना

(2) गेडे—दरसना, कुष्टिया—गोलांडो।

(3) मैशासन—लाटू

(4) राधिकापुर—बीरल, पर्वतीपुर; और

(5) गीतालडह मुगलहाट, लाल मनीरहाट।

बंगला देश के साथ पटसन करार की क्रियान्विति में ढील

6309. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश की सरकारों में हुए व्यापार करार के अन्तर्गत पटसन का व्यापार बड़ी धीमी गति से हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Vacant Railway land near Kota Divisional Railway

6310. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the acreage of vacant land belonging to the Railways near Kota Divisional Railway under cultivation at present ;

(b) the rate per bigha charged by the Railways in the past and at present ;

(c) whether according to Shastri Award, railway employees are allowed to cultivate such land after paying some compensation and whether the rate of this compensation has now been raised to Rs. 190 per bigha ; and

(d) if so, the reasons for raising the rate of compensation ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Probably the Hon'ble member is referring to vacant land at Kota Railway Station and Colony. If so, the total area of the railway land under cultivation is 141.50 acres.

(b) The licence fee charged is Rs. 20/- per acre or equivalent to 5 times the land revenue whichever is lower. There has been no change of licence fee.

(c) This Ministry is not aware of the Shastri Award. The licence fee charged is as per reply to part (b) above.

(d) Does not arise.

Quota of sleeper coaches for Lucknow Express at Kasganj and Kaimganj Stations

6311. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a uniform quota of sleeper coaches in the Lucknow Express has been fixed for Kasganj Junction and Kaimganj Station ;

(b) whether more passengers board the train from Kasganj as compared to Kaimganj ;

(c) whether a number of passengers boarding the train from Kasganj are deprived of sleeper-berth facilities due to non-availability of sleeper berths ; and

(d) if so, whether Government propose to increase the quota of sleeper berths for Kasganj ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) A quota of two third class sleeper berths each to Kasganj and Kaimganj stations has been allotted by 14 Dn. Agra Express running from Agra Fort to Lucknow Jn.

(b) Yes.

(c) No.

(d) Does not arise.

Report of U. N. Team on Ganga-Cauvery Link

6312. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** :
Shri G. Y. Krishnam :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the U. N. team of Experts has submitted any report on the techno-economic feasibility of the proposed National Water Grid connecting rivers from Ganga to Cauvery ; and

(b) if not, the time by which it is likely to submit the report ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) Not yet.

(b) The report is expected to be submitted by July, 1972.

फिरोजपुर (उत्तर रेलवे) में डिवीजनल मुख्यालय का स्थानान्तरण

6313. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के मुख्यालय को फिरोजपुर से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के किस तारीख तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) मंडल अधीक्षक का मुख्यालय फिरोजपुर से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) चूंकि इस सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है, अत: कोई तारीख निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को स्थायी बनाया जाना

6314. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में ऐसे कितने न्यायाधीश हैं जो इस समय स्थायी हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : प्रत्येक उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या यथा निम्नलिखित है :—

(1)	इलाहाबाद	30
(2)	आन्ध्र प्रदेश	18
(3)	बम्बई	23
(4)	कलकत्ता	33
(5)	दिल्ली	13
(6)	गुजरात	10
(7)	गोहाटी	6
(8)	हिमाचल प्रदेश	3
(9)	जम्मू और कश्मीर	4
(10)	केरल	12
(11)	मध्य प्रदेश	14
(12)	मद्रास	16
(13)	मैसूर	14
(14)	उड़ीसा	7
(15)	पटना	16
(16)	पंजाब और हरियाणा	17
(17)	राजस्थान	8
		244

Export of Bidis from Madhya Pradesh

6315. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the quantity of bidis exported from Madhya Pradesh at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : State-wise statistics of exports are not maintained.

Timely arrival of Amritsar Express at New Delhi and Bombay Stations

6316. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of days on which the Amritsar Express coming from Bombay arrived at New Delhi Station on time and the number of times it arrived there late since the 1st January, 1971 ; and

(b) the reasons for late arrival of the train and the steps proposed to be taken by Government to ensure punctual arrival of the said train at New Delhi and Bombay ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) From January, 1971 to April, 1972, 57 Dn. Dadar-Amritsar Express arrived at New Delhi station right time or late upto 5 minutes on 298 days and was late by more than 5 minutes on 188 days.

(b) The main reasons of its late running were heavy military movements, blackout restrictions and alarm chain pulling.

To ensure its punctual running, its performance is being watched on day-to-day basis and avoidable detentions are taken up promptly. The punctuality has already shown considerable improvement during January to April, 1972.

मैसूर में मध्यम आकार की सिंचाई योजनाएं

6317. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में क्रियान्वित हेतु मैसूर के लिए कितनी मध्यम आकार की सिंचाई योजनाओं को अनुमति दी गई है ;

(ख) उनके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1972-73 के दौरान कार्यान्वियन के लिए कोई भी नई मध्यम सिंचाई स्कीम अभी तक स्वीकार नहीं की गई है। राज्य सरकार ने पहले की योजनाओं से चली आ रही 8 मध्यम स्कीमों और चतुर्थ योजना में स्वीकृत 3 नई मध्यम स्कीमों के लिए 1972-73 के दौरान 55 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया है।

(ख) और (ग). राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह विकास या परियोजना के किसी क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती। 1972-73 के लिए मैसूर के लिए 72.3 करोड़ रुपये का वार्षिक योजना परिव्यय स्वीकार किया गया है जिसमें केन्द्रीय सहायता की रकम 33.56 करोड़ रुपये की हैं।

इलायची उत्पादकों की समस्याएं

6318. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में तथा अन्य स्थानों पर इलायची उद्योग की समस्याओं के बारे में इलायची उत्पादकों की ओर से अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन समस्याओं पर प्रकाश डाला है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). मैसूर में इलायची उत्पादकों ने जिन बातों के बारे में अभ्यावेदन किया है, वे नीचे दी गई हैं :—

(1) कट्टे रोग का उन्मूलन।

(2) इलायची बोर्ड के लिए 3 वर्ष की कार्यावधि के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति।

(3) इलायची बोर्ड का पुनर्गठन तथा इसे लघु उपजकर्ता अभिमुख बनाना।

(4) इलायची बोर्ड के अन्तर्गत गवेषणा स्कंध की प्रस्थापना।

(5) विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित करना।

(6) इलायची तेल निस्सारण संयंत्र की प्रस्थापना और इलायची-काफी का उत्पादन तथा निर्यात।

(7) इलायची समुदाय का गठन, तथा

(8) इलायची का पूल बनाकर विपणन शुरू करना और न्यूनतम कीमत निर्धारित करना।

उपर्युक्त (1) के सम्बन्ध में कट्टे रोग नियंत्रण योजना 1969 में शुरू की गई थी और इसके उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। जहां तक (2) का सम्बन्ध है, इलायची बोर्ड के लिए एक पूर्ण-कालिक अध्यक्ष मार्च 1972 में नियुक्त किया गया था और वह सामान्य कार्य अवधि के लिए इस पद पर बना रहेगा, जहां तक (3) का सम्बन्ध है, इलायची अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इलायची बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसमें छोटे उपजकर्ताओं के हितों का ध्यान रखा गया है। मद (4) के सम्बन्ध में इलायची बोर्ड में एक गवेषण स्कंध की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन रहा है और उस पर सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक (5) तथा (6) का सम्बन्ध है, इन पर इलायची बोर्ड की सलाह लेकर विचार किया जा रहा है। जहां तक पद (7) का सम्बन्ध है, एक इलायची समुदाय के गठन के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। जहां तक (8) का सम्बन्ध है, इलायची कीमतों को स्थिर करने के उपायों के लिए इलायची के उत्पादन की लागत लगाने का कार्य लगात लेखा अधिकारी को सौंप दिया गया है और ऐसी आशा है कि उनका प्रतिवेदन जून, 1972 में उपलब्ध हो जायेगा। उसके बाद इलायची की समर्थन कीमत के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

आल इण्डिया शंटिंग पाइंट्समैन एण्ड शंटिंग जमादार्स एसोसियेशन द्वारा ज्ञापन

6319. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया शंटिंग पाइंट्समैन एण्ड शंटिंग जमादार्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में रेल मन्त्री तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को कोई ज्ञापन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). अखिल भारतीय शंट मैन, प्वाइंट्समैन एण्ड शंटिंग जमादार एसोसिएशन, धनबाद से दिनांक 20-4-72 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यार्ड पदोन्नति ग्रुप में केबिनमैनों के लिए आरक्षण, वर्दी, मील-भत्ता, फेरी भत्ता/कोयला पायलट कर्मचारियों को समयोपरि, डीजल शंटिंग कर्मचारियों के लिए छः घंटे की ड्यूटी, आदि प्रश्न उठाये गये हैं।

ऐसे प्रश्न मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों द्वारा समय-समय पर उठाये जाते हैं और साधारणतया वार्ता तंत्र की विभिन्न स्तरों पर हुई बैठकों में विचार-विमर्श के माध्यम से हल किये जाते हैं।

भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार की सम्भावना

6320. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत-नेपाल व्यापार मुख्यत: किन चीजों का है तथा इसकी भावी सम्भावनाएं क्या हैं ;

(ख) क्या भारत-नेपाल सीमा पर दोनों ओर 16 मील के अंदर व्यापार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जैसाकि भारत-बंगला देश सीमा पर दोनों ओर किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत से नेपाल को किये जाने वाले निर्यातों तथा नेपाल से आयातों का गत तीन वर्षों का वस्तुवार विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2040/72**]

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रुई की स्थिति

6321. **श्री प्रभुदास पटेल : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में रुई की स्थिति में सुधार हुआ है ;

(ख) सी० सी० आई० ने अब तक कुल कितनी रुई खरीदी है और वे इस वर्ष कितनी रुई खरीदेंगे ; और

(ग) क्या संघ सरकार ने गुजरात सरकार को आश्वासन दिया है कि वह गुजरात में पड़ी रुई के लिए नई मंडियों का पता लगायेगी और यदि हां, तो संघ सरकार इस कार्य को करने में कहां तक सफल हुई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने भारतीय रुई निगम को गुजरात तथा कई अन्य राज्यों में रुई खरीदने के लिए उचित खरीद कीमतों के बारे में बता दिया है। 6 मई, 1972 तक भारतीय रुई निगम ने गुजरात में 7.67 करोड़ रुपये मूल्य की 59,478 रुई की गांठें खरीदी थीं। वर्ष के दौरान खरीदारी बड़े पैमाने पर जारी रहेगी।

(ग) जी नहीं।

भारत में बिजली के जनरेटरों की आवश्यकता

6322. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में बिजली के 'जनरेटरों' की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार क्या परिणाम रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). जी, हां। 1972-77 की अवधि के लिए विद्युत जनन यूनिटों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में एक अध्ययन किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1972-77 की अवधि के लिए भारत में (राज्य-वार) विद्युत्-जनन यूनिटों की आवश्यकता

राज्य	जलविद्युत्		ताप	अणु
	यूनिटों की संख्या	कुल क्षमता मैगावाट	यूनिटों की संख्या	कुल क्षमता मैगावाट
उत्तरी क्षेत्र				
1. पंजाब	10	885	3	330
2. हरियाणा	—	—	2	110
3. राजस्थान	2	66	2	220
4. जम्मू और काश्मीर	7	127	—	—
5. उत्तर प्रदेश	18	725	12	1660
6. हिमाचल प्रदेश	2	60	—	—
7. केन्द्रीय सेक्टर	4	280	7	1100
पश्चिमी क्षेत्र				
1. गुजरात	4	300	6	800
2. महाराष्ट्र	10	437	10	1360
3. मध्य प्रदेश	—	—	10	1240
दक्षिणी क्षेत्र				
1. आन्ध्र प्रदेश	7	610	6	840
2. मैसूर	6	503	—	—
3. तमिलनाडु (पांडिचेरी समेत)	2	110	6	750
4. केरल	4	520	—	—
5. केन्द्रीय सेक्टर	—	—	2	400

1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र				
1. बिहार	2	130	8	880
2. पूर्वी बंगाल	—	—	6	880
3. डी० वी० सी०	—	—	6	880
4. उड़ीसा	7	420	1	110
5. केन्द्रीय सेक्टर	—	—	2	400
उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
1. असम	4	180	3	90
2. त्रिपुरा	2	10	—	—
3. केन्द्रीय सेक्टर	5	205	—	—

विदेशों में रेल डिब्बों की मांग

6323. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री में निर्मित डिब्बों की भारी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने इनके लिये क्रयादेश भेजे हैं तथा चालू वर्ष में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जिन देशों को सवारी डिब्बों की आवश्यकता होती है, वे सामान्यतः सार्वभौम टैंडर जारी करके उन्हें प्राप्त करते हैं। भारतीय रेलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जहां तक सम्भव होता है, सवारी डिब्बा कारखाना निर्ख प्रस्तुत करता है।

हाल ही में जाम्बिया ने 6 सवारी डिब्बों का एक आर्डर भेजा है जिसके लिए चालू वर्ष में 10 प्रतिशत की अग्रिम अदायगी, लगभग 1.11 लाख रुपया के मिलने की सम्भावना है।

1970 में ताइवान ने लगभग 4 करोड़ रुपयों का 113 सवारी डिब्बों का एक आर्डर सवारी डिब्बा कारखाना को भेजा था। यह आर्डर 1971 में पूरा कर दिया गया था।

रेयन/नाइलन यार्न का मूल्य निर्धारण फार्मूला

6324. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेयन/नायलन यार्न पोलिस्टर धागे के मूल्य निर्धारण फार्मूले के बारे में टैरिफ आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या इन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) रेयन के मूल्य का निर्धारण करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस बारे में निर्माताओं की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). रेयन/नायलोन धागा और पोलिस्टर फाइबर के लिए कीमत निर्धारण फार्मूले के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग की सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं। टैरिफ आयोग की रिपोर्ट और उस पर सरकार के निर्णय शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ग) सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर, रेयन धागे के विनिर्माताओं और बुनकरों के बीच एक स्वैच्छिक करार हुआ है जिसके अनुसार पहले की तरह विस्कोस फिलामेंट धागे के कुल उत्पादन का 60.5% भाग बुनकरों को 10 रुपये प्रति किग्रा० की निर्धारित कीमत पर सप्लाई किया जाता है। उत्पादन का अन्य 10% भाग रेयन फैब्रिक्स के निर्यात पर प्रतिपूर्ति के रूप में 7 रुपये प्रति किग्रा० की कीमत पर दिया जाता है। उत्पादन का शेष 29.5% भाग विनिर्माताओं द्वारा अपनी इच्छानुसार बेच दिया जाता है।

Sale of Indian books abroad

6325. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether the sale of books in Indian languages is on the increase in foreign countries;

(b) the names of the countries where these are sold in large number ; and

(c) the annual foreign exchange earned by Government from the sale of books abroad during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) to (c). The Ministry of Foreign Trade do not maintain export figures of books in Indian languages. However, a statement indicating the total exports of printed books during the last three years (country-wise) and the foreign exchange earned is enclosed.

Statement

Export of Printed Books during the last three years are as follows

		(Value in Rs. Lakhs)		
S. No.	Countries	1969-70	1970-71	1971-72 (April Nov.)
1	2	3	4	5
1.	Afghanistan	2	2	2
2.	Australia	1	1	1
3.	Burma	2	2	1
4.	Ceylon	6	4	4
5.	Hongkong	2	1	Negligible
6.	Kenya	6	2	3
7.	Malaysia	4	5	4
8.	Mauritius	1	1	Negligible
9.	Nepal	9	7	26

1	2	3	4	5
10.	Philippines	2	1	2
11.	S. Ymn. P. Rep	2	1	1
12.	Saudi Arabia	2	3	1
13.	Singapore	7	4	5
14.	South Africa	2	2	2
15.	Tanzania	1	1	3
16.	Thailand	2	1	Negligible
17.	U. A. R.	19	2	1
18.	U. K.	9	5	6
19.	U. S. A.	12	15	12
20.	Total (including other countries)	100	74	86

खागौल (दानापुर) में डिग्री कालेज का खोला जाना

6326. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खागौल (दानापुर) स्थित रेल कर्मचारियों की लड़कियों को पटना में डिग्री कालेज में पढ़ने जाने में रोजाना भारी असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या खागौल में ही डिग्री कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) आने-जाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ख) खगौल में ही एक डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है ।

Strike by Railway employees of Kota Station

6327. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway employees of Kota station went on strike on the 14th April, last ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) to (c). On 13-4-72, a casual labourer employed by the Railway at Kota was run over in the course of shunting in the goods yard, resulting in his right leg being cut off. The local staff carried the injured person to the Railway Hospital at Kota and the patient was immediately attended to. It was a case of amputation of the leg. As the regular Anaesthetist had gone on duty to Gangapur City in connection with

the Family Planning Operation programme, Assistant Railway Medical Officer, on emergency duty, did not undertake the risk of operation without the aid of anaesthesia. The patient was therefore, given necessary first aid and rushed to the Civil Hospital in Railway ambulance. His leg was amputated in the Civil Hospital and he is progressing. On 14-4-72, a section of staff, most of whom were un-approved substitutes and some outsiders squatted on the Railway track at Kota Station, and demanded arrest and suspension of the Assistant Medical Offcer for not undertaking the operation in Railway Hospital. On an assurance that the matter would be equired into, the squatters dispersed. A Committee of three officers has been appointed to enquire into the incident.

रेलवे में अनुसचिवीय कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध

6328. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अनुसचिवीय कर्मचारियों की भर्ती पर 1962 से लगा प्रतिबन्ध हाल ही में आंशिक रूप से हटा लिया गया है ;

(ख) क्या अनुसचिवीय कर्मचारियों की कमी और उसके परिणामस्वरूप कार्य भार बढ़ जाने के कारण कर्मचारियों की शिकायतें बढ़ रही हैं ; और

(ग) यदि हां तो क्या कर्मचारियों की संख्या को सुनिश्चित करने के लिए कोई मापदण्ड है; यदि हां, तो इसे कब निश्चित किया गया था और क्या इसी के अनुसार अनुसचिवीय कर्मचारी रखे गये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जहां कार्य भार बढ़ा है, वहां रेलों पर अन्यत्र उपलब्ध फालतू कर्मचारियों को लगाकर सामान्यत: स्थिति को सम्हाला जाता है। जिन मामलों में कार्यभार सम्बन्धी कर्मचारियों की शिकायत फालतू कर्मचारियों को लगाकर दूर नहीं की जा सकी, वहां भर्ती सम्बन्धी प्रतिबन्ध में आंशिक ढील दे दी गयी है।

(ग) कुछ रेलों ने माप-दण्ड निर्धारित किये थे, जो विभिन्न रेलों पर भिन्न भिन्न तिथियों से लागू थे। वर्तमान कार्यों की वास्तविक अपेक्षाओं तथा प्रशासी खर्च में मितव्ययिता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनका यथासम्भव अनुसरण किया जा रहा है।

भारत-नेपाल व्यापार में गिरावट

6329. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल को सभी प्रकार का व्यापार धीरे-धीरे कम हो गया है, क्योंकि कुछ देशों ने नेपाल के बाजारों में अपना माल बड़ी मात्रा में भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सामान के निर्यात में कमी आई है ; और

(ग) नेपाल के बाजारों में पुनः माल भेजने तथा उस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). नेपाल के साथ भारत का व्यापार 1965-66 में 27.15 करोड़ रुपये से बढ़कर 1969-70 में 41.68 करोड़

रुपये हो गया। वर्ष 1970-71 में व्यापार गिर कर 33.63 करोड़ रुपये का रह गया जिसका मुख्य कारण यह था कि भारत-नेपाल व्यापार तथा परिवहन संधि (1960) की समाप्ति के बाद नई संधि होने तक समय अन्तराल रहा। अगस्त 1971 में नई संधि होने पर नेपाल से व्यापार की मात्रा में सुधार होने की आशा है।

भारत-बंगला देश सीमा पर निर्बाध व्यापार जोन

6331. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के बीच हाल में हुई व्यापार संधि के पश्चात् भारत-बंगला देश सीमा पर दोनों ओर निर्बाध व्यापार जोन स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा वहां किस प्रकार की वस्तुओं का व्यापार किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). शायद माननीय सदस्य का संकेत भारत और बंगला देश के बीच मार्च, 1972 में किये गये व्यापार करार के प्रति है। भारत-बंगला देश सीमा पर दोनों ओर किसी प्रकार का निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने की कोई प्रस्थापना नहीं है। व्यापार-करार में, अन्य बातों के साथ साथ, भू-सीमा-शुल्क सीमाओं के दोनों ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोजाना प्रयोग के पदार्थों तथा खराब होने वाली वस्तुओं के व्यापार को सुकर बनाने हेतु सीमावर्ती व्यापार की व्यवस्था है। ये सुविधाएं उन व्यक्तियों को उपलब्ध हैं जिनके पास विशेष परमिट हैं और जो सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर के भीतर रहते हैं। व्यापार करार की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई है।

मीटरगेज को बड़ी लाइन में बदलने के दौरान सामान्य परिवहन सुविधायें

6332. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन रेल-मार्गों पर परिवर्तन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, क्या उन पर यात्री अथवा सामान के यातायात में किसी प्रकार की रुकावट होगी ; और यदि हां, तो परिवर्तन की अवधि के दौरान सामान्य परिवहन सुविधायें बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : बड़ी लाइन में परिवर्तन के ठीक पहले कुछ दिनों को छोड़-कर, जब कि यातायात बन्द करना पड़ेगा, आमान परिवर्तन से सम्बन्धित निर्माण-कार्य रेल यातायात में बिना किसी प्रकार की अस्त-व्यस्तता के पूरा हो जायेगा। यह यातायात बन्दी कम से कम समय तक सीमित रखी जायेगी।

पंजाब और हरियाणा से काण्डला बन्दरगाह तक खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए वैगनों की मांग

6333. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा से काण्डला बन्दरगाह तक खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए बड़ी लाइन और मीटर गेज लाइनों के लिये वैगनों की औसत दैनिक सप्लाई कितनी है ;

(ख) उक्त कार्य के लिये बड़ी लाइन और मीटर गेज लाइनों के लिये वैगनों की औसत दैनिक सप्लाई कितनी है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). पंजाब और हरियाणा से काण्डला बन्दरगाह के लिये अनाज का संचलन फरवरी, 1972 से आरम्भ हो गया था। फरवरी, 1972 से अप्रैल, 1972 तक के महीनों में, प्रतिदिन औसतन बड़ी लाइन के 8 और मीटर लाइन के 14 माल डिब्बों की मांग की गई थी जो पूरी कर दी गयी।

हावड़ा-नागपुर रेल मार्ग (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर ट्रेन सेवाओं का अव्यवस्थित होना

6334. **श्री० पी० गंगा देव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 22 अप्रैल, 1972 को हावड़ा-नागपुर लाइन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर ट्रेन-सेवायें अव्यवस्थित हो गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) एक खलासी और रेलवे पुलिस के एक सिपाही के बीच झगड़ा हो जाने के परिणामस्वरूप सवारी डिब्बा कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन करने के कारण।

(ग) राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाही की गयी है और कुछ निवारक उपाय भी किये गये हैं।

अलीगढ़ जिले में नैमित्तिक श्रमिकों की मजूरी-दर

6335. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ जिले में नैमित्तिक श्रमिकों की दैनिक मजूरी-दर 3 रुपये प्रति कार्य-दिवस है ;

(ख) यदि हां, तो दरों की अनुसूची की मद 14 के अन्तर्गत 15 अगस्त, 1971 से इलाहाबाद डिवीजन के अलीगढ़ जंक्शन पर सामान उतारने-चढ़ाने के लिये भूतपूर्व ठेकेदार द्वारा संगठित तथा नियंत्रित सोसाइटी, जिसका वह सेक्रेटरी है, को 20 रुपये प्रति कार्य दिवस की दर की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त सोसायटी ने 15 अगस्त, 1971 से मार्च, 1972 के बीच महीने-वार अलग-अलग 20 रुपये प्रति कार्य-दिवस के आधार पर उतारने-चढ़ाने के काम के लिये कितना भुगतान लिया ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) आजकल अलीगढ़ जिले में नैमित्तिक श्रमिकों की दैनिक मजदूरी-दर 4 रुपये है।

(ख) ठेके के समग्र मूल्यांकन के प्रसंग में रेलवे पार्सल एण्ड गुड्स पोर्टर्स को-आपरेटिव कांट्रैक्ट सोसाइटी लि०, अलीगढ़ द्वारा उद्धृत 2.50 रुपए प्रति श्रम घंटा की दर को टेन्डर समिति ने उचित समझा। यह ठेका 1,423 रु० 68 पैसे प्रति मास का था जबकि 1967 में दिए गए पिछले ठेके का मासिक मूल्यांकन 1,120 रु० 58 पैसे था। भारी परेषणों को उतारने-चढ़ाने जैसे काम को देखते हुए, जिसके लिए सामान्यतः क्रेन आदि के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है, उद्धृत दरें युक्तियुक्त समझी गयी हैं और काम के अनिश्चित और अंशकालिक होने के कारण इन दरों का घंटों के आधार पर होना आवश्यक है।

(ग) 15 अगस्त, 1971 से मार्च, 1972 तक रेलवे पार्सल एण्ड गुड्स पोर्टर्स को-आपरेटिव सोसाइटी, लि० अलीगढ़ को श्रमघंटा के आधार पर जितनी रकम का भुगतान किया गया, वह इस प्रकार है :—

15-8-71 से 31-8-71 तक	728.95 रु०
सितम्बर, 1971	271.25 रु०
अक्तूबर, ,,	928.33 रु०
नवम्बर, ,,	225.00 रु०
दिसम्बर, ,,	773.75 रु०
जनवरी, 1972	787.92 रु०
फरवरी, ,,	535.41 रु०
*मार्च, ,,	196.25 रु०

Thefts at Garhara Railway Station (Eastern Railway)

6336. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that goods worth lakhs of rupees are stolen at Garhara Railway Station (Bihar) in the course of transhipment of goods from metre gauge to broad gauge and vice-versa :

(b) if so, the value of goods stolen during the last three years and the steps taken or proposed to be taken by Government to check the thefts ; and

(c) the extent to which Railway Protection Force has been held responsible for the thefts ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) to (c). The information is being collected and the same will be laid on the Table of the Sabha.

कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य

6337. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन का 36 रुपए प्रति मन न्यूनतम मूल्य, जिसकी ए० पी० सी० ने सिफारिश की थी, किसानों के लिए लाभप्रद नहीं है ;

* सोसाइटी द्वारा दावा की गयी रकम। भुगतान का सत्यापन अभी नहीं हुआ है।

(ख) क्या बिहार की 'जूट ग्रोअर्स एसोशिएशन' ने मांग की है कि पटसन का न्यूनतम मूल्य 45 रुपए प्रति मन किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) आसाम बाटम किस्म के कच्चे पटसन के लिए कृषि कीमत आयोग ने जिस न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश की है तथा जिसे सरकार ने 1971-72 के मौसम के लिए स्वीकार कर लिया है, वह कलकत्ता में 113.87 रु० प्रति क्विंटल (42.50 रु० प्रति मन के बराबर) है ।

(ख) न्यूनतम समर्थन कीमत में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर मांगें प्राप्त हुई हैं । कृषि कीमत आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा निर्धारित कीमत उचित समझी जाती है ।

विदेशों में संयुक्त उद्यमों के बारे में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किया गया अध्ययन

6339. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व किये गये भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के विस्तृत अध्ययन से इस बात का पता चला था कि विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यम आरम्भ करके उन्हें बढ़ावा देने और उनका विस्तार करने की असीम गुंजायश है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). लगभग तीन वर्ष पहले विदेश व्यापार के भारतीय संस्थान ने संयुक्त औद्योगिक उद्यमों का एक अध्ययन किया था। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि विदेशों में इस प्रकार के उद्यमों में भारतीय उद्यमकर्ताओं द्वारा भाग लिये जाने की पर्याप्त गुंजायश है । अध्ययन की रिपोर्ट में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के प्रयोजनार्थ वस्त्र मिलों, सीमेंट संयंत्रों, चीनी मिलों आदि जैसे उद्योगों की सूची दी गई है। इसमें विदेशों में संयुक्त उद्यमों के संवर्धन हेतु आवश्यक उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है ।

संथाल परगना, बिहार में पकूर से पत्थर की वस्तुओं की ढुलाई के लिए बिहार सरकार का वैगनों के लिए अनुरोध

6340. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संथाल परगना जिले (बिहार) के पकूर तथा अन्य स्थानों से पत्थर की वस्तुओं की ढुलाई के लिए आवंटित रेलवे वैगन आवश्यकता-पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है ;

(ख) क्या रेलवे वैगन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने से उत्तर बिहार में निर्माण कार्य में बहुत बाधा पड़ी है ;

(ग) क्या बिहार सरकार ने इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय से सम्पर्क किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जनवरी से अप्रैल, 72 तक की अवधि के दौरान साहिबगंज लूप के पकौड़ और अन्य खदानों से पत्थर की कुल लदान 11.89 मालडिब्बों की हुई थी। अन्य उच्च प्राथमिकता वाले यातायात की परिवहन सम्बन्धी मांग और माल डिब्बों की उपलब्धता के अनुरूप पकौड़ से पत्थर ढुलाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) इस मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

(ग) बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए पत्थर की ढुलाई हेतु मालडिब्बों की सप्लाई के बारे में बिहार सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(घ) पकौड़ के खदान प्रधानतः पश्चिम बंगाल क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यथा सम्भव अन्य राज्यों को भी इन खदानों से माल भेजे जाते हैं। मई, 72 में पकौड़ क्षेत्र से लदान बढ़ाकर प्रतिदिन 137 मालडिब्बे तक कर दिया गया जबकि जनवरी से अप्रैल, 72 तक की अवधि में प्रतिदिन लगभग 100 माल डिब्बे लादे गये थे।

बिहार के शाहाबाद जिले में बड़ी लाइन के लिए बिहार सरकार का प्रस्ताव

6341. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने शाहाबाद जिले के पायराइट-चूनापत्थर क्षेत्र में बड़ी लाइन बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग ने, जिसे इस सम्बन्ध में लिखा गया था, सुझाव दिया है कि देहरी-आन-सोन से अमझोरे बंजारी तक बड़ी लाइन के निर्माण का कार्य उस समय तक आस्थगित रखा जाय जब तक कि सिन्दरी के विस्तार के लिए नियुक्त की गयी समिति सिन्दरी के विस्तार से सम्बन्धित प्रश्न को हल नहीं कर लेती। योजना आयोग से और आगे सूचना की प्रतीक्षा है।

कपड़ा उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए आधुनिक मशीनों का आयात

6342. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूती कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए आधुनिक मशीनों के आयात की अपनी योजना में कतिपय परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विदेशी मुद्रा की उपलब्धि की सीमा तक ही जटिल मशीनों के आयात का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1972 के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का प्रस्ताव

6343. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1972 के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने हाल में औद्योगिक संवर्धन सेवा का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा किया गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मेला प्राधिकारी मेले में उनके कार्यों में सहायता देने के लिए उन्हें मुफ्त छता हुआ स्थान तथा एक अधिकारी की सेवाएं भी प्रदान करेगा।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की औद्योगिक संवर्धन सेवा (ओ० से० से०) विकासशील देशों के लाभ के लिये बड़े व्यावसायिक सौदों के संवर्धन हेतु औद्योगिक तथा व्यापार मेलों का प्रयोग उत्तम सम्पर्क अवसरों के रूप में करती है। यह विकासशील देशों के भागीदारों को औद्योगिक देशों से आये हुए अपने सम्बन्धियों से मिलने का सुअवसर प्रदान करती है, जो सामान्यतः तकनीकी ज्ञान, उपस्कर और/अथवा वाणिज्यिक तथा वित्तीय सहयोग देने की स्थिति में होते हैं। औद्योगिक संवर्धन सेवा द्वारा औद्योगिक दिवस आयोजित किये जाते हैं जिससे समर्थ उपभोक्ताओं और सम्भरकों को औपचारिक तथा अनौपचारिक भेंट देने और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो सके। अनुरोध पर निजी बैठकों की व्यवस्था भी की जाती है ताकि संबंधित पक्ष संयुक्त उद्यमों परामर्शदात्री सेवाओं अथवा प्रबन्धकीय सहायता की संभाव्यताओं का पता लगा सकें।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मेले में अपनी लागत पर औद्योगिक संवर्धन सेवा चलाने के लिये विशेषज्ञों का एक दल भेजने का प्रस्ताव हैं।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों की नियुक्ति

6344. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानान्तरण करके एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त करने के मापदण्ड क्या हैं ; और

(ख) क्या ऐसे स्थानान्तरणों और नियुक्तियों के मामलों में भारत के मुख्य न्यायाधिपति की सलाह ली जाती है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). किसी उच्च न्यायलय में दूसरे उच्च न्यायालय से स्थानान्तरण द्वारा मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के लिए अपनाये जाने वाला मापदण्ड योग्यता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसकी अर्हताओं, अनुभव और कार्यसम्पादन के रिकार्ड से प्रकट हो। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधिपति से अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाता है।

Quota of Railway quarters for staff under Inspectors, Nizamuddin, Delhi and New Delhi of S. & T. Department (Northern Railway)

6345. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether each Inspector of the Signal and Telecommunications Department is allotted quota of Railway quarters for the employees working under him ;

(b) if so, the quota of Railway quarters for class III and IV employees working under the Signal Inspector, Nizamuddin ; Telecom. Inspector, New Delhi and Signal Inspector (East) Delhi ; and

(c) whether there is any representative of Signal and Telecommunication Department in the Housing Committee (Delhi Area), and if so, the number of times the said representative was invited to the meetings thereof during 1971 and 1972 and the number of times he attended such meetings ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes, for Class IV staff only.

(b) **Class III Staff quota**

Does not arise.

Class IV Staff quota :

1. Signal Inspector/East, Delhi	37
2. Signal Inspector/Nizamuddin	6
3. Telecom, Inspector	4

(c) The reply to the former part is in the negative; the latter part does not arise.

दिल्ली, जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों (उत्तर रेलवे के इलेक्ट्रीकल मिकेनिकल सिगनल मेनटेनरों का दर्जा बढ़ाना

6346. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक (एस० एंड टी०) के दिनांक 30 जून 1965 के पत्र संख्या 561 ई/225 ई आई आई बी) में, जो ग्रेड 175-240 के मेकेनिकल सिगनल मेनटेनरों के पदों का दर्जा बढ़ाने के बारे में है, उल्लिखित हिदायतों को सम्पूर्ण उत्तर रेलवे में लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली, जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों के कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). माननीय संसद-सदस्य द्वारा उद्धृत पत्र में प्रकट रूप में संकेत उन हिदायतों से है जो उत्तर रेलवे के पत्र सं० 561 ई/225 (ई II बी) दिनांक 30 जुलाई, 1965 न कि 30 जून, 1965 में उल्लिखित है। इस पत्र में सभी मंडल अधीक्षकों से कहा गया था कि वे उक्त पत्र में निर्दिष्ट सामान्य मार्ग-दर्शन के आधार पर सिगनल अनुरक्षक संवर्ग की समीक्षा और पुनर्गठन करें। लेकिन, समग्र रूप से प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुनर्गठन प्रस्तावों को न तो अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया और न क्रियान्वित। अतः उत्तर रेलवे के दिल्ली, जोधपुर, बीकानेर और अन्य मंडलों में किन्हीं पदों का दर्जा नहीं बढ़ाया गया।

दिल्ली, जोधपुर और बीकानेर डिविजनों (उत्तर रेलवे) के इलैक्ट्रीकल/मिकेनिकल सिगनल मेनटेनरों की ड्यूटी लिस्ट लगाना

6347. **श्री चंद्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 110-180 रुपए, 130-212 रुपए और 175-240 रुपए के वेतन-क्रमों वाले दिल्ली-जोधपुर और बीकानेर डिवीजन में काम कर रहे इलेक्ट्रीकल/मकेनिकल सिगनल मेनटेनर एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं और स्पष्ट ड्यूटी लिस्टें बना कर रखी नहीं गई हैं या उन्हें दी नहीं गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और(ख). 110-180 रु०, 130-212 रु० और 175-240 रु० के ग्रेड में बिजली/यांत्रिक सिगनल अनुरक्षकों के कामों की किस्म मोटे तौर पर एक जैसी ही है। इन कामों के उत्तरदायित्व, महत्व और इनके लिए अपेक्षित कुशलता के आधार पर इन कर्मचारियों के लिए विभिन्न ग्रेड नियत किये जाते हैं। इनके कार्यभार एक स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं जो कि यातायात की परिस्थितियों और संस्थापनाओं और उपस्करों की परिष्कृत प्रणाली पर निर्भर करते हैं।

उनकी ड्यूटी की कोई लिखित सूची नहीं जारी की गयी है लेकिन तीन ग्रेडों में बिजली/यांत्रिक सिगनल अनुरक्षकों को सौंपे जाने वाले काम के संबंध में मार्ग दर्शन के लिए कुछ बातें निश्चित कर दी गयी हैं जो इस प्रकार हैं :—

1. **बिजली सिगनल अनुरक्षक**

(i) दोहरी लाइन ब्लाक उपकरणों और बिजली सिगनल संस्थापनाओं का अनुरक्षण 175-240 रु० (अ० वे०) के ग्रेड के कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

(ii) इकहरी लाइन खंडों पर ब्लाक उपकरणों का अनुरक्षण 130-212 रु० (अ० वे०) के ग्रेड के कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

(iii) बड़े यार्डों में अन्य उपस्करों का अनुरक्षण 175-240 रु० या 130-212 रु० (अ० वे०) के ग्रेड के कर्मचारियों द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले उपस्कर की जटिलता और काम की मात्रा के अनुसार किया जाना चाहिए।

(iv) चूंकि ब्लाक उपकरणों और संकेत उपकरणों का अनुरक्षण करने वाले कर्मचारियों को मार्ग के अन्य स्टेशनों के सिगनल उपस्करों का अनुरक्षण करना पड़ेगा इसलिए इस प्रयोजन के लिए इन अनुरक्षकों की सहायता के लिए 110-180 रु० (अ० वे०) के ग्रेड में बिजली सिगनल अनुरक्षक रखे जाने चाहिए।

(II) **यांत्रिक सिगनल अनुरक्षक**

(i) बड़े यार्डों में भारी मरम्मत का काम करने के लिए 175-240 रु० (अ० वे०) के ग्रेड में कम से कम एक अनुरक्षक की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ii) महत्वपूर्ण यार्डों में भारी मरम्मत का काम करने के लिए 130-212 रु० (अ० वे०) के ग्रेड में कम से कम एक अनुरक्षक की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अलीगंज और कटवा जंक्शनों (पूर्व रेलवे) के बीच 355 अप और डाउन ट्रेनों का बन्द किया जाना

6348. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० ए० लूप लाइन (पूर्व रेलवे) पर अलीगंज और कटवा जंक्शनों के बीच 355 अप और 356 डाउन ट्रेनों को मई, 1972 में बन्द कर देने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). बंगला देश को राहत कार्य के लिए आवश्यक तात्कालिक सामानों की ढलाई के लिए क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 355 अप/356 डाउन सवारी गाड़ियां रद्द रहेंगी। इस सम्बन्ध में स्थिति सुधरते ही इन गाड़ियों को फिर से चलाने पर विचार किया जायेगा।

पटसन के स्थान पर कृत्रिम रेशों का प्रयोग

6349. **श्री त्रिदिब चौधरी : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका में कालीनों की पृष्ठ भूमि के निर्माण में पटसन के स्थान पर कृत्रिम रेशों के प्रयोग से भारत से बारदाने के निर्यात पर होने वाले प्रभावों का कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) इससे भारत के पटसन उद्योग और रोजगार के स्तर पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). यह निःसंदेह सच है कि संश्लिष्ट पदार्थों ने पटसन कारपेट के अस्तर और अन्य पटसन की वस्तुओं के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। तथापि, 1971-72 के दौरान, पटसन की वस्तुओं के निर्यातों में काफी सुधार हुआ है और ऐसी आशा है कि 1972–73 में निर्यात निष्पादन उतना ही अच्छा रहेगा। उद्योग के दीर्घावधि हितों की दृष्टि से निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में तत्काल उपाय करना आवश्यक है।

(1) प्रति हेक्टार उपज में सुधार ;

(2) कच्चे पटसन की कीमतें सुस्थिर करना ;

(3) लगातार गवेषणा करके पटसन तथा पटसन उत्पादों के गुणों में सुधार करना ;

(4) कीमतों को उस स्तर तक नीचे लाना ताकि वे संश्लिष्टों से प्रतियोगिता कर सकें ; तथा

(5) नई चीजें बना कर उत्पादन का विविधीकरण करना ।

इन बातों पर कार्यवाही पहले ही की जा रही है ताकि संश्लिष्ट पदार्थों से बढ़ती हुई प्रतियोगिता का मुकाबला किया जा सके ।

इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात

6350. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात की अच्छी सम्भावनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष इन वस्तुओं का निर्यात 165 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले में 120 करोड़ रुपये का ही हुआ था ; और

(ग) क्या निर्माताओं ने इस्पात की कमी की शिकायत की थी जिसके कारण वे 160 करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस वर्ष इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाएं उज्ज्वल हैं । इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् ने वर्ष 1972-73 के लिए 200 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है ।

(ख) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् ने 165 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था । जो निर्यात वास्तव में किये जा चुके हैं, उन के आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं । ऐसा अनुमान है कि कुछ कमी रहेगी ।

(ग) जिन कारणों से निर्धारित लक्ष्य तक इस मद का निर्यात नहीं हो पाया, उसमें इस्पात की कमी केवल एक कारण था । धीमी विकास गति के लिए उत्तरदायी अन्य कारण इस प्रकार हैं :

(1) भुगतान की समस्याओं के कारण मिश्र के अरब गणराज्य को निर्यात करने में कठिनाइयां ;

(2) पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान जहाजरानी सेवा में अव्यवस्था ;

(3) जहाजरानी कम्पनियों द्वारा भाड़े की दर में वृद्धि ;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा में उतार-चढ़ाव और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं का अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन ।

बिहार में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

6351. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में मीटर गेज और छोटी रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई कितनी है ;

(ख) क्या इन लाइनों में से किसी को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रेलवे लाइनों की लम्बाई के बारे में सूचना राज्यवार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेलों के अनुसार संकलित की जाती है ।

31 मार्च, 1971 को यातायात के लिए चालू मार्ग किलोमीटर का रेलवे क्षेत्रवार और आमानवार ब्यौरा, भारतीय रेल व्यवस्था पर रेलवे बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट (सांख्यिकीय विवरण) 1970-71 के पूरक के विवरण सं० 8 में किया गया है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) और (ग). गोंडा, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर के रास्ते बाराबंकी-समस्तीपुर मीटर लाइन (604 कि०मी०) को बड़ी लाइन में बदलने की मंजूरी दी जा चुकी है । यह लाइन अंशतः बिहार में भी पड़ती है । इस काम की अनुमानित लागत 46.34 करोड़ रुपये है और यह पांच वर्षों में पूरा हो जायेगा ।

फालतू विद्युत् शक्ति का उपयोग

6352. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् सप्लाई के लिए परस्पर सम्बद्ध पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में विद्युत् शक्ति की फालतू क्षमता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस फालतू विद्युत् क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पूर्वी क्षेत्र में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और दामोदर घाटी निगम की विद्युत् प्रणालियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विद्युत् प्रणाली असम के साथ जोड़ी जा रही है । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अन्दर असम पहले से ही त्रिपुरा और नागालैंड से जुड़ा हुआ है और मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश से जोड़ा जा रहा है ।

(ख) और (ग). इस समय पूर्वी क्षेत्र में कोई फालतू विद्युत् नहीं है । असम में कुछ फालतू विद्युत् है जिसको त्रिपुरा और नागालैंड में प्रयोग में लाया जा रहा है ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या

6353. **श्री अम्बेश** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) इनमें से कितने और कितने प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के हैं ; और

(ग) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमों के अधीन कौन-कोन से पदों को सीधी भरती के लिए मुक्त रखा गया है और उनके वेतन-क्रम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

	कर्मचारियों की संख्या	**अनुसूचित जाति की संख्या और प्रतिशतांश**	**अनुसूचित जनजाति की संख्या और प्रतिशतांश**
श्रेणी-एक	41	3 / 7.32 प्रतिशत	कोई नहीं
श्रेणी-दो	143	11 / 7.69 प्रतिशत	1 / 0.7 प्रतिशत
श्रेणी-तीन	235	25 / 10.64 प्रतिशत	1 / 0.43 प्रतिशत
श्रेणी-चार	112	30 / 26.79 प्रतिशत	1 / 0.9 प्रतिशत

(ग) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2041/72**]

मणिभद्रा सिंचाई परियोजना का प्रतिवेदन

6354. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को मणिभद्रा सिंचाई परियोजना का परियोजना प्रतिवेदन उड़ीसा सरकार से प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है ; और

(ग) क्या यह परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ हो जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) उड़ीसा सरकार से अभी तक इस स्कीम के लिए कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिये न्यायाधीशों की आवश्यक संख्या के बारे में अध्ययन

6356. **श्री वेकारिया** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ष का कार्य निपटाने के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की आवश्यक संख्या निर्धारित करने हेतु क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). यह मुख्य रूप से राज्य प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्य की स्थिति की जांच करें और यदि मामलों के संस्थित किए जाने और निपटाने तथा बकाया मामलों को निपटाने की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति उचित प्रतीत हो तो उसके लिए प्रस्ताव भेजें। प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारत सरकार उनकी जांच करती है और यदि वृद्धि का प्रस्ताव ठीक प्रतीत होता है तो नए पदों के सर्जन की बाबत राष्ट्रपति की मंजूरी राज्य प्राधिकारियों को सूचित कर दी जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने वाले राज्य

6357. **श्री वेकारिया** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने वाले भारतीय राज्यों के नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अब तक निम्नलिखित राज्यों ने 'एशिया 72' में अपने भाग लेने की पुष्टि की है :

राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, गोआ, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु।

आसाम, नागालैण्ड, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश की सरकारों का एक संयुक्त मंडप लगाने का विचार है। अन्य सरकारें अभी इस विषय पर विचार कर रही हैं।

रेलवे कर्मचारियों के लिये अवकाश गृहों में स्थान का आवंटन करने की प्रक्रिया

6358. **श्री वेकारिया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न पर्वतीय स्थलों पर बनाये गये अवकाश गृह कहां-कहां पर स्थित हैं ;

(ख) क्या ये गृह केवल रेल कर्मचारियों के लिये आरक्षित हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो गैर-रेल कर्मचारियों को इन गृहों में कमरों का आवंटन करने की प्रक्रिया क्या है ; और

(घ) गर्मियों में तथा अन्य मौसमों में रेल कर्मचारियों और गैर-रेल कर्मचारियों से कितना-कितना शुल्क लिया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) विभिन्न पहाड़ी स्थानों और दूसरे स्थानों पर तीसरे और चौथे दर्जे के कर्मचारियों के लिए रेलों ने जो अवकाश-गृह खोले हैं वे निम्न सूची में दिये गये हैं।

अवकाश गृहों की सूची।

*1. मसूरी
2. शिलांग
3. शिमला
4. पहलगाम
5. श्रीनगर
6. लोनावला
7. माथेरान
8. इगतपुरी
*9. पुरी
10. बैद्यनाथ धाम
11. राजगीर
12. बड़ोग
13. बांद्रा (बम्बई)
14. कार्टाल्लम
15. मदुरै
16. मैसूर
17. कोनूर
18. रांची

(ख) ये अनिवार्यतः रेल कर्मचारियों के लिए ही बनाये गये हैं।

(ग) यदि रेल कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद स्थान उपलब्ध हो तो ये अवकाश गृह दूसरे सरकारी कर्मचारियों को भी दिये जाते हैं।

* मसूरी और पुरी में दो-दो अवकाश-गृह हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार के दूसरे कर्मचारियों से लिए जाने वाले प्रभार की दरें भी वही हैं जो रेल कर्मचारियों के लिए हैं अर्थात् तीसरे दर्जे के कर्मचारियों के लिए 0.75 रुपये और चौथे दर्जे के कर्मचारियों के लिए 0.25 रुपये प्रति सूट प्रति दिन ।

चाय के बेकार अंश का उपयोग

6359. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चाय के उस बेकार अंश का, जो इस समय जला दिया जाता है, लाभप्रद ढंग से उपयोग करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : देश में दस विनिर्माता एककों द्वारा कैफीन के उत्पादन के लिए चाय के बेकार अंश का लगभग 40 प्रतिशत भाग पहले ही उपयोग किया जा रहा है । इसके अलावा, इंस्टैण्ट चाय के एक विनिर्माता द्वारा, इंस्टैण्ट चाय तैयार करने के लिए चाय के बेकार अंश के उपयोग हेतु प्रयोग किये जा रहे हैं । भेषजीय-उद्योग के लिये कैफीन के निस्सारण के अलावा खाद्य उद्योग के लिए आक्सीरोधी पदार्थ तथा खाद्य-रंग जैसे रंजकों को तैयार करने के लिए टी स्वीपिंग को उपयोग में लाने के लिए चाय बोर्ड ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान परियोजना भी प्रायोजित की है ।

विदेश व्यापार मन्त्रालय तथा इसके विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या

6360. **श्री अम्बेश** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में विभागवार, श्रेणी 1, 2, 3 तथा 4 के कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) प्रत्येक वर्ग में कितने अधिकारी/कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं ; और

(ग) संघ लोक सेवा आयोग छूट (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन किन पदों के बारे में सीधी भर्ती के लिए छूट दी गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विदेश व्यापार मन्त्रालय में कोई विभाग नहीं है । मन्त्रालय से सम्बन्धित अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :–

श्रेणी 1 के कर्मचारी	111
श्रेणी 2 के कर्मचारी	296
श्रेणी 3 के कर्मचारी	332
श्रेणी 4 के कर्मचारी	152

(ख) श्रेणी 1	6
श्रेणी 2	11
श्रेणी 3	25
श्रेणी 4	39

(ग) कोई नहीं ।

दावों सम्बन्धी एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सतर्कता एवं विशेष पुलिस संस्थान के बारे में टिप्पणी

6361. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० वी० लाल की अध्यक्षता में दावे सम्बन्धी एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने 52वें अध्याय के पैरा 5211 और 5212 में, सतर्कता एवं विशेष पुलिस संस्थान द्वारा मामलों को निपटाये जाने के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). श्री आर० वी० लाल की अध्यक्षता में गठित दावों से सम्बन्धित विशेषज्ञ समिति ने मामलों की जांच-पड़ताल के तरीके पर टिप्पणी नहीं की है । समिति ने निम्नलिखित दो बातें कही हैं :—

(i) सतर्कता विभाग या विशेष पुलिस स्थापना को कार्यविधि सम्बन्धी अनियमितताओं के मामलों में दी गई सजाओं की समीक्षा नहीं करनी चाहिए अथवा ऐसे मामलों में समीक्षा करने या सजा बढ़ाने के लिए नहीं कहना चाहिए ;

(ii) विशेष पुलिस स्थापना और सतर्कता विभाग को उन गलतियों या अनियमितताओं पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार से सम्बन्धित न हो ।

(ग) वर्तमान परिपाटी के अनुसार सतर्कता विभाग उन कागजातों को मंगाता है जिनमें दी गयी सजाएं अपराध की गम्भीरता के अनुरूप नहीं होतीं । ऐसे मामलों में सतर्कता विभाग अनुशासनिक प्राधिकारी से दी गयी सजा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता है । ऐसे मामले यदा-कदा ही होते हैं ।

जिन मामलों में केवल विभागीय अनियमितताएं रहती हैं उनके सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की कार्रवाई तब तक नहीं की जाती है जब तक उनमें सतर्कता सम्बन्धी महत्वपूर्ण बात नहीं होती । फिर भी अनेक मामलों में यह विनिश्चय करना अत्यन्त कठिन होता है कि उनमें सतर्कता की दृष्टि से कोई बात नहीं है । यह वर्तमान परिपाटी है ।

फिर भी, जहां तक समिति की सिफारिश का सम्बन्ध है, उस पर विचार किया जा रहा है ।

Spindles allowed for Delhi Cloth Mills

6362. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of spindles and looms which were allowed to be operated by Delhi Cloth Mills, Delhi as on the 8th February, 1971 ; and

(b) the number of spindles and looms which Delhi Cloth Mills is permitted to operate at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b). Delhi Cloth Mills has a Registered/Licensed capacity of 76,508 spindles and 1452 looms. In January 1971 the mills was permitted to shift 35,000 spindles and 500 looms to its sister concern at Dasna-Philkhwa.

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में मितव्ययिता करने के उपाय

6363. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को हुई हानि के बारे में 25 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3802 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बारम्बार बढ़ती हुई हानि को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परियोजना निर्माण के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालियों में कर्मचारियों (राजपत्रित एवं अराजपत्रित)। भत्तों और आकस्मिकता व्यय को कम करने के लिए क्या ठोस उपाए किए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से निगम ने गत पांच वर्षों के दौरान कोई नई भरती नहीं की है। जब भी नये यूनिट स्वीकृत होते हैं, वर्तमान स्टाफ में से ही समायोजन कर लिया जाता है। निगम भी समय समय पर मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों ही में स्टाफ की स्थिति का पुनरवलोकन करता है। इन पुनरवलोकनों के परिणामस्वरूप स्टाफ की संख्या (राजपत्रित और अराजपत्रित) 1967-68 में 960 से कम करके 1971-72 में 701 कर दी गई है। निगम ने इसी प्रकार आकस्मिक व्यय में भी कमी ला दी है। मुख्यालय के लिए किराए पर लिए गये 6 भवनों में से, तीन खाली कर दिए गये हैं। इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप सिब्बन्दी और आकस्मिक व्ययों में कमी आ गई है और 1967-68 में जो व्यय 75 लाख रुपये था 1971-72 में वह घट कर 58.25 लाख रुपये हो गया।

बहराइच जिले में शारदा सहायक परियोजना के पानी से सिंचाई सुविधाएं देना

6364. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराइच में शारदा-सहायक परियोजना के जल से सिंचाई सुविधाएं बहराइच जिले के लिए उपलब्ध होंगी ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि शारदा-सहायक परियोजना, जिसका निर्माण इस समय हो रहा

है, से बहराइच जिले में सिंचाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, वे सरजू नदी से पानी लेकर लगभग 45000 एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने का विचार रखते हैं। इस स्कीम पर कार्य के शीघ्र ही आरम्भ होने की सम्भावना है।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा चार्ज लेते देते समय वस्तुओं की सूची बनाना

6365. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशन मास्टरों तथा गुड्स क्लर्कों से चार्ज लेते समय, चार्ज लेने वाले, सामान, वस्तुओं, रजिस्टरों और कागजात की कोई सूची नहीं बनाते हैं और वही स्टेशन मास्टर और गुड्स क्लर्क चार्ज देते समय, चार्ज देने वालों के लिये, कोई सूची बनाते हैं ; और

(ख) क्या उपर्युक्त प्रणाली सामान, वस्तुओं के दुर्विनियोग के लिए जिम्मेदार है और इससे बिना दण्ड के भय के अपराध करने में प्रोत्साहन मिलता है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) साप्ताहिक छुट्टी या अल्पकालिक अवकाश पर जाते समय जब स्टेशन मास्टर और गुड्स क्लर्क एक दूसरे को पारी बदलने पर कार्य भार सौंपते हैं तो बुक किये गये सामान, निष्क्रिय स्टाक, रजिस्टर और कागजात की सूची बनाने की प्रणाली नहीं है क्योंकि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। लेकिन जब कर्मचारी स्थानान्तरण या लम्बी छुट्टी पर जाता है तो इन सामानों की पूरी सूची तैयार की जाती हैं।

(ख) जी नहीं।

Progress made in construction of Etama Bongo Dam (Madhya Pradesh)

6366. **Shrimati Agamdas Minimata** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the construction of the Etama Bongo Dam on the Hasdeo river and whether Central Government propose to take over the construction work of this Dam ;

(b) whether Government propose to provide adequate funds to State Government for the completion of the said Dam ; and

(c) if so, the broad outline of the proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Powcr (Shri B. N. Kureel) : (a) The detailed project report and estimate of the scheme have not so far been sent up by the Government of Madhya Pradesh for consideration by the Planning Commission for acceptance of its inclusion in the developmental plan of the State.

(b) and (c). Do not arise.

ड्राइवरों के ग्रेड में (पश्चिम रेलवे) पदोन्नति के लिये वरिष्ठता निर्धारित करने के नियम

6367. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक ने अपने पत्र संख्या ई० 839/18/8/6 दिनांक

25 मई, 1965 में आदेश जारी किये थे जिसमें ड्राइवरों के ग्रेड में पदोन्नति के लिये कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये गये थे ; और

(ख) क्या उक्त आदेश "ए" और "बी" वर्ग के शंटरों की ड्राइवर "सी" के ग्रेड में पदोन्नति के सभी मामलों पर लागू होते हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

पश्चिम रेलवे में 'ए' ग्रेड ड्राइवरों की पदोन्नति

6368. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेल मंत्री जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में 'ए' ग्रेड के ड्राइवरों की पदोन्नति को विनियमित करने के सम्बन्ध में 4 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1954 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में 'ए' ग्रेड ड्राइवरों के कितने पद खाली पड़े हैं;

(ख) उपरोक्त रिक्त पदों पर निवृत्ति के लिए ग्रेड 'बी' के कितने ड्राइवर प्राप्त हैं; और

(ग) क्या ग्रेड 'बी' के केवल स्थायी ड्राइवर ही उनके लिए योग्यता प्राप्त माने जाते हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर रेलवे के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध की गई जांच का परिणाम

6369. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेल मंत्री उत्तर रेलवे के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध की गई जांच के परिणाम के बारे में 23 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की रिपोर्ट पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमों के अन्तर्गत मेरठ शहर के दो पार्सल क्लर्कों के विरुद्ध की गयी जांच के परिणामस्वरूप उनमें से एक की वेतन-वृद्धि एक वर्ष के लिए रोक दी गयी है। दूसरे क्लर्क का दर्जा घटाकर उसे अनिश्चितकाल के लिए क्लर्क के 130-225 (अ०वे०) के ग्रेड से बुकिंग क्लर्क के 110-200 (अ०वे०) के ग्रेड में रख दिया गया है और उसका वेतन 110-200 (अ०वे०) के न्यूनतम पर निर्धारित किया गया है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उत्तर रेलवे की समय सारणी का उपलब्ध न होना

6370. **श्री पी० बेंकटा सुब्बया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उत्तर रेलवे की समय-सारणी उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नवगांव (आसाम) में कोपिंग पनबिजली परियोजना

6372. **श्री डी० बसुमतारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के नवगांव जिले में कोपिंग पनबिजली परियोजना स्थापित करने के लिए स्थान निश्चित कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) कोपिली जल-विद्युत् परियोजना को कार्यान्विन के लिए अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है । चूंकि अभी तक जलाशय क्षेत्र से रन्ध्रो (सिंकहोल) के जरिये संचित जल के विस्तार की संभावना बनी हुई है, इसलिए आगे और अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इदिक्की पनबिजली परियोजना

6373. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इदिक्की पनबिजली योजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और कितनी राशि और खर्च की जानी है ; और

(ख) इस परियोजना से कितनी बिजली उपलब्ध होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 68.208 करोड़ रुपये की स्वीकृत अनुमानित लागत के मुकाबले, 4-4-1972 तक लगभग 48.00 करोड़ रुपये का व्यय होना प्रत्याशित था ।

(ख) पहले चरण के पूर्ण होने पर 390 मेगावाट की और अन्तत: 780 मेगावाट की पीक क्षमता, और 1800 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत्-जनन प्रत्याशित है ।

केरल में ग्राम्य विद्युतीकरण की नई परियोजनाएं

6374. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने हाल ही में ग्राम्य विद्युतीकरण की कुछ नई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र में जुलाई, 1969 में स्थापित ग्राम विद्युतीकरण निगम, राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए योगात्मक धन देता है। निगम ने अब तक केरल की नौ ऐसी स्कीमों की स्वीकृति दी है जिनमें 262 ग्रामों, 5646 कृषि पम्पसेटों के विद्युतीकरण और 829 लघु तथा कृषि-उद्योगों को विद्युत् सप्लाई करने के लिए 394.466 लाख रुपये की ऋण सहायता शामिल है। 54 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 28 ग्रामों, 260 कृषि सम्बन्धी पम्पसेटों के विद्युतीकरण और 94 लघु तथा कृषि उद्योगों को विद्युत् की सप्लाई के लिए केरल की एक ग्राम विद्युतीकरण स्कीम निगम में विचाराधीन पड़ी हुई है। इसकी निगम द्वारा बनाए गए मापदण्ड के अनुसार जांच की जा रही है और इसे केरल तथा अन्य राज्य बिजली बोर्डों की ऐसी स्कीमों की स्वीकृति के लिए धन की उपलभ्यता पर निर्भर करते हुए मंजूरी के लिए अलग से हाथ में ली जाएगी।

दक्षिण रेलवे में रेल दुर्घटनाएं

6375. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष दक्षिण रेलवे में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) रेल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुईं ;

(ग) रेलवे को कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(घ) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध इस बारे में विभागीय जांच प्रारम्भ की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 1-4-1971 से 31-3-72 तक की अवधि में दक्षिण रेलवे में गाड़ियों की टक्कर, गाड़ियों के पटरी से उतर जाने, समपार पर दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 97 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं।

(ख) इन 97 दुर्घटनाओं में से 54 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुईं।

(ग) इन दुर्घटनाओं में रेल सम्पत्ति को लगभग 12,65,300 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

(घ) रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई 54 दुर्घटनाओं के लिए 76 व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है।

तम्बाकू के निर्यात में कमी

6376. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व की उन मुख्य मंडियों के नाम क्या हैं जहां भारतीय तम्बाकू के निर्यात में कमी हुई है ; और

(ख) निर्यात में कितनी कमी हुई है और उसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1971-72 में विश्व बाजार को किए गए भारतीय तम्बाकू के समस्त निर्यात 1970-71 में किए गए निर्यातों की तुलना में अधिक थे। तथापि, 1971-72 के दौरान वेल्जियम, फ्रांस, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य और दक्षिण यमन जनवादी गणराज्य को निर्यात कम हुए।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1. निर्यातों में जितनी गिरावट आई उसका और उसके कारणों का उल्लेख नीचे किया जाता है :-

देश का नाम	1970-71 निर्यात की मात्रा	1971-72 में हुए निर्यात की अनुमानित मात्रा	कारण
	(मात्रा '000' कि.ग्रा.)		
वेल्जियम	519	393	1. एक अन्य यूरोपीय आर्थिक समुदाय के भागीदार से अधिक खरीदारी। 2. घरेलू उत्पादन बढ़ने से।
फ्रांस	1641	74	पहले संचित स्टाकों के कारण 1971-72 के दौरान कम खरी-दारी करना।
जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य	1493	864	जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य को किये जाने वाले निर्यातों में सामान्यतः काफी उतार-चढ़ाव रहता है।
दक्षिण यमन जनवादी गणराज्य	927	636	घरेलू तम्बाकू के उपभोग को प्रोत्साहन देने के लिए कठोर आयात प्रतिबंध।

2. बाजारों का अध्ययन करने के लिए एक तम्बाकू अध्ययन दल यूरोपीय देशों को हाल ही में भेजा गया था। इस दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

बाढ़ नियंत्रण की बृहद् योजना

6377. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियंत्रण (नदियां) के लिए कोई बृहद् योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कितनी सहायता दी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) :(क) और (ख). आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, भूतपूर्व पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों ने बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं की रूप रेखाएं तैयार की थीं जिनमें तटबन्धों निकास नालियों, जलाशयों, नदी नियन्त्रण कार्यों का निर्माण, गांवों को ऊंचा उठाना और उन इलाकों के लिए संरक्षण कार्यों का निर्माण शामिल था जहां बाढ़ें आया करती हैं। इन योजनाओं में सम्मिलित कार्यों की अनुमानित लागत लगभग 1300 करोड़ रुपये थी।

नवम्बर, 1970 में हुई बैठक में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने सुझाव दिया था कि राज्यों को उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर और हाल ही के वर्षों में बाढ़ों से प्राप्त अनुभव को भी ध्यान में रखते हुए विस्तृत योजनाएं तैयार कर लेनी चाहिए। किसी भी राज्य से संशोधित योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) बाढ़ नियंत्रण राज्य की योजना में शामिल है और इसलिए बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा ही व्यवस्था की जानी है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए निकाली गई प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उनकी योजनाओं में शामिल स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायया, ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष परियोजना अथवा विकास शीर्ष के लिए नहीं दी जाती। अतः बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई पृथक रक्षित सहायता नहीं है। बहरहाल, जब भी आवश्यक समझा जाता है, केन्द्रीय सरकार प्राथमिकता प्राप्त और आवश्यक बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए विशेष वित्तीय सहायता देती है। इस प्रकार की सहायता बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में कुछ प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए तथा असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में आवश्यक कार्यों के लिए हाल ही में स्वीकार की गई है।

बाढ़ नियंत्रण के लिये नदियों का अध्ययन

6378. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी अध्ययन के लिए चयन की गई नदियों की संख्या कितनी है ;

(ख) कितने मामलों में अध्ययन पूरा कर लिया गया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई सहायता देती है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा 1957 में नियुक्त बाढ़ विषयक उच्चाधिकार समिति ने भारत में बाढ़-प्रवण नदियों का व्यापक अध्ययन किया। समिति के निष्कर्षों को लोक सभा में 11 फरवरी, 1959 को तारांकित प्रश्न सं० 81 के उत्तर में सभा पटल पर रखा गया। यह संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

समिति ने विभिन्न नदी-बेसिनों के लिए अपने द्वारा बताए तरीकों के अनुसार बाढ़-नियंत्रण की व्यापक योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया था जिनमें बाढ़ों का इतिवृत, उनकी बारंबारता, परिमाप, अवधि, उनसे हुए नुकसान आदि का विस्तृत अध्ययन सम्मिलित हैं। तदनुसार, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तत्कालीन पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में नदियों के लिए बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं के प्रारूप तैयार किये थे। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने नवम्बर, 1970 में आयोजित बैठक में योजनाओं की तैयारी की स्थिति का पुनरीक्षण किया जब यह निश्चय किया गया कि राज्य उपलब्ध आंकड़ों और हाल के वर्षों में बाढ़ों के अनुभव के आधार पर अपने अध्ययन पूरे कर लें और बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजनाओं को अंतिम रूप दे दें। अंतिम रूप से तैयार की गई योजनाएं अभी तक किसी भी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए निकाली गई क्रियाविधि के अंतर्गत, राज्य सरकारों को उनकी योजनागत स्कीमों के लिए ऋण सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और उसे किसी खास परियोजना या विकास शीर्ष से नहीं जोड़ा जाता। इस तरह बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिए कोई पृथग्रक्षित सहायता नहीं होती। बहरहाल, केन्द्रीय सरकार जब और जहां आवश्यक समझती है, वरीयता वाले और तत्काल बाढ़ नियंत्रण उपायों के कार्यान्वियन के लिए विशेष वित्तीय सहायता देती है। हाल ही में, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में वरीयता वाली कुछ स्कीमों और असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में तत्काल निर्माण कार्यों के कार्यान्वियन के लिए ऐसी सहायता स्वीकार की गई है।

नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) में क्लेम प्रिवेन्शन इन्सपेक्टरों का केडर

6379. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्लेम इन्सपेक्टरों और क्लेम प्रिवेंशन इंसपेक्टरों का एक ही केडर है;

(ख) उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के क्लेम्स् कार्यालय में कितने क्लेम इन्सपेक्टर 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) क्या व्यापारियों से उनके सम्बन्धों को तोड़ने के विचार से उन्हें क्लेम प्रिवेन्शन ब्रांच में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) :) (क) जी हां।

(ख) 11

(ग) जी नहीं।

इन्डियन रेलवे कान्फ्रेन्स एसोसियेशन, नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को निःशुल्क रेलवे पास

6380 **श्री सतपाल कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन रेलवे कान्फ्रेन्स एसोसिएशन, नई दिल्ली के कितने कर्मचारी नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड्स निदेशालय, दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं; और

(ख) क्या प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्हें निःशुल्क रेलवे पास मिलता है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया): (क) एक।

(ख) प्रतिनियुक्ति के पहले चार वर्षों में उतने रेलवे पास जारी किये जाते हैं जितने रेल सेवा में अनुज्ञेय होते हैं और उसके बाद रेलवे पास सीमित मान पर जारी किये जाते हैं जैसा कि सेवा निवृत्ति पर अनुज्ञेय है।

उत्तर रेलवे में ए० पी० आई० डब्ल्यू० के पद पर कार्य कर रहे भूतपूर्व ए० आई० ओ० डब्ल्यू० अधिकारियों के लिये व्यवधानहीन सेवा

6381. **श्री धनशाह प्रधान :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के उन भूत-पूर्व ए० आई० ओ० डब्ल्यू० अधिकारियों की जो अब उत्तर रेलवे में ए० पी० डब्ल्यू० आई० के पदों पर कार्य कर रहे हैं, सेवा को व्यवधान-हीन सेवा न माने जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस मामले का अन्तिम रूप से निर्णय कब तक होगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) उत्तर रेलवे पर सहायक रेल पथ-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किये गये पश्चिम रेलवे के 35 में से 12 भूतपूर्व सहायक निर्माण निरीक्षकों की सेवाएं निरन्तर नहीं हैं, क्योंकि पश्चिम रेलवे पर फालतू हो जाने पर वैकल्पिक पद के लिए छान-बीन समिति के सामने उपस्थित होने अथवा छान-बीन के बाद वैकल्पिक पद स्वीकार करने से इनकार करने के कारण उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया गया था। लेकिन बाद में उनके अनुरोध पर उन्हें उत्तर रेलवे में सहायक रेल पथ निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया था।

(ख) उनकी सेवा भंग के प्रश्न को अंतिम रूप देने के लिए निम्नलिखित कारणों से कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती :

(i) इनके वेतन-निर्धारण के लिए इन कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों को उत्तर रेलवे को भेज दिया गया था। उन अभिलेखों को इकट्ठा किया गया है या किया जा रहा है ताकि पश्चिम रेलवे आगे कार्रवाई कर सके।

(ii) प्रत्येक कर्मचारी के सेवा भंग को माफ करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर पश्चिम रेलवे के उन विभिन्न यूनिटों द्वारा जहां वे कर्मचारी अन्त में काम कर रहे थे, उनके सम्बद्ध लेखा विभाग के परामर्श से आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी अथवा उसे वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से महाप्रबन्धकों के विचारार्थ मुख्यालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

इस मामले को यथाशीघ्र अंतिम रूप देने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

आंध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

6382. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के लिए कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं हाल ही में स्वीकृत की गई हैं ;

(ख) प्रत्येक योजना पर क्या व्यय आएगा ; और

(ग) प्रत्येक योजना से कितनी कृषि पम्पों को बिजली दी जाएगी और कितने कृषि उद्योगों एवं लघु उद्योगों को सर्विस कनेक्शन दिए जायंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). जुलाई, 1969 में केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित ग्राम विद्युतीकरण निगम, राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए योगात्मक धन देता है । निगम ने अब तक आंध्र प्रदेश की 15 ऐसी स्कीमों को स्वीकृति दी है जिनमें 941 ग्रामों, 22,778 पम्पसेटों के विद्युतीकरण और 1,422 लघु तथा कृषि उद्योगों को विद्युत् सप्लाई करने के लिए 954.04 लाख रुपये की ऋण सहायता शामिल है । इन स्कीमों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

जिले/तालुक का नाम	स्कीम की लागत (लाख रुपये)	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपये)	कुल कार्य ग्राम	कुल कार्य पंपसेट	कृषि उद्योग	लघु उद्योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. पालनद और विनुकोंडागूंतूर जिला	37.00	37.00	37	1110	—	111
2. कादेरी तालुक—अनन्तपुर जिला	45.00	45.00	45	1350	—	135
3. नन्दीगामा, त्रिवेर तथा विजयवाड़ा तालुक–कृष्णा जिला	94.69	94.69	90	2500	—	180
4. जनगौवां तालुक—वारंगल जिला	64.80	64.80	100	1750	200	—
5. इब्राहीपतनम तालुक—हैदराबाद जिला	56.62	56.62	50	1490	—	130

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. पट्टीकोंडा तालुक–कर्नूल जिला	51.16	51.16	43	1220	—	84
7. पुलिवेंदला तालुक—कुड्डापा जिला	39.78	39.78	42	1302	—	67
8. नेल्लोर जिला	89.78	89.78	77	2100	—	75
9. ओंगोल जिला	77.61	77.61	60	1346	—	80
10. नालगेंदा जिला	65.20	65.20	52	1778	—	65
11. चित्तौर जिला	79.82	79.82	31	2082	—	37
12. श्रीकाकुलम जिला	71.61	68.73	111	1200	—	82
13. आदिलाबाद जिला	58.750	57.13	65	1450	—	46
14. विशाखापतनम् जिला	83.658	79.64	82	1000	—	70
15. महबूबनगर जिले का वाणापारथी तालुक	48.930	47.08	56	1100	—	60
कुल : 15 स्कीमें :	964.408	954.04	941	22778	200	1222

सोन नदी पर बनाई गई नहर से सिंचित होने वाली भूमि

6383. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सोन नदी के पूर्वी किनारे की प्रस्तावित नहर से औरंगाबाद, गोह, कौच, टेकरी कुर्था ईस्ट, मकदूमपुर, जहानाबाद, घोंची, फतुआ गंगा आदि स्थानों की भूमि की सिंचाई होगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त नहर से किन किन स्थानों के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). पूर्वी तट सोन उच्च स्तरीय नहर, जिसका निर्माण इस समय बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, बिहार के गया जिले में 1.39 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए है। केन्द्रीय सरकार के पास ग्राम-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

भारत-बंगला देश विद्युत् बोर्ड

6384. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र ही भारत-बंगला देश विद्युत् बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मन्त्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमण्डल की हाल की यात्रा के दौरान, यथासम्भव मितव्ययितापूर्वक पर्याप्त विद्युत् सप्लाई की व्यवस्था के लिए दोनों देशों के बीच अधिकतम आपसी सहयोग के बारे में एक करार किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति और आवश्यक सलाह और समन्वयन कारगर रूप में प्रदान करने के लिये बंगला देश और भारत, प्रत्येक से एक-एक अर्थात् दो प्रतिनिधियों का एक संयुक्त सहयोग बोर्ड स्थापिन करने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त बोर्ड, जो एक सिफारिश करने वाला निकाय होगा, प्रस्ताव तैयार करेगा और विद्युत् विकास के क्षेत्र में आपसी हित के मामलों में दोनों सरकारों को अपनी सिफारिशें देगा। यह आपसी हित की विद्युत् परियोजनाओं के, जब वे स्वीकृत हो जाएं, कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिए कदम भी उठायेगा।

संसद भवन स्थित रेलवे बुकिंग कार्यालय से संसद् सदस्यों के लिये तीसरे दर्जे की सीटों का कोटा

6385. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् भवन स्थित रेलवे बुकिंग कार्यालय से संसद सदस्यों के लिये तीसरे दर्जे की केवल चार सीटों का कोटा ही आरक्षित किया गया है ;

(ख) क्या यह कोटा उस समय नियत किया गया था जब संसद सदस्यों को अपने साथ सेवक ले जाने की अनुमति नहीं थी ;

(ग) क्या तीसरे दर्जे की चार सीटों के वर्तमान कोटे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया): (क) तीसरे दर्जे के बैठने की जगह का कोई कोटा संसद भवन आरक्षण कार्यालय के लिये निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन संसद सदस्यों, उनके परिवारों और संसद के कार्यों से उनके साथ जाने वाले लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिये विभिन्न गाड़ियों में तीसरे दर्जे की 2 से 8 शायिकाओं का कोटा संसद भवन आरक्षण कार्यालय को दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अडोनी (दक्षिण रेलवे) में उपरि पुल का निर्माण

6386. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के करनूल जिले के अडोनी में एक उपरि पुल के निर्माण में प्रगति हो रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित सड़क ऊपरी पुल के स्थान के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है।

बरौनी-गड़हरा क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान के आदेश निरसित करना

6387. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन ने बरौनी–गड़हरा क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान के आदेशों को निरसित करने और पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन, गोरखपुर के पंजीकृत पदाधिकारियों को मान्यता देने सम्बन्धी नई मांग रेल मन्त्री को प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के अमान्यता प्राप्त गुट द्वारा।

(ख) कर्मचारियों के बेहतर कार्य निष्पादन तथा चोरी और उठाईगीरी रोकने के सम्बन्ध में उनके प्रयत्नों के आधार पर सेवा में व्यवधान को माफ करने के प्रश्न का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार के सम्बद्ध रिकार्डों में उल्लिखित पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के पदधारियों को मान्यता देने से सम्बन्धित मामला न्यायालय में है। अतः यह विनिश्चय किया गया है कि इस मामले में न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जाये और तब तक यथा पूर्व स्थिति बनाये रखी जाये।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में सहायक चिकित्सा अधिकारियों को नजर जांचने का अधिकार देना

6388. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद जंक्शन के रेल कर्मचारियों की ए० 1 तथा ए० 2 स्तर की नजर जांचने के लिये केवल डी० एम० ओ० दिल्ली ही प्राधिकृत हैं ;

(ख) क्या गाजियाबाद जंक्शन के लगभग 2000 कर्मचारियों को, जिन्हें नजर की ए० 1 तथा ए० 2 स्तर की परीक्षा पास करनी है, डी० एम० ओ० ने काफी समय से रोक रखा है ;

(ग) क्या अम्बाला और सहारनपुर के कर्मचारियों की नजर की उक्त स्तर की जांच सहायक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाती है ; और

(घ) उक्त जांच में देरी को रोकने के विचार से क्या इसी प्रकार के अधिकार गाजियाबाद के सहायक चिकित्सा अधिकारी को दिये जाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। गाजियाबाद जंक्शन के रेल कर्मचारियों की दृष्टि परीक्षा को सहायक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिल्ली जं० अस्पताल में की जाती है।

(ख) जी नहीं। पिछले तीन महीनों में गाजियाबाद में तैनात कोटि ए० 1 तथा ए० 2 के कुल 950 कर्मचारियों में से एक माह में औसतन 41 मामले दृष्टि की तीक्ष्णता की जांच के लिये गाजियाबाद से दिल्ली आते रहे हैं और उन्हें औसतन 6 से 8 दिन से अधिक नहीं रोका गया है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। चूंकि गाजियाबाद स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में रेल कर्मचारियों की दृष्टि परीक्षा के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, अतः सहायक चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद को, ऐसी जांच के लिए अधिकार देने का प्रश्न नहीं उठता।

Theft of Goods on Central Railway

6390. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total quantity of goods stolen on the Central Railway during the last two years ;

(b) the quantity of goods recovered during this period ; and

(c) the number of persons against whom action has been taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Total value of goods stolen on Central Railway was as under :

1970	—	Rs. 5,44,610.
1971	—	Rs. 13,85,624.

(b) Total value of goods recovered on Central Railway :

1970	—	Rs. 1,79,755.
1971	—	Rs. 8,44,435.

(c) 3685 outsiders, 447 Railway servants, 33 R.P.F. men and 2 Government Railway Police personnel were apprehended in 1970. 4164 outsiders, 368 Railway servants, 37 R. P. F. men and 5 Government Railway Police personnel were apprehended in 1971.

Display of Pictures of Chiefs of Staff of Army, Navy and Air Force during Elections to Legislative Assemblies

6391. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some political parties displayed the pictures of the Chiefs of Staff of Navy, Army and Air Force in their election posters during the elections to Legislative Assemblies in 1972 ;

(b) whether Government have also received any information about the protests made by some persons in Punjab and Rajasthan in this regard ; and

(c) the action taken by Government in this regard and the names of the political parties which displayed such posters ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) to (c). A complaint was received in the Election Commission that at Hoshiarpur (Punjab) wall posters issued by the Punjab Pradesh Congress Committee, containing the pictures of the three Services Chiefs and four Lt. Generals along with those of Prime Minister, Defence Minister and Foreign Minister, were seen. On enquiry it was found by the Commission that the said poster was printed by the Punjab Congress Committee immediately after the hostilities with Pakistan and that it had nothing to do with elections and that no election slogan or election symbol was published in the poster. The Punjab Pradesh Congress Committee had, however, issued instructions to all District Congress Committees that the said poster should be withdrawn immediately wherever they were exhibited.

The Government and Election Commission have no information that any such poster was brought out by any political party during the elections to the State Legislative Assembly in Rajasthan held in March, 1972.

Incidents of Murder, Looting and Theft on Central Railway

6392. **Shri Jagannathrao Joshi** :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total uumber of incidents of murder, looting and theft which took place on the Central Railway during the last two years :

(b) the total number of persons against whom action has been taken in this regard ; and

(c) the estimated value of the goods stolen as a result of these incidents ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The total number of incidents of murder, looting and theft on the Central Railway during the last two years are as under :

	1970	1971
Murders	8	7
Looting (robbery)	21	20
Thefts (including booked consignments and railway material)	5471	6050

(b) 1974 persons were arrested in 1971 as against 1729 persons in 1970.

(c) The estimated value of the goods stolen in 1971 was Rs. 7,89,766 as against Rs. 5,15,037 in 1970.

Detection of Ticketless Travellers on Central Railway

6393. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of ticketless travellers detected on the Central Railway since the 1st January, 1971 ; and

(b) the amount recovered from them by Government in the form of penalty during this period ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : The number of ticketless travellers detected on Central Railway from 1st January, 1971 upto 31st March, 1972 was 2,89,777.

(b) Rs. 27,74,569/-.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था अपर्याप्त होने का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान, मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"तिरुचिरापल्ली में सीमा-शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था अपर्याप्त होने और इसके कारण विदेशों से बड़े पैमाने पर तस्करी को लगातार प्रोत्साहन मिलने के समाचार"

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : ऐसा प्रतीत होता है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना का स्रोत दिनांक 15 मई, 1972 के स्टेट्समैन के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचार है। उक्त समाचारपत्र में "ए ब्रीच इन कस्टम्स वाल" शीर्षक में सिंगापुर स्थित विशेष प्रतिनिधि से प्राप्त समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि त्रिचिरापल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण सोने और हीरे के तस्कर व्यापारी सोना और चीनी मूल के हरितमणि को तस्करी कर रहे हैं। समाचार के अनुसार इन वस्तुओं को ले जाने वाले विमान सिंगापुर से कोलम्बो के लिए उड़ान भरते हैं और उसके बाद त्रिचिरापल्ली के लिए उड़ान करते हैं। समाचार में आगे यह भी कहा गया है कि पिछले तीन चार सप्ताह से इन घुमावदार मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में यकायक वृद्धि हो गई है।

2. सिंगापुर और त्रिचिरापल्ली के बीच बरास्ता मद्रास की अपेक्षा बरास्ता कोलम्बो कम दूरी है। इसके अतिरिक्त, सिंगापुर और त्रिचिरापल्ली के बीच बरास्ता मद्रास की अपेक्षा बरास्ता कोलम्बो अधिक उड़ानें होती हैं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि कोलम्बो होकर आने वाला वायुमार्ग घुमावदार है।

3. यह भी सच नहीं है कि त्रिचिरापल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग की व्यवस्था अपर्याप्त है। मद्रास के यात्री यातायात की तुलना में त्रिचिरापल्ली में यात्री यातायात बहुत कम है और इसलिए स्वभावतः वहां तैनात कर्मचारी भी काफी कम हैं, परन्तु वे वहां के यातायात को संभालने के लिए पर्याप्त हैं। जहां एक ओर यह सच है कि त्रिचिरापल्ली हवाई अड्डे की व्यवस्था केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर्मचारियों के हाथों में है, वहां तमिलनाडु स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग

के दोनों समाहर्त्ता-कार्यालयों के संयुक्त संवर्ग में सीमा शुल्क कार्य में अनुभव-प्राप्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी हैं, जिनकी सहायता ली जा सकती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, गोआ और विशाखापत्तनम स्थित प्रमुख सीमा शुल्क गृहों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर सीमाशुल्क का कार्य केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारी संभालते हैं और इन स्थानों पर जिस प्रकार के सीमा शुल्क कार्य को संभालने की आवश्यकता होती है, उसमें उन्होंने वर्षों से पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है।

4. यद्यपि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्ता कार्यालय, मदुरै के अधिकारियों ने, जिनके अधिकार-क्षेत्र में त्रिचिरापल्ली हवाई अड्डा आता हैं, पिछले एक वर्ष के दौरान 33 लाख रुपये मूल्य के सोने और कीमती पत्थरों को पकड़ा है, परन्तु त्रिचिरापल्ली हवाई अड्डे पर भारी मात्रा में माल बरामद नहीं हुआ है और यह स्थिति इस तथ्य के बावजूद है कि सिंगापुर से आने वाले यात्रियों द्वारा तस्कर व्यापार को रोकने के लिए वहां के अधिकारी सतर्क हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पिछले अक्तूबर में 'सन्डे टाइम्स' समाचार पत्र लन्दन ने यह समाचार प्रकाशित किया गया था कि श्रीलंका में वित्त सम्बन्धी एक जालसाजी का पता लगाया गया है और श्रीलंका के प्रधानमंत्री स्वयं इसकी जांच कर रहे हैं। वहां पर लगभग 180 करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष तस्करी होती है। हमारे यहां वित्त मंत्रालय के पास तस्करी के बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं। लोक लेखासमिति के हाल में एक प्रतिवेदन में बताया गया है कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर तस्करी होती रहती हैं और इसके बहुत थोड़े भाग को ही पकड़ा जाता है। समिति ने यह पूछा था कि क्या सीमा-शुल्क विभाग द्वारा इस बात का पता लगाया गया है कि तस्करी के माल का कितने प्रतिशत भाग वास्तव में पकड़ा जाता है। वित्त सचिव ने कहा था कि वह इसका उत्तर नहीं दे सकते एक अनुमान के अनुसार देश में केवल सोने की 400 करोड़ रुपये की तस्करी होती है। सीमा-शुल्क विभाग पर होने वाले व्यय में वृद्धि हुई है जबकि यह विभाग अब पहले से कम माल पकड़ रहा है।

सरकार काले धन की समस्या को हल करने में असफल रही है। जिन लोगों के पास काला धन है वे तस्करों की सहायता करते हैं। इस बात की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सरकार द्वारा दी गई सूचना देने सम्बन्धी राशि को, जोकि सूचना देने वाले को दी जाती है, सरकारी अधिकारी ही ले गये हैं। इन शिकायतों के बारे में लोक लेखा समिति ने भी उल्लेख अपनी रिपोर्टों में किया है। गतवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष त्रिची में कितने यात्री निर्धारित समय में उतरे ? क्या उनको सुदूरपूर्व के देशों से तस्करी के बारे में कोई पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी और क्या यह सच है कि तस्करों ने तस्करी के प्रयोजनार्थ ही त्रिची में कोई परिवर्तन किया है।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है वह बहुत लाभदायक है और हम इसका पूरा लाभ उठायेंगे।

कोलम्बो और त्रिची के बीच विमानों की छः उड़ानें होती हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं होती है। एक मार्च से 15 मार्च के बीच सिंगापुर से बरास्ता कोलम्बो 67 यात्री त्रिची में उतरे थे और यात्रियों की कुल संख्या 799 थी। इन आंकड़ों से यह पता नहीं लगता कि यात्रियों ने मद्रास के बजाये त्रिची में उतरना आरम्भ कर दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह सच है कि हमारे देश में लगभग 400 करोड़ रुपये का सोना तथा अन्य सामान चोरी छिपे आता है। क्या तस्करों द्वारा कोई विशेष मार्ग अपनाये जाने के कारण तस्करी में वृद्धि हुई है ? वास्तव में यही एक कारण है कि तस्करों ने सिंगापुर से बरास्ता कोलम्बो त्रिची जाने का मार्ग अपना लिया है। पहले वे बरास्ता मद्रास त्रिची जाते थे। मद्रास की अपेक्षा त्रिची में सीमा शुल्क के पर्याप्त प्रबन्ध न होने के कारण तस्कर अधिक माल की तस्करी करते हैं। वहां पर जांच कार्य आन्तरिक राजस्व अधिकारियों को सौंपा हुआ है। यह लोग सीमा-शुल्क अधिकारियों की तरह अनुभवी नहीं होते हैं। अतः तस्करों ने इस बात का लाभ उठाया है। एक बात और है कि वे बरास्ता कोलम्बो क्यों आते जाते हैं। गत दो अथवा तीन वर्ष का रिकार्ड देखने से पता चल जायेगा कि कोलम्बो ने तस्करी के अनेक मामलों का पता लगा हैं, यह भी पता लगा कि है इसमें उच्च अधिकारी, प्रसिद्ध राजनयिक व्यक्ति तथा व्यापारी अन्तर्ग्रस्त हैं। अतः इस मार्ग से तस्करों के आने का कारण यह है कि उनको तस्करी की कार्यवाहियों के लिए कोलम्बो में एक नया अड्डा मिल गया है।

लोगों में सोने के लिए अधिक प्रेम उत्पन्न हो गया है। वे जानते हैं कि सरकार रुपये के मूल्य को कम होने से नहीं रोक सकती। अतः वे अधिक से अधिक सोना खरीद रहे हैं। तस्करों ने इस बात का लाभ उठाया है और वे अधिक से अधिक सोना त्रिची में चोरी छिपे ला रहे हैं। इस समस्या को हल करने तथा तस्करी को रोकने के लिए एक समिति स्थापित की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई नया विधेयक प्रस्तुत कर रही है ताकि तस्करी की रोकथाम की जा सके। सोने की तथा अन्य वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए क्या ठोस सिफारिशें की गई हैं ? तस्करों के पास आधुनिक उपकरण भी हैं। क्या उनका मुकाबला करने के लिए राडार जैसी आधुनिक मशीनें वहां पर लगाई गई हैं ?

सरकार द्वारा इस समस्या का गहराई से अध्ययन न किये जाने तथा तस्करी की रोकथाम के लिए तथा इसको पूरी तरह समाप्त करने के लिए नये सुझाव तथा नया विधेयक न लाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री के० आर० गणेश : ध्यान दिलाने वाली सूचना स्टेट्समैन में प्रकाशित एक समाचार पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि त्रिची में बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा गया है जैसा कि अन्य कई बड़े हवाई अड्डों पर हुआ है। त्रिची में कोई सामान नहीं पकड़ा गया है। यात्री यातायात से यह पता नहीं लगता है कि यह मार्ग अपनाने वाले यात्रियों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है। यह ठीक है कि मद्रास में सीमाशुल्क विभाग के प्रबन्ध बहुत कठोर हैं और वहां पर बड़ी मात्रा में सामान भी पकड़ा गया है अतः संभव है कि कुछ तस्करों ने त्रिची वाला मार्ग अपना लिया हो। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। मैं ये सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि यदि वहां पर कर्मचारी अपर्याप्त हुए तो और कर्मचारी भेजे जायेंगे और त्रिची को तस्करों का अड्डा नहीं बनने दिया जायेगा।

दण्ड को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। विधि आयोग के प्रतिवेदन से सरकार के हाथ और मजबूत हो गये हैं।

कौल समिति द्वारा दी गई सिफारिशों की जांच की जा रही है। अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया गया है। यदि इस बारे में विधेयक लाना आवश्यक हुआ तो ऐसा अवश्य किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

प्रो० मधु दण्डवते : त्रिची हवाई अड्डे पर जांच का प्रबन्ध सीमा-शुल्क अधिकारियों की बजाये आन्तरिक राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

श्री के० आर० गणेश : कलकत्ता-मद्रास, बम्बई जैसे हवाई अड्डों को छोड़कर शेष सभी हवाई अड्डों पर जांच कार्य केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जाता है । उनके पास आवश्यक उपकरण तथा तकनीकी जानकारी है । फिर भी हम वहां पर एक अधिकारी भेज रहे हैं जो यह देखेगा कि वहां पर किसी बात की कोई कमी तो नहीं है ।

श्री समर गुह(कन्टाई): क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारी सीमा-शल्क अधिकारियों का काम करने के अधिकारी हैं ? त्रिची जैसे दूसरे दर्जे के हवाई अड्ड़े पर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात से निपटन की अनुमति देने के क्या कारण हैं। माननीय मंत्री को इन प्रश्नों के बारे में स्पष्ट उत्तर देना चाहिए था । माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में परस्पर विरोधी बातें कहीं हैं एक ओर तो उन्होंने कहा है कि त्रिची में सिंगापुर से अधिक उड़ानें होती हैं और दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि वहां पर यात्री यातायात कम है इसलिए वहां पर कम कर्मचारी हैं । यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जिनपर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कर्मचारी सीमा शुल्क अधिकारियों का काम करते हैं और उनके द्वारा कितने मूल्य का सामान जब्त किया गया है ? त्रिची जैसे दूसरे दर्जे के कितने हवाई अड्डों पर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात से निपटने का प्रबन्ध है और क्या उन सभी पर सीमा-शुल्क अधिकारियों का काम केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है ?

श्री के० आर० गणेश : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के पास पूरे उपकरण हैं जिससे वह सीमा-शुल्क अधिकारियों का काम पूरी तरह कर सकते हैं । वे सब एक ही संवर्ग के हैं । उनको एक से दूसरे विभाग में तबदीली होती रहती है ।

मैं पहले ही बता चुका हूं, कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को छोड़ कर शेष सभी हवाई अड्डों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारी ही हैं ।

मद्रास कलक्टोरेट को दो भागों में बांट दिया गया है । भारत के पश्चिमी तट पर, तस्करी की गतिविधियां बढ़ गई थीं इसलिए मदुरै में एक कलक्टोरेट स्थापित कर दिया गया है । परन्तु संभव है कि तस्करी के कुछ नये तत्व उत्पन्न हो गये हैं । उनसे निपटने के लिए हम नये सिरे से विचार करेंगे ।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री ने कहा है कि दूसरे दर्जे के कुछ अन्य हवाई अड्डे हैं । मैं जानना चाहता हूं वे कौन कौन से हैं ।

श्री के० आर० गणेश : नागपुर, जयपुर, पटना, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, आदि ।

हरिजनों, आदिवासियों आदि के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में चर्चा

RE. DISCUSSION ON ILL-TREATMENT OF HARIJANS, ADIVASIS ETC.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : जिला परिषद् के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई थी। कुछ स्थानीय कांग्रेस पार्टी वालों ने उसको अपना नाम वापस लेने के लिए कहा परन्तु उस व्यक्ति ने अपना नाम वापस लेने से इन्कार कर दिया। इसके पश्चात् गांव के लोगों ने एक मन्दिर में बैठक की और समूचे हरिजन समुदाय का सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार करने का निर्णय किया। यह भी निर्णय किया गया कि यदि कोई भू-स्वामी किसी हरिजन को कृषि मजदूर के रूप में भर्ती करेगा तो उस पर 100 रुपये जुर्माना किया जायेगा। इस प्रकार वहां पर हरिजनों पर अत्याचार किये जा रहे हैं। कुछ सदस्यों द्वारा उस कुएं में विष डालने की योजना भी बनाई गई थी जिससे हरिजन पानी लेते हैं। इस बारे में स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं। अभी परसों ही महाराष्ट्र के मंत्री श्री शंकर राव पाटिल ने इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त गांव में हरिजनों का बहिष्कार किया जा रहा है। उन्होंने बहिष्कार समाप्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस दल के व्यक्तियों द्वारा उम्मीदवार पर नाम वापस लेने के लिए दबाव डाला गया था।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में विस्तृत वक्तव्य दे। अतः हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में चर्चा करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए।

वित्त विधेयक 1972—जारी

FINANCE BILL, 1972—Contd.

अध्यक्ष महोदय : लगभग साढ़े छः घण्टे का समय शेष है। श्री तिवारी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

Shri K. N. Tiwary (Betia): Yesterday I was saying the main question is as to what should be the income of the family? While fixing the ceiling on the land holdings this question should be kept in view.

I would like to know whether the land required for growing vegetables and for making shelter for the animals is also included in the ceiling of ten to eighteen acres of land or separate provision will be made for them? May I also know whether the grazing land will also be kept out of the ceiling? May I also know whether any provision is being made for the landless. I would also like to know the purpose of fixing ceiling. Is it for eradicating unemployment or for any other purpose? If it is for solving unemployment problem then I may say that it can solve this problem say at by one percent.

Before enforcing any ceiling, we should take all aspects into consideration. We should not tamper with the means of livelihood of one-class of persons only.

If the Government wishes to acquire assets, it should also bear the liabilities. A farmer has to save out of his meagre income to meet the expenses regarding education, marriage and medical treatment of his children. Though there is Anti Dowry—Act, but everybody is demanding huge sums of money as Dowry.

People in Punjab and Bihar have purchased tractors with the help of credit provided by Banks. But they would not have a source of income to repay their loans, would that loan be written off?

There cannot be uniform or standard ceiling throughout the country, as the climatic conditions and soil are different in various places. I am not against the ceiling, but I am in favour of an economic-ceiling. Ceiling should be fixed after fixing the income.

Ceiling of land holdings should not be fixed through a political decision, but it should be fixed through an economic decision. A pilot in Air India or Indian Air Lines is getting Rs. 7,000/- per month, whereas a farmer is not able to earn even Rs. 200/- p. m. There should be fixation of income in all the fields. As farmers are disorganised, nobody pays any attention towards his difficulties, but organised labour, such as teachers, professors, pilots force the Government to accept their demands.

Fragmentation of land holdings is already taking place. Children take their share in father's property as soon as they achieve adulthood. Therefore, ceiling is already there through natural process. We should make efforts to improve the economic condition of the poor.

Some people here first want ceiling on land holdings. Then they would like the rural property to be declared the property of the whole village. Their next move would be collectivisation. These people can survive only in a democratic system of life.

Some people put-forward the case of Japan, but I want to tell that a farmer of Japan has got all the modern amenities of life such as Refrigerator and Television etc. The farmer of Japan has got an industry of his own in addition to farming. If ceiling is to be enforced, scheme of crop insurance should also come into force.

Farmers do not want to take a small sum of money for their surplus land. They should be paid compensation for their land at the market value.

According to Hindu Marriage Act, a daughter is also entitled to take her share from her father's property. All these factors have not been taken into consideration.

The farmers contribute more than half towards the revenues, but what sort of relief is extended to them? More tax has been levied on iron and fertilizers.

It is argued that irrigation, education and ceiling are under the State list. Why should the Central Government give any direction to the State Governments? The senior Leaders should reply to all these points.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर दो मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at two minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा संसद सदस्य के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में

RE. ALLEGED MANHANDLING OF MEMBER BY WILLINGDON HOSPITAL STAFF

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): I would like to know through you Sir, as to what action has been taken against the doctors for the misbehaviour meted out to the hon'ble

Member of this house, Shri Chandra Shailani by the Doctors and Ward Boys of Willingdon Nursing Home? Hon'ble Health Minister should be asked to make a statement here and explain as to what action has been taken against the doctors and others. It is a very serious matter.

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए। सरकार को सदस्यों की भावना का आदर करना चाहिए। उन्हें कुछ समय इसके लिए दिया जाना चाहिए। तब तक सदन की सामान्य कार्यवाही चलती रहनी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डे : मन्त्री महोदय को स्वयं यहां आकर वक्तव्य देना चाहिए था और यह बताना चाहिए था कि क्या कार्यवाही की गई है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक है कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दे। माननीय संसद कार्य मंत्री को सूचित किया जाये कि वह यथासम्भव शीघ्र सभा में उपस्थित हों।

संसद कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : मैंने माननीय मंत्री को सूचना दे दी है। उन्होंने शीघ्र आने का वचन दिया है।

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा को आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दिया जाये।

श्री बसंत साठे (अकोला) : यह मामला बहुत गम्भीर है। माननीय अध्यक्ष ने स्वयं सुबह कहा था कि यदि पुलिस नहीं आ जाती तो सदस्य की हत्या कर दी जाने की सम्भावना थी।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : हम देश के विभिन्न भागों से यहां पर संसद के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए आते हैं। यदि कोई हम पर हमला करता है तो यह केवल एक व्यक्ति पर हमला ही नहीं है, अपितु इससे संसद सदस्य का विशेषाधिकार भी भंग होता है और असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है। अतः हम वाद विवाद में भाग नहीं ले सकते। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री सारी स्थिति की व्याख्या करें। डाक्टर को संसद की 'बार' में बुलाया जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर): यह मामला सभा के समक्ष लाया गया था और माननीय अध्यक्ष ने इसे प्रश्नकाल में ही उठाने की अनुमति दी थी। इस घटना को घटे लगभग चार घण्टे हो गये हैं। हमें यह बताया गया था कि स्वास्थ्य मंत्री तथा संसद कार्य मंत्री मौके पर मामले की जांच करने गये हैं। हम जानना चाहते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। मेरा प्रस्ताव है जब तब मंत्री महोदय नहीं आ जाते, तब तक के लिये सभा को स्थगित कर दिया जाये।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : नियम 109 के अन्तर्गत मैं प्रस्ताव करने का आपकी अनुमति चाहता हूं कि विधेयक पर चर्चा को स्थगित कर दिया जाये।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सुबह सभा में एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

श्री भागवत झा आजाद : नियम 109 के अन्तर्गत मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आप से अनुमति मांगी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं सभी सदस्यों की बात सुनूंगा क्योंकि ये जो कुछ कहेंगे उसको रिकार्ड किया जायेगा और मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। अब यह कहा जा रहा है कि हम कुछ सुनना नहीं चाहते और सभा को स्थगित कर दिया जाये। माननीय मंत्री यहां पर आ गये हैं और सदस्यगण कह रहे हैं कि उन्हें बोलने दिया जाये।

श्री समर गुह : यह एक व्यक्ति पर ही आक्रमण नहीं था बल्कि एक संसद् सदस्य के विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सम्मान पर हमला था। अध्यक्ष महोदय ने सरकार से बिना विलम्ब वक्तव्य देने को कहा था, परन्तु अभी तक सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया है। माननीय मंत्री को इस बारे में तुरन्त वक्तव्य देना चाहिए।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): Several cases of ill-treatment have come before us. This is a very serious matter. May I know whether it was not the duty of the hon. Minister to acquaint the House about the facts of the case? Why he himself has not made the statement in the House.

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैंने अपने साथी श्री चट्टोपाध्याय को अस्पताल जाकर तथ्य जानने को कहा है। हम वक्तव्य देने को तैयार हैं। हमने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया था और उन्होंने चार और पांच के बीच वक्तव्य देने की अनुमति दी है।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : पांच बजे तक के लिए सभा को स्थगित कर दिया जाये। हम कुछ सुनना नहीं चाहते।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : राज्य मंत्री मौके पर गये हैं, मैं उस समय अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में था। परन्तु जैसे ही मुझे घटना के बारे में पता लगा तो मैंने कहा कि एक अधिकारी तथा मंत्री को वहां जाकर तथ्यों का पता लगाना चाहिए। हमें अभी तक तथ्यों का पता नहीं लगा है। यह केवल मंत्री की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक संसद सदस्य के विशेषाधिकार का प्रश्न भी अन्तर्ग्रस्त है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सभा के समक्ष तथ्यों को यथासम्भव शीघ्र रखा जाना चाहिए।

श्री उमाशंकर दीक्षित : यहां पर अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। चौथी श्रेणी के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। महानिदेशक वहां पर गये हैं, संयुक्त सचिव भी वहां पर गये हैं। स्वयं राज्य मंत्री भी वहां पर गये हैं। जैसे ही प्रो० चट्टोपाध्याय आ जाते हैं, सभा के समक्ष तथ्य रख दिये जायेंगे।

इसके पश्चात् सभा कुछ भी निर्णय ले सकती है। यदि इस जांच को उचित नहीं समझा गया तो हम एक अन्य सरकारी स्तर पर जांच करायेंगे। हम जिम्मेदारी नियत करने का प्रयास करेंगे। मेरी भावनाएं वही हैं जो संसद् सदस्यों की हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 109 के अनुसार विधेयक पर चर्चा को स्थगित करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्यक होता है। मैंने इस पर अपनी अनुमति नहीं दी है। क्या माननीय संसद् कार्य मंत्री को इस के प्रस्तुत किये जाने पर कोई आपत्ति है।

श्री राज बहादुर : मंत्री महोदय के वक्तव्य के पश्चात् इस मामले पर चर्चा की जायेगी। अतः मेरे विचार में इस समय इस प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको प्रस्तुत न किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि माननीय संसद् कार्य मंत्री इसके पक्ष में नहीं हैं। अतः मुझे इस बारे में सभा की राय लेनी होगी।

श्री राज बहादुर : श्री आजाद अब अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करना नहीं चाहते। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको सभा में मतदान के लिए न रखा जाये। इस पर आपको अब अपनी अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार सभा की कार्यवाही को चलाना मेरे लिए बहुत कठिन है, संसद सदस्यों को आपस में एक प्रकार का समझौता कर लेना चाहिए कि वे अब क्या चाहते हैं। श्री आजाद माननीय मंत्री के दल के सदस्य हैं यदि वह उनको प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर सहमत कर लें तो मामला सुलझ सकता है।

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री आजाद कहते हैं कि उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया बल्कि उसे प्रस्तुत करने के लिए आपकी अनुमति मांगी है। अतः इसको अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अब निर्णय आपको लेना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय संसद् कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या श्री आजाद इसको प्रस्तुत करने पर सहमत हो गये हैं।

श्री राजबहादुर : हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री समूची स्थिति को भली भांति निपटा लें। अतः हम इसको प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं है। अतः मैं श्री आजाद से निवेदन करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने पर जोर न दें।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : नियम में यह स्पष्ट है कि जब तक आप अनुमति न दें, सदस्य अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अतः अब अनुमति देना अथवा न देना आप पर निर्भर करता है।

अभी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वह एक वक्तव्य देने वाले हैं। यदि इसके पश्चात् सदस्य चाहें तो चर्चा हो सकती है। अतः मैं चाहता हूं कि आप अपने विवेक का प्रयोग करें और माननीय मंत्री

को वक्तव्य देने के लिए कहें। यदि उसके पश्चात् आप आवश्यक समझें तो आप चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं।

Shri Jharkhande Rai (Dhori): Mr. Deputy Speaker, Sir, Shri Jha has moved the motion. It is now the property of the House.

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है।

Shri Jharkhande Rai: You have given the permission or not, it has been moved. It is for the House to accept it or reject it. Before the Minister gives a statement views of the House should be obtained. This is my point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अभी अनुमति नहीं दी है।

श्री अमृत नाहाटा : एक माननीय सदस्य ने सदन के सामने तथ्य प्रस्तुत किये हैं। माननीय मंत्री इन तथ्यों का सत्यापन करवाना चाहते हैं जिसका अर्थ है कि माननीय सदस्य पर उन्हें विश्वास नहीं है।

श्री राजबहादुर : मैं इस आक्षेप का विरोध करता हूं।

श्री अमृत नाहाटा : यदि ऐसा है तो माननीय मंत्री को यह वक्तव्य देना चाहिये कि जिनके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। अथवा सदन में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने पहिले ही बताया है कि जांच के द्वारा जिसे दोषी पाया जायेगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। मैंने यह आश्वासन दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर सजा भी दी जायेगी। मैं इस आश्वासन को फिर से दोहराता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। श्री भागवत झा आजाद ने प्रस्ताव पेश कर दिया है। सरकार को घटना की वास्तविकता बतानी चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने प्रस्ताव पेश नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक बार पेश करके आप उसे वापस नहीं ले सकते। सदन को यह फैसला करना चाहिये कि क्या जब तक माननीय मंत्री वक्तव्य न दें, तब तक सदन को लम्बित रखा जाये ? यदि आपने इस प्रकार ऐसा नहीं किया तो हम समझेंगे कि आप अपना कार्य उचित प्रकार से नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश करने से पूर्व मेरी अनुमति आवश्यक है और मैंने अभी अनुमति नहीं दी है, उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री राजबहादुर : सदन में किसी विधेयक पर हो रही चर्चा को स्थगित करवाने के लिए अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् भी सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करे अथवा न करे। यह नहीं कि अवश्य किया ही 'जायेगा'।

श्री समर गुह : यह प्रश्न सदन तथा सदस्यों की प्रतिष्ठा, मान और विशेषाधिकार का प्रश्न है। यह ठीक है कि आपकी अनुमति के बिना श्री आजाद प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकते। आपने स्वयं ही यह विनिर्णय दिया है कि श्री आजाद को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देने अथवा न देने के बारे में सदन के विचार जानने चाहिये। मेरे विचार से इस पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कोई विनिर्णय नहीं दिया है।

श्री समर गुह : जब पीठासीन हो कर कुछ कहा जाए तो वह विनिर्णय ही तो है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल मत जानना है।

श्री समर गुह : आपने कहा था कि आप सदन के मत का पता लगायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मुझे गलत समझा है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए मुझे सदन को अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अपनी अनुमति देने से पूर्व और सदन में औपचारिक ढंग से मामला उठाये जाने से पूर्व मैंने संसदीय कार्य मंत्री के विचार जानने चाहे थे।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने नियम 109 के अधीन आपकी अनुमति मांगी थी। मैंने प्रस्ताव पेश नहीं किया था। उस समय संसदीय कार्य मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे। वित्त मंत्री वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं थे। जब तक सरकार की ओर से वक्तव्य न दिया जाये तब तक के लिए सदस्य स्थगन चाहता था। अब दोनों मंत्री सदन में हैं तथा वक्तव्य देने के लिए समय भी नियत किया जा चुका है, अतः प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुमति मांगने का मेरा विचार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस परिस्थिति में मेरा विनिर्णय यह है कि हम वित्त विधेयक पर चर्चा जारी रखेंगे। (**व्यवधान**)

वित्त विधेयक—जारी

FINANCE BILL—Contd.

श्री जी० विश्वनाथन (वंडीवाश) : व्यावहारिक अर्थ शास्त्र में अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद् के अध्ययन से प्रकट हुआ है कि नगरीय क्षेत्रों की कुल आय का 42.4 प्रतिशत ऊपर के 10 प्रतिशत घरानों के नियन्त्रण में है और ग्रामीण क्षेत्रों में 34 प्रतिशत आय ऊपर के 10 प्रतिशत घरानों के नियन्त्रण में है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में नीचे के 10 प्रतिशत घरानों के नियन्त्रण में आय का 1.3 प्रतिशत भाग है। नगरीय क्षेत्रों में यह अन्तर और अधिक बढ़ रहा है। कुल परिसम्पत्तियों का 50 प्रतिशत भाग 75 बड़े औद्योगिक घरानों के नियन्त्रण में है। एकाधिकार पर रोक लगाने

संबंधी विचारों के होते हुए भी इन 75 घरानों की परिसम्पत्तियों में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है। 1963-64 वर्ष में इनकी परिसम्पत्तियों का मूल्य 2609 करोड़ रुपये था जो 1967-68 में बढ़ कर 4032 करोड़ रुपये हो गया। बिरला की परिसम्पत्तियों में 96.6 प्रतिशत, श्री राय की परिसम्पत्तियों में 96.4 प्रतिशत, मफतलाल की परिसम्पत्तियों में 95.9 प्रतिशत तथा पैरी एण्ड कम्पनी की परिसम्पत्तियों में 360.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

जिस लाइसेंस नीति का उद्देश्य एकाधिकार पर अंकुश लगाना है, उसी नीति के अन्तर्गत एकाधिकार घरानों को और अधिक लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। वर्ष 1971 में जारी किए गए 159 लाइसेंसों में से 114 लाइसेंस इन बड़े घरानों को ही दिये गये हैं। वर्ष 1969 में इन 75 बड़े औद्योगिक घरानों की ओर बैंकों से लिए गए अग्रिमों की 440 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् यह राशि बढ़ कर 491.73 करोड़ रुपये हो गई है। यही स्थिति जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए अग्रिमों के बारे में है। एकाधिकार जांच आयोग, लाइसेंस नीति जांच समिति, हजारी रिपोर्ट और सरकार आयोग जैसे अनेक आयोग तथा समितियां बनीं परन्तु एकाधिकार घरानों की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया।

तीनों पंचवर्षीय योजनाएं भी असमताओं को कम नहीं कर पाईं। गरीब तथा अमीर के बीच के अन्तर को कम करने में यह योजनाएं भी असफल रही हैं। इन तीनों योजनाओं में सार्वजनिक व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई। उसके साथ ही शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि के व्यय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई परन्तु समाज में आय वितरण पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। सामान्यत: सार्वजनिक व्यय का प्रभाव जनता को बचाने और निवेश करने की क्षमता पर पड़ता है और स्वास्थ्य, आवासन और शिक्षा पर सरकारी व्यय आय के वितरण को प्रभावित करता है। परन्तु हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। इस स्थिति को सुधारने के लिए अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि सार्वजानिक व्यय की मदों का पुनरीक्षण करके फालतू व्यय रोका जाए और शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि का विस्तार किया जाए।

अविकसित देशों में मुद्रा-स्फीति का प्रभाव उत्पादन बढ़ाने पर नहीं पड़ता। इसका प्रभाव सामान्यत: आय और धन के असमान वितरण पर पड़ता है। इसके साथ ही इसका प्रभाव समाज के निम्न वर्गों की वास्तविक आय पर पड़ता है। हमारे देश में भी मुद्रा-स्फीति का लाभ समाज के उच्च वर्गों को ही हुआ है।

रिजर्व बैंक के अध्ययन से पता चलता है कि 1951-52 से 1964-65 की अवधि में प्रति व्यक्ति श्रमिक के उत्पादन में 2-3 गुणा वृद्धि हुई परन्तु वेतनों में केवल 76 प्रतिशत वृद्धि हुई और वह भी जीवन निर्वाह मूल्य में 57 प्रतिशत वृद्धि के साथ कम हो गई। अत: घाटे की अर्थ व्यवस्था को विकास व्यय तक ही सीमित रखा जाना चाहिये। देश में मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए वित्तीय अनुशासन और उपयुक्त आय नीति का पालन किया जाना चाहिये।

हमारे देश में राज्यों की वित्तीय स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। उनकी आय के स्रोत बहुत ही सीमित हैं। हमारे राज्य के वित्त मंत्री ने 1972-73 का बजट प्रस्तुत करते समय भी यह बात कही थी कि "1972-73 में हमारे राज्य को केन्द्रीय सरकार से 45.80 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त होंगे और इस वर्ष हमें 53.38 करोड़ रुपये की अदायगियां केन्द्रीय सरकार को करनी हैं। इस प्रकार

अदायगियों की राशि प्राप्तियों की तुलना में लगभग 8 करोड़ रुपये अधिक है। यह है राज्यों की वित्तीय स्थिति। संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण राज्यों को केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रशासकीय सुधार आयोग ने टिप्पणी की थी कि राज्यों की केन्द्र पर अत्यधिक निर्भरता अनुत्तर-दायित्व और अकुशलता को जन्म देती है। इसके लिए आवश्यक है कि वित्त के संबंध में राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता को कम से कम किया जाय"। यह निर्भरता केन्द्र और राज्य के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न करती है। अतः इस संबंध में संविधान की धाराओं में संशोधन आवश्यक है।

संविधान की धाराओं, 87, 88, 89, 90, 92 और 92-क के अन्तर्गत लगाये जाने वाले शुल्क एवं कर धारा 269 के अन्तर्गत आते हैं। यह कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए और वसूल किए जाते हैं परन्तु बाद में राज्यों को दे दिये जाते हैं। इन धाराओं के अन्तर्गत कई इस प्रकार के मद हैं जिन पर इस समय कोई कर नहीं। राज्य सरकारों ने विभिन्न वित्त आयोगों के समक्ष इस संबंध में अपने विचार भी रखे परन्तु उनकी शिकायत अभी तक दूर नहीं की गई। यदि धारा 269 के अंतर्गत आने वाले सभी कर लगाए जाएं और वसूल किए जाएं तो राज्यों को बहुत लाभ हो सकता है। यदि केन्द्र इस कार्य को असुविधाजनक समझता है तो संसद राज्यों को इस कार्य के लिए प्राधिकृत करे।

इस समय जो 'कारपोरेट' कर और कम्पनियों की आय पर कर लिया जाता है, वह राज्यों के बीच वितरित नहीं किया जाता। राज्यों ने वित्त आयोगों के समक्ष इस बारे में विचार रखे थे। जिस समय संविधान बन रहा था, उस समय भी श्री के० संथानम, श्री अनन्त श्यनम अयंगर, श्री गोपाल रेड्डी तथा अनेक विख्यात व्यक्तियों ने मांग की, इस मद की आय का भी वितरण होना चाहिए। यह कर भी वस्तुतः आयकर के समान है, अतः इसका भी राज्यों के बीच वितरण किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों द्वारा यह मांग की जाती रही है कि आयकर पर लिया जा रहा सरचार्ज भी वितरित होना चाहिए। राज्यों की इस मांग पर विभिन्न वित्त आयोगों ने विचार किया परन्तु इस बारे में कोई सिफारिश न की। परन्तु अब पांचवें वित्त अयोग ने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार को इस विषय में कार्यवाही करनी चाहिए।

भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन निर्यात शुल्क संघ राज्य द्वारा लगाये जाते हैं परन्तु उनका बंटवारा संघ सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच किया जाता है।

संविधान सभा में इस विषय पर मतभेद था और अन्ततः यह निश्चय हुआ था इसे विभाज्य पूल से अलग रखा जाये। सामान्यतः हमारी आर्थिक प्रगति के कारण सीमाशुल्क और निर्यात शुल्क से काफी आय हो जाती है और केन्द्र को इसे राज्यों को भी देना चाहिये। इसी प्रकार सम्पदा तथा उत्तराधिकार शुल्क के समान आस्तियों की पूंजीगत-मूल्य पर कर को भी विभाज्य पूल के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। सरकार इस बारे में विचार करे।

पहले सांविधिक अनुदानों तथा योजना अनुदानों में से सांविधिक अनुदानों को ही संविधान के अन्तर्गत माना जाता था। परन्तु बाद में केन्द्र सरकार ने योजना अनुदान देना आरंभ किया जो कि अब सांविधिक अनुदानों से कई गुना अधिक हो जाती है जबकि ये अधिकृत न होकर केवल योजना आयोग की स्वेच्छा पर निर्भर करती है। यदि गंभीरता से देखा जाये तो इन्हें वित्त आयोग के अधीन किया जाना चाहिये जोकि एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है।

बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां शराब पर राज्यों द्वारा उत्पादन शुल्क लिया जाता है वहां एलकोहलयुक्त चिकित्सा तथा टॉयलेट के माल पर उत्पादन शुल्क केन्द्र सरकार वसूल करती है। यह शुल्क भी राज्यों को मिलना चाहिये। राज्यों की दयनीय वित्तीय स्थिति तथा उन पर चढ़े ऋण के देखते हुए केन्द्र को अपने ऋणों पर ब्याज की दर घटा देनी चाहिये और ऋण की अवधि भी बढ़ा देनी चाहिये।

हमारे वित्त मंत्री वस्तुतः सफेद धन का तो नियंत्रण करते हैं परन्तु काले धन का नहीं कर सकते। दूसरी ओर हम सब लोग काला धन और कर-अपवंचन के विरुद्ध बहुत कुछ बोलते हैं परन्तु व्यक्तिगत रूप में हम फिर उन्हीं लोगों की शरण में जाते हैं जो कर का अपवंचन करते हैं या काला धन रखते हैं। इसी लिये आम जनता हमारी कर अपवंचन तथा काला-धन विरोधी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। सरकार वान्चू समिति के सुझावों पर गंभीरता से विचार करे।

पश्चिम जर्मनी और जापान में राजनैतिक दलों को सरकार ही धन देती है और इस लिये उन्हें चुनाव आदि के लिये कम्पनियों या निगमों का आश्रय नहीं लेना पड़ता। हमारी सरकार को भी इस संदर्भ में कोई निष्कर्ष निकालना चाहिये।

समिति ने एक सुझाव दिया है कि देश में कर की दर जोकि विश्व में सबसे अधिक है, को कम किया जाना चाहिये, रियायत की सीमा में छूट दी जानी चाहिये।

विभिन्न राज्यों के डिप्टी कलेक्टरों की शिकायत है कि उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा का काफी कोटा नहीं मिल रहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने उनके लिये 40 प्रतिशत की सिफारिश की है, जबकि सरकार इस समय केवल 25 प्रतिशत ही दे रही है। जब सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है तो इसे क्रियान्वित भी किया जाना चाहिये। साथ ही मंत्री महोदय ग्रेचुएटी पर कर लगाने की अपनी मन्शा पर भी फिर से विचार करें। इसके अतिरिक्त यदि सरकार उत्पादन में वृद्धि करना चाहती है तो उसे पम्पसेटों तथा उर्वरकों पर शुल्क नहीं लगाना चाहिये। हम देश के किसानों को आखिर कुछ तो रियायत मिलनी ही चाहिये।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : श्रीमान, आज देश के सम्मुख दो प्रकार की समस्यायें हैं, एक भीतरी और दूसरी बाहरी। भीतरी समस्या के संदर्भ में आज हम सब ग्रामीण तथा नगरीय सम्पत्ति पर सीमा के प्रतिबंध से चिंतित हैं। इस संबंध में भूमि की अधिकतम सीमा को 10-18 एकड़ रखने का निर्णय स्वागत योग्य है परन्तु फिर भी सरकार को यह नहीं भूलना चाहिये कि भूमि की अपनी प्रवृत्ति होती है। विभिन्न स्थानों पर इसका विभिन्न प्रभाव पड़ेगा। वैसे वस्तुतः भूमि की अधिकतम सीमा के निर्धारित किये जाने का हम काफी समय से स्वप्न देखते आ रहे हैं क्योंकि यह आज के समय की मांग है। संभव है कि कुछ भूमि पतियों को यह बुरा लगे परन्तु अधिकांश जनता को इससे लाभ होगा क्योंकि जिन लोगों के पास अधिक भूमि है वे भी देश में औद्योगिक क्रान्ति के कारण अपनी भूमि का सही प्रकार से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें श्रमिकों की कमी महसूस हो रही है। हालांकि देश के सभी राज्यों में भूमि का अधिकतम सीमा संबंधी कानून लागू किया जाना चाहिए। तथापि मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा कि इससे देश की गरीबी दूर हो जायेगी या कि फिर बेरोजगारी की समस्या हल हो जायेगी। इन समस्याओं का हल तो स्वयं लोगों की काम करने की प्रवृति और साथ ही स्थानीय सरकारों तथा केन्द्र सरकार के परस्पर ताल-मेल पर निर्भर करता है।

विदेशी समस्याओं के बारे में हमारे देश को आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभानी है। हाल ही में हमारे सामने बंगला देश को मुक्त कराने की समस्या आई, हमें उस देश के लिये हर प्रकार की सहायता भी देनी पड़ी। अब भी हमारे ऊपर अत्यधिक भार है। साथ ही हमें अपने राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रतिरक्षा शक्ति भी सुदृढ़ करनी है और उसके लिए हमें परमाणु ऊर्जा का उचित उपयोग करना है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू का कहना था कि हमें इस शक्ति का प्रयोग और उपयोग शान्ति पूर्ण कार्यों के लिये करना है, विनाश के कार्यों के लिये नहीं। परन्तु आज की परिस्थिति को देखते हुए मुझे कहना पड़ता है कि हमें भी परमाणु हथियार तथा तापीय परमाणु अस्त्रों का निर्माण करना चाहिये ताकि विश्व में हमारा भी एक प्रभुत्वशाली राष्ट्र के रूप में अस्तित्व बने। बल्कि अब समय केवल मत प्रकट करने का नहीं, बल्कि ठोस रूप से इस कार्य को करना है। पंडित नेहरू ने भी परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर रोक संबंधी एक पक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि यह विश्वशान्ति के लिये है और जो राष्ट्र विश्व शान्ति चाहते हैं, वे आयें और इस संधि पर हस्ताक्षर करें परन्तु इसका अर्थ पूर्ण निरस्त्रीकरण नहीं है और न ही यह अत्यन्त महत्वपूर्ण ही है। यह तो केवल इस दिशा में एक छोटा सा प्रारंभ है।

अन्त में, मैं अपने प्रधान मंत्री का अभिनन्दन करूंगा कि जिन्होंने देश की भीतरी समस्याओं तथा बाहरी आक्रमण के समय में उच्चतम स्तर की राजनीति और कूटनीति का परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैं इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इसका किसी भी रूप में कोई लाभ नहीं है। वित्त मंत्री कुछ लोगों से धन छीनकर भी 242 करोड़ रुपये का घाटा दिखायेंगे जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा और देश के सामान्य व्यक्ति की जीवन-दशा और भी विकृत हो जायेगी।

मार्च के अन्त में मूल्य सूचकांक गतवर्ष इसी मास के सूचकांक से 5.8 प्रतिशत ऊंचा था और वित्त विधेयक में किये गये विभिन्न प्रस्तावों से तो यह सूचकांक और भी ऊंचा जायेगा जिसके फलस्वरूप देश के मध्य तथा निम्न-मध्य श्रेणी के लोगों को अधिक हानि पहुंचेगी। एक ओर तो वित्त मंत्री भारी फसल तथा हरी-क्रान्ति की बात करते हैं और दूसरी ओर खाद्य-पदार्थों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लोहा, इस्पात, उर्वरक तथा मिट्टी के तेल पर भी नया उत्पादन शुल्क लगाने से इनके मूल्यों में बढ़ोतरी होगी अब तो सरकार को चाहिये कि वह लोगों को करों से मुक्ति दे, क्योंकि सामान्य जन करों के बोझ से बहुत ही दब गया है।

वित्त मंत्री महोदय ने वचन दिया है कि वह वांचू समिति की सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से एक विधेयक पेश करेंगे। यह उनका कर्तव्य था कि वह सरकार द्वारा स्वीकृत तथा अस्वीकृत सिफारिशों का कारण सहित ब्योरा देते। सरकार देश से काला धन समाप्त तो करना चाहती है परन्तु फिर भी उसने दो वर्ष तक वान्चू समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया। इससे तो लगता है कि सरकार तब तक कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती जब तक कि काला धन सफेद धन में परिवर्तित न हो जाये। दूसरी ओर सरकार धर्मार्थ संस्थानों तथा धार्मिक संस्थाओं को दी जाने वाली कर रियायतों को भी वापस ले रही है। जिसके फलस्वरूप देश के हर प्रकार से निर्धन लेखकों को भी उन्हें मिलने वाले थोड़े से लाभ से वंचित किया जा रहा है जबकि मंत्री महोदय

ने काला बाजार करने वालों तथा कर अपवंचन करने वालों को साफ छोड़ दिया है। मुझे इस पर बड़ा आश्चर्य है।

काला धन हमारे देश की अर्थ व्यवस्था की जड़ों तक को खाये जा रहा है। वान्चू समिति का तो यहां तक विचार है कि काले धन की हमारे देश में एक समानान्तर अर्थ व्यवस्था चल रही है। अब यह बड़ा ही भयंकर रूप धारण कर चुकी है जिसके फलस्वरूप मुद्रा स्फीति, वस्तुओं का अभाव, मूल्यों में वृद्धि तथा अनुचित सट्टेबाजी का बोलबाला होता है। साथ ही स्वर्ण तथा अन्य ऐश्वर्य की वस्तुओं की तस्करी, अवैध कोटा तथा परमिटों की खरीद राजनैतिक दलों को चन्दे आदि का बाजार गर्म होता है। इस समस्या को हल करने के लिये सरकार क्या करना चाहती है, यही मुख्य प्रश्न है। अनुमान है कि देश में लगभग 15,000 करोड़ रुपये की राशि का कालाधन विद्यमान है। मगर सरकार फिर भी इसकी ओर से आंखें बन्द कर रही है। वान्चू समिति ने भी पृष्ठ 9 पर कहा है कि देश का राजनैतिक वातावरण भी काले धन को रोकने की प्रवृति का द्योतक नहीं है। चुनावों आदि के लिये धनिक तथा काला धन रखने वाले लोगों से भारी धन राशियां ली जाती हैं। सरकार को चाहिये कि वह तुरन्त ही इस संबंध में कानून बनाये अन्यथा उनका 'गरीबी हटाओ' आदि कार्यक्रम केवल खोखले नारे ही सिद्ध होंगे।

यद्यपि काले धन की वास्तविक राशि का पता लगाना तो सम्भव नहीं है, फिर भी अनुमान लगाया जाता है कि देश में 300 करोड़ रुपये से लेकर 15,000 करोड़ रुपये का काला धन है। इसका मुख्य कारण कर अपवंचन है। वांचू समिति के अनुसार, 1961-62 में 811 करोड़ रुपयों का कर अपवन्चन किया गया, 1965-66 में 1,216 करोड़ रुपये का तथा 1968-69 में 1,400 करोड़ रुपये का कर अपवंचन किया गया। इन आंकड़ों के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में प्रति वर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपये का कर अपवंचन होता है।

इस संदर्भ में, मैं वित्त मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं। उन्हें भलीभांति ज्ञात होगा कि 20 लेखा परीक्षा फर्में केवल 80 प्रतिशत लेखों की परीक्षा करती हैं तथा कर अपवंचन और काले धन के पर्याप्त अवसर छोड़ देती हैं। अतः सरकार को लेखापरीक्षा प्रणाली में संशोधन करना चाहिये। लेखापरीक्षकों को अपने व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये तथा उन्हें निदेशक मण्डल में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। लेखापरीक्षक फर्मों के कार्य की भी जांच होनी चाहिये। सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे देश में लेखापरीक्षा सुव्यवस्थित हो सके।

जहां तक केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का प्रश्न है, आज स्थिति यह है कि राज्य सरकारों की स्थिति पंचायतों से अच्छी नहीं है। चाहे उड़ीसा में सूखा पड़े अथवा पश्चिम बंगाल में जल की कमी की समस्या हो, सभी राज्य सरकारों को हर छोटी-बड़ी समस्या का समाधान करने के लिये केन्द्र सरकार से अनुमति और सहायता लेनी पड़ती है। राज्य सरकारें स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकतीं। अतः वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर पुनः विचार किया जाना चाहिये तथा संविधान में इस बारे में उचित संशोधन किये जाने चाहिये।

हम सरकार के 'गरीबी हटाओ' के नारे की सराहना करते हैं किन्तु खेद है कि सरकार ने इस नारे को कार्य रूप में परिणित नहीं किया। कल श्री इन्द्रजीत ने यूनियन कारबाइड द्वारा अतिरिक्त

क्षमता पर कार्य करने का प्रश्न उठाया था। एक ओर सरकार एकाधिकार को समाप्त करने की बात करती है तथा दूसरी ओर एकाधिकार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अत: मेरे विचार से गरीबी हटाओ का नारा सफेद झूठ है। इसीलिए मैं वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): Since the hon. Minister while moving the Finance Bill has said that he was not going to reduce taxation, I do not want to waste the time of the House by making any reference to the taxation proposals and the Finance Bill.

In the Report of the Finance Ministry, no mention has been made about the development of large chunks of the backward areas in all the States; nothing has been said about the performance of this Ministry in this direction. We do not know whether percapita income in those areas has increased or not. I suggest that the report should include the steps taken by the Government to develop these areas.

Various points have been raised regarding the black money in the country. I think if one restrains oneself from incurring money over and above ones own income, one would not depend on black money. Thus, self discipline is one of the most important method to check the growth of black money. If Members of Parliament do not accept black money for elections they would not encourage any body to hold black money.

It has been observed that there is a group of officers in this Ministry who do not want to be transferred from Delhi due to personal reasons. I demand that all officers should be transferred elsewhere turn by turn after the period of five years to minimise corruption in this Ministry.

It has come to my notice that in District Saran of Bihar, the Income Tax Department acquired a building consisting of seven rooms on rent at the rate of Rs. 800 per month while another building consisting of 16 rooms was available at the same rent. The big officer have used their influence in this regard.

The office should be located in the building which has more rooms. It is not only bribery which constitute corruption but to favour one and disfavour another by conspiracy is also corruption.

Now I want to say something about the working of nationalised Banks. The branches of these Banks extend loan to the persons residing within the circumference of 10 miles of the location of such branches. The farmers and small businessmen are facing great hardship due to this provision. The branches of these Banks should either be opened at every 10 mile or the area of their coverage should be extended.

The offices of almost every public undertaking are in Delhi and these undertakings have their separate guest houses in Delhi. Every public undertaking has to keep an officer for handling their files. This work can be got done by the Head-Office. If there is any necessity of an officer, he may be called from the Head-Office and he can stay in a hotel in Delhi. Therefore, there is no necessity of maintaining these separate guest-houses.

The North Bihar Region which is having a population of about two and a half crores is a backward area and there are no industries except four-five outdated sugar factories. The consumption of electricity in that region is less than one fourth of per capita consumption of India. Attention should be paid to develop this region. There is so much poverty in this area that children standing on platforms eat the left overs and go on begging.

Apart from other factors there are political implication of such a condition. If proper attention is not given, the people of this region may be led to wrong paths.

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : 1954 में समाजवादी ढंग के समाज के निर्माण की प्रतिज्ञा की गई थी जिससे जनता के मस्तिष्क में कुछ आशा जाग्रत हुई परन्तु सब व्यर्थ सिद्ध हुई।

पिछले 1½ वर्षों में 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया गया परन्तु उसका भी कुछ परिणाम नहीं निकला है।

यद्यपि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है तथापि सरकार के स्वामित्व वाले बैंक बोर्ड अभी भी बड़े-बड़े उद्योगपतियों के अधीन हैं और अर्थ व्यवस्था पर वही एकाधिकार बना हुआ है। परन्तु राष्ट्रीयकरण के पश्चात् क्या हुआ ? मुझे सही आंकड़े तो याद नहीं हैं परन्तु दूसरे दिन वित्त मंत्री ने स्वीकार किया था कि बड़े-बड़े औद्योगिक-गृहों को 53 प्रतिशत ऋण दिया गया।

जुलाई, 1971 तथा फरवरी, 1972 के बीच अर्थात् जब से इस नई सरकार ने 'गरीबी हटाओ' की प्रतिज्ञा की है, बड़े औद्योगिक गृहों को 41 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं जिनमें से बिड़ला बंधुओं को आठ, थापर बंधुओं के छह, श्रीराम को पांच, साहू जैन को चार, बांगड़ को चार तथा बर्ड हैलगर, गोयनका बन्धु, मफतलाल तथा साराभाई प्रत्येक को दो-दो लाइसेंस मिले हैं।

59 बड़े औद्योगिक गृहों को अपनी क्षमता दुगुनी करने की अनुमति दी गई है। अब ऐसा लगता है कि एकाधिकार आयोग की रचना तथा उसके कार्यकरण के बारे में सरकार कोई निश्चय नहीं कर पा रही है। अतः इस समय वह आयोग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने जा रही है।

14 मई को विट्ठलभाई पटेल हाउस, दिल्ली में हुए एक सम्मेलन का प्रतिवेदन मेरे पास है जहां एक संकल्प पारित किया गया था और उस सम्मेलन में मंत्रि परिषद् के सदस्यों ने भाग लिया था और सम्मेलन में मांग हुई कि 75 बड़े औद्योगिक गृहों अथवा एकाधिकार गृहों को तुरंत नियंत्रण में लिया जाये तथा उनका राष्ट्रीयकरण किया जाये। परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा एकाधिकार गृहों को नियंत्रण में लिये जाने के बदले एकाधिकार गृहों ने सरकार को नियंत्रण में ले लिया है।

जो नये सरकारी निगम बन रहे हैं उनमें बड़े-बड़े व्यापारियों को चेयरमैन बनाया जा रहा है। श्री हरीश महिन्द्रा नगरीय आवास विकास निगम के चेयरमैन थे तो उनके स्थान पर कलकत्ता के एक अन्य बड़े व्यापारी श्री पारख को नियुक्त कर दिया गया। श्री टी० एस० कृष्णन् को भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स का चेयरमैन बना दिया गया। हिन्दुस्तान लीवर के श्री पी० एल० टंडन को राज्य व्यापार निगम का चेयरमैन बना दिया गया।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया पूर्णतया राष्ट्रीयकृत बैंक है परन्तु इसके निदेशक बोर्ड में श्री एस० एल० किर्लोस्कर, श्री भास्कर मित्तर हैं। इसी प्रकार स्थानीय बोर्डों में भी बड़े-बड़े उद्योगपतियों के अतिरिक्त कोई नहीं है। अतः जब तक मूल समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक ये बातें चलती रहेंगी।

Shri Pratap Singh Negi (Garhwal): Before I say something about the Finance Bill, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the millions of people living in slums. If socialism is to be established the Government should provide basic amenities to these people living in the capital.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

I come from such an area from where people rush towards cities for earning their livelihood. These people work in the houses of the rich but they have no place even to sleep. To ameliorate this condition should be the first step.

A number of persons suffer from T. B. in my constituency and they approach me. I request Shri Gujral to provide accommodation to these people. It will be better if a T. B. Hospital is opened at Garhwal.

Have the Government ever paid any attention to the landless labour ? The Government should provide them one or two acres of land. Unless relief is given to them, poverty cannot be removed.

In the pre-independence period, a few schemes were initiated to develop this region. But those schemes were not taken care of after independence.

In 1945, a scheme was formulated to construct a dam at Marori, a place near river Nayar. An expert of a U. S. Company came and found the place suitable for the clam. A sum of rupees 22 lakhs were spent on the allowances etc. of the officials, but not even twenty stones were laid there.

The schemes initiated in 1945 have not been implemented so far. It has been impressed upon in the report that nutritious food should be given to the school-going children and there should be compulsory education for every child in the State, but nothing has been done by the Government in this regard.

If the Government intend to fix a maximum from fixing a ceiling in respect of urban and rural property, it is also necessary to fix a minimum ceiling, which every individual may be entitled to have. Unless this step is taken the condition of the poorer section of the society will not be improved.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Bihar, particularly north Bihar is the most backward region in India. The condition of this part of the State is very critical. Steps should be taken to increase per capita income and set up more industries in the State. All the States should be equally treated by the Centre in allocating funds so that secessionist tendency may not develop in the minds of the people of the State. In the matter of Central services, a fixed quota should be reserved for every State so that there may be no discrimination against any State.

So far as the question of ceiling on land is concerned, Government should take this fact in view that the quality and price of agricultural land vary from place to place. The land nearer the cities, Railway Stations and centres of communication and transportation is costlier than the land far off from these centres. While taking a decision on the ceiling on land, Government should classify the land according to its quality and value so that every peasant may be equally benefited.

22 crores of rupees have been spent on Gandak project, but the project has not yet been completed. The progress of work should be evaluated and it should be ascertained as to how much amount have actually been spent on this project. This project should be completed as soon as possible.

The slogan of socialism can become a reality only when there is a uniform pattern of education throughout the country. Public schools should not be allowed to run in the country. The children of all sections of society should study in the same kinds of schools.

Medical facilities easily available in cities like Delhi but they are not available in rural areas. Hospitals and Dispensaries in the rural areas are always short of medicines, sometimes even doctors are not available there. Proper and adequate arrangement of doctors and medicines should therefore, be made in the dispensaries and hospitals in the rural areas.

Mostly industrial houses and factories have been set up in cities only. No industries have been established in rural areas. Harijans have no houses of their own and there is no adequate arrangement of drinking water for them. Government should allocate funds for the rural and urban areas on the basis of population so that rural areas may get their due share of allocation.

The problem of beggars should be tackled not only in Delhi but throughout the country.

It has been said that the Members of Parliament should do some constructive work in their constituencies. But we are at the mercy of Government officers. We have no powers for getting work done we can do effective work in case instructions are issued to the Government Officers to give proper consideration to the matters brought to their notice. They should also be instructed to give clear picture of the cases to the members of Parliament whether a particular thing can be accomplished, so that the Members may inform the people of their constituencies of the real position of the cases.

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : सरकार और वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाए जाए क्योंकि अब सरकार जनता की इच्छा को स्पष्ट रूप से जान गई है कि जनता विकास और सामाजिक न्याय के क्रान्तिकारी कार्यक्रम के पक्ष में है। आर्थिक समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं, वे कुछ बेईमान लोगों द्वारा कर अपवंचन करने और अपनी सम्पत्ति को छिपाने और काला धन एकत्र करने से उत्पन्न हुई हैं। सरकार को काला धन, जिससे कि कृत्रिम बाजारों का निर्माण होता है और राजकोष पर भी अनावश्यक भार पड़ता है, जब्त करना चाहिए ताकि सामाजिक विकास के साथ आर्थिक विकास भी किया जा सके। ऐसे व्यक्ति देशद्रोही होते हैं और राष्ट्र के अपराधी भी। सरकार को ऐसे व्यक्तियों के प्रति तनिक भी सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। 31 मार्च, 1971 तक आयकर की बकाया राशि 499 करोड़ रुपये थी। परन्तु इस बकाया राशि की सन्तोषजनक वसूली नहीं हुई है।

यह हर्ष की बात है कि वित्त मंत्री महोदय ने कल ही में घोषणा की है कि काले धन का पता लगाने और बकाया कर वसूल करने तथा कर अपवंचन को रोकने के लिए वांचू समिति की कुछ सिफारिशों को लागू करने हेतु एक विधेयक शीघ्र ही पेश किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों और शिक्षित युवकों में बेरोजगारी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार जब तक साहसपूर्ण और क्रान्तिकारी उपाय नहीं करेगी, तब तक कुछ करोड़ रुपयों का आवंटन करने से कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब के कारण आवंटित धन का आधा भी उपयोग में नहीं लाया जाता जबकि लोगों को अपना निर्वाह करने के लिए रोजगार की बहुत आवश्यकता होती है। सरकार की बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए क्रान्तिकारी उपाय करने चाहिए।

दुर्भाग्यवश उड़ीसा राज्य को पिछड़ा हुआ राज्य घोषित किया गया है। यहां गत तूफान और बाढ़ के कारण लोगों की दशा बहुत चिन्ताजनक हो गई है। उड़ीसा के लोगों को भयानक बाढ़ और सूखे से प्रतिवर्ष बहुत कष्ट उठाना पड़ता है क्योंकि इस राज्य में कहीं तो वर्षा बहुत अधिक

होती है और कहीं बिल्कुल नहीं होती। नदियों में भयानक बाढ़ आने से लोगों को भारी हानि उठानी पड़ती है। फसल कभी तो अतिवृष्टि के कारण और कभी अनावृष्टि से नष्ट हो जाती है। अत: सरकार को सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। सिंचाई परियोजनाओं, विशेषकर वैतरणी नदी पर भीमकुण्ड बांध ब्राह्मिनी नदी पर रेंगाली बांध जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए, अन्यथा राहत और पुनर्वास कार्यों पर हर वर्ष लाखों रुपये व्यय करने से कोई लाभ नहीं होगा।

सरकार और वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि उड़ीसा में पटसन उद्योग स्थापित करने हेतु हर सम्भव कार्यवाही की जाय। इससे राज्य के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उन्हें काफी राहत मिलेगी।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : स्वास्थ्य मन्त्री महोदय अनेक कारणों से अपना वक्तव्य 5.00 बजे म० प० की बजाए 5 बजकर 30 मिनट म० प० पर देंगे।

Shri K. C. Pandey (Khalilabad). Sir, I want to raise a point of order. This is a very serious matter. Willingdon Hospital is not far away from here. The hon. Minister of Health should not delay in making his statement regarding the incident in this manner. This House should be informed immediately of this incident.

Mr. Chairman : The delay in making the statement is due to the reason that the General Purposes Committee meeting is going on. The Minister of Parliamentary Affairs has just now informed the House that the Health Minister will make his statement at 5.30 P. M. instead of 5.00 P. M. because the hon. Minister has gone to attend the meeting.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालोर) : 1972-73 के लिए एक अच्छा बजट पेश करने के लिए मैं माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं। विरोधी दलों की ओर से इस बजट की आलोचना की गई है। परन्तु यह कोई नई बात नहीं है। यदि हमें बजट की सराहना करनी है तो हमें गत एक वर्ष की घटनाओं पर ध्यान देना होगा। पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार के कारण लगभग एक करोड़ व्यक्ति भारत आ गये थे। अत: हमें इन लोगों को दोनों समय का खाना आदि देना पड़ा। हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और इसका मुकाबला करने के लिए हमें पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ा। अत: इस युद्ध के परिणामस्वरूप बंगला देश आजाद हो गया। एक करोड़ शरणार्थी वापस अपने घरों को लौट गये। अत: इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखकर हमें बजट पर विचार करना चाहिए। हमें नये देश अर्थात बंगला देश को वित्तीय सहायता देना पड़ी थी। अत: इस बजट में भी 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस प्रयोजनार्थ की गई है। युद्ध में जो हानि हुई है, उसको पूरा करने के लिए भी हमें साधन जुटाने हैं।

प्रत्यक्ष करों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त देश की अर्थव्यवस्था को बनाये रखा गया है। सार्वजनिक पूंजी निवेश में 710 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। सामाजिक न्याय के लिए बजट में 240 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

घाटे की अर्थव्यवस्था को कम से कम करने के लिए केवल एल्युमिनियम, उर्वरकों, शक्ति चालित पम्पों आदि पर ही अप्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं।

राज्यों ने गत वर्षों में रिजव बैंक से निर्धारित राशि से अधिक राशि निकाली है। अब इस चीज को रोकने तथा राज्यों के वित्त को उचित ढंग से प्रयोग करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार को राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों की सहायता करनी चाहिए। इन राज्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

जब कभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है तथा राज्यों में भी इस प्रकार की मांग की जाती है। अत: राज्यों को इस सम्बन्ध में भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है और फलस्वरूप उनके बजट घाटे के बजट होते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम पर संसद का कोई प्रभावशाली नियंत्रण नहीं है अत: इनके लेखों की जांच महा लेखापरीक्षक द्वारा की जानी चाहिए ताकि इन वित्तीय संस्थाओं पर संसदीय नियंत्रण हो सके।

इस समय देश में लगभग 85 सरकारी उपक्रम हैं। इनके कार्य की जांच के लिए लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति है। यह वित्तीय समितियां दो अथवा तीन से अधिक उपक्रमों के कार्य की जांच एक वर्ष में नहीं कर सकतीं। अत: सभी उपक्रमों के कार्य की जांच के लिए समिति को 15 से 20 वर्ष का समय चाहिए। इन समितियों के प्रतिवेदनों में सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण में त्रुटियों तथा अदक्षता की ओर ध्यान दिलाया गया है। इन समितियों के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए और इनको और मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि ये समितियां एक वर्ष में कम से कम 15 से 20 उपक्रमों के कार्य की जांच कर सकें।

राष्ट्रीयकृत बैंक सीधे संसद के नियंत्रण में नहीं आते, क्योंकि इनके लेखों की जांच महा लेखापरीक्षक द्वारा नहीं की जाती। हमें बताया गया है कि एक प्रकार की गोपनीयता रखनी पड़ती है और कि रिजर्व बैंक इन पर नियंत्रण बनाये हुए है। अब समय आ गया है जबकि इन बैंकों को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। ऐसा करने से बैंकों के कार्यक्रम में सुधार होगा। देश में इस समय छोटे सिक्कों की बड़ी कमी है। गांवों में इसकी और भी अधिक कमी है, इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

जीवन बीमा निगम का वास्तविक उद्देश्य गरीब लोगों की सहायता करना है परन्तु आजीवन पालिसियों के पूरा होने पर भी इन लोगों को भुगतान नहीं किया जाता और उसमें जानबूझकर विलम्ब किया जाता है। गरीब लोगों को आवास सम्बन्धी ऋण भी नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि साधारण व्यक्तियों को यह ऋण मिलें। मेरे विचार में इनको महा लेखापरीक्षक के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। 1961 के बाद से आयकर अधिनियम में 400 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। मेरे विचार में कराधान सम्बन्धी पूरे कानून का पुनर्गठन किया जाना चाहिए जोकि वांचू समिति की सिफारिशों पर आधारित हो। प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी प्रशासन की दक्षता के बारे में मैं आपका ध्यान लोक लेखासमिति के 25 वें प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं। धनकर निर्धारण के लिए समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में लगभग 40,000 लोग जो पाकिस्तान में रह रहे थे, अब भारत आ गये हैं। वे लोग अब भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस मामले पर विचार करे।

बजट में उत्पादन-शुल्क को युक्तिसंगत बनाकर अतिरिक्त दस लाख रुपये जुटाने का प्रस्ताव है। परन्तु इसे युक्तिसंगत बनाने से एक करोड़ रुपये से कम राशि एकत्र नहीं होगी। अतः मुझे आशा है कि फिल्म उद्योग को कुछ राहत दी जायेगी।

हम काले धन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। राजस्थान में हमारे दल ने किसानों तथा मजदूरों से पांच और दस रुपये एकत्र किये। काला धन हमारी अर्थव्यवस्था में कैंसर की तरह है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए।

Shri Shrikishan Modi (Sikar) : Lakhs of people belonging to Rajasthan are working in Delhi and Punjab on daily wages of say about two or two and a half rupees per day. These people were told that they would be given land alongwith the completion of Rajasthan Canal but now their hopes are belied because only 28.35 lakh acres of land will be available instead of 60 lakh acres. The per capita income in Rajasthan is on the decline.

It has now been told to Rajasthan Government that they would have to pay 9.3 crores of rupees as compensation for the land acquired for Pong Dam.

The compensation given in Himachal Pradesh was not more than Rs. 150/- per Bigha, whereas in Rajasthan Rupees six thousand per Bigha have been given.

The compensation for the land acquired for the dam in Himachal Pradesh, which was 6.7 crores of rupees has been enhanced to Rupees 65 crores. By adding 6 percent interest, it comes to rupees 78 crores. The Government of Rajasthan informed the Government of Himachal Pradesh that even the land which was not actually required has been acquired. In spite of the request made by the Government of Rajasthan, such land was not allowed to be cultivated.

No decision for compensation was taken till July, 1971. The rate of land situated around Rajasthan canal is one lakh rupees for 25 acres. Lands have largely been purchased there by Government Officials of Irrigation Department, Central Government and of Himachal Pradesh. They had decided that an oustee having one bigha of land or ten persons having one bigha of land each would be given 25 acres of land each in Rajasthan. Thus the Government employees prepared a paper plan to grab land worth 130 crores of rupees. Compensation was fixed at Rs. 78 crores instead of six crores of rupees.

Shrimati Sushila Rohatgi (Bilhaur) : When was this decision taken ?

Shri Shrikishan Modi : That was in 1962. This land is in Ganganagar, Rajasthan.

The Chief Minister of Punjab stated on the 9th July, 1960 that the number of oustees would be 6284. Later their number was revised to 9400 and ultimately it was fixed at 21601.

About 50 percent of them are Government employees. Land measuring $10' \times 10'$ was purchased so that 25 acres of land may be obtained in Rajasthan.

The land taken by 442 persons, who did not even see the land, was sold by them. Five thousand houses built by Rajasthan Government are lying vacant. The people whose land measuring 7—8 thousands of acres has been taken away, are still there and they have no place to live and no land to cultivate.

This matter should be inquired into by the C. B. I., so that the officials responsible for this deal may be brought to book. Then only the details of fraud worth 200 crores of rupees could be known.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं समझता हूं कि आज प्रातः की घटना पर स्वास्थ्य मंत्री 5 बजे वक्तव्य देंगे। कृपया सरकार को वक्तव्य देने को कहें।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय 5.30 पर वक्तव्य देंगे।

Shri Laljibhai (Udaipur) : Fifty percent of the houses built in Rajasthan have collapsed. What would be done about it ?

श्री के० नारायण राव : इस मामले में सरकारी कर्मचारियों द्वारा 200 करोड़ रुपये का गबन किये जाने का प्रश्न है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। सभापति महोदय को भी इस मामले में पहल करनी चाहिए।

सभापति महोदय : इस मामले पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

Shri Pannalal Barupal (Ganganagar) : I entirely agree with the statement made by Shri Modi. A lot of curruption is there and the Central Government should do justice in the matter.

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : While supporting the Finance Bill, I would like to give certain suggestions. Third Pay Commission was set up a few years back and Central Government employees all over India are looking forward towards the finalisation of the report by the Pay Commission. The Government should ask the Pay Commission to submit its report at the earliest.

I would like to draw the attention of the Government towards another big problem of unemployment. The planning regarding industries is done in such a way that an industry becomes a capital oriented and not the labour-intensive. Huge and costly machinery is imported from foreign countries, which makes labour surplus and thus reduces the employment potential.

The I. C. S. and I. A. S. officers do not have any knowledge of the industry, but they consider even an industry as a part of the administration. They do not have any attachment for the industry. Moreover, they want to have all the facilities, denying the essential facilities to the labour. I would request the Government to ensure the higher employment potential in the industries.

So far as **'Garibi Hatao'** Programme is concerned, we are making very slow progress towards that goal. The Government should take concrete steps to implement the crash programme and ameliorate the condition of the poor, especially the labourers and small farmers.

Gandhiji used to say that ownership of land should be given to the tiller of the soil and of mills to workers. Surplus land should be given to the actual tiller of the soil. Workers should be given representation in the Board of Directors of the factories.

Shri Teja Singh Swatantra (Sangrur) : Agrarian reforms committee was set up in British time also, but land reforms were not implemented even after independence. Many laws had been passed, but ten percent land owners had 58 percent of total land in their possession in 1951, according to Maholonobis Report. Even in 1956, 56% of the total land was in the possession of ten percent of the landowners.

We have been taking some progressive steps in this regard. Seventeenth amendment was brought forward for this purpose. The Central Land Reforms Committee has also submitted its report. Obstacles of articles 24,25 and 26 have also been removed through amendments in the Cons-

titution. The Congress Party is denying election tickets to the persons who do not believe in the progressive programme of the party. That is why, various State Governments are not willing to implement central directives regarding land reforms. Even the standard acre and quality of land has not been fixed for this purpose.

The same old cycle has started again, the States are putting their burden on the Centre. The issue of ceiling has again come up and well-settled things are being sabotaged. The Resolution adopted by the Congress Parliamentary Board is being opposed by the members of the Congress itself. Such things do not become the majority party which in power in almost all the States.

In Punjab the land irrigated by Government canals is 1 per cent. The rest is irrigated by tube-wells because the farmers are not certain about regular supply of water from these canals.

What is happening in Punjab ? People have started removing their tube-wells due to the fear of land ceiling. Divorces are also taking place. They have found out a new way to sabotage the ceiling. Instead of implementing the decision, a nine member committee has been appointed now which will go into this matter and decide the definition of family. It will contain many loopholes so that fixation of land-ceilings may not materialise.

There is a proposal for extending Sangrur cantonment in Punjab. For this purpose agricultural land is being acquired and a number of families have been uprooted. The forest waste land which is very near is not being acquired. Instead of purchasing that land, which is about 960 acres, at nominal price, a village comprising of four localities is being uprooted. Similarly, some land was allotted to retired soldiers in NEFA. Now they have been ousted from there. These matters should be looked into.

विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा संसद सदस्य के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. ALLEGED MANHANDLING OF MEMBER BY WILLINGDON HOSPITAL STAFF

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : आज सुबह एक नवयुवक नार्थ एवेन्यू में एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे विलिंगडन अस्पताल के कैजुएल्टी विभाग में ले जाया गया। लड़के के चाचा को जो इस सभा के माननीय सदस्य हैं, सूचित किया गया कि अस्पताल में लड़के का उचित इलाज नहीं किया गया है। इसलिये माननीय सदस्य स्वयं लड़के के साथ अस्पताल गए। वह कैजुएल्टी विभाग के अन्दर जाना चाहते थे परन्तु दरवाजे पर तैनात कर्मचारी ने उन्हें दरवाजे पर रोक दिया। सदस्य द्वारा अपना परिचय दिये जाने के बाद भी उन्हें अन्दर नहीं जाने दिया गया। जब माननीय सदस्य ने अन्दर जाने तथा डाक्टर से मिलने के लिये आग्रह किया तो कहा जाता है कि माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने संसद सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया।

जब आज सुबह यह मामला हमारे ध्यान में लाया गया तो तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिये राज्य मंत्री, श्री चट्टोपाध्याय स्वयं अस्पताल गए। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि

कर्मचारियों के एक वर्ग ने अपना काम छोड़ दिया है तथा उन्होंने घटना के बारे में उन्हें सर्वथा भिन्न बात बतलाई।

हमने जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली, को निदेश दिया है कि वह सब तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिये एक जांच करें तथा यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करें कि कथित दुर्व्यवहार के लिये कौन-कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस दुर्व्यवहार को बहुत गंभीर समझती है और जिला मैजिस्ट्रेट के प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक एवं समुचित कार्यवाही आरंभ की जायेगी।

इस सम्बन्ध में पुलिस ने पहले ही एक फौजदारी मामला दर्ज कर लिया है तथा जांच चल रही है।

मुझे इस घटना से गहरा दुःख हुआ है और मैं इस अशोभनीय घटना के लिये खेद प्रकट करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आवश्यक सुधार करने की दृष्टि से हम कैजुएल्टी विभाग के कार्यकरण की भी जांच करेंगे।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : जिस डाक्टर ने कथित दुर्व्यवहार किया है, उसे यदि निलम्बित नहीं किया जाता है तो उसका तुरंत स्थानान्तरण तो कर दिया जाना चाहिये।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : When **prima facie** case has been established why the doctor, who is alleged to have misbehaved with the hon. Member, has not been suspended ? What action is being taken to suspend the doctor ?

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad) : Had the Minister of Parliamentary Affairs not been there, the situation would have assumed serious proportion. The doctors are involved in a conspiracy in misleading the Government. This is a serious matter which relates to the honour of this House.

Shri Uma Shankar Dikshit : An inquiry has been instituted in the matter and we do not want to express any opinion at this stage. But if the District Magistrate deems it a **prima facie** case of suspension the doctor and other employees concerned will be suspended immediately.

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : माननीय सदस्य अकेले वहां गए थे और डाक्टरों तथा अस्पताल के कर्मचारियों ने एक मामला बना कर तैयार कर लिया है …

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं जानकारी के लिए बता दूं कि माननीय सदस्य अकेले नहीं थे। जब वह अन्दर जाना चाहते थे उस समय उनके साथ चार-पांच व्यक्ति थे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : संसद सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं और उनके साथ हुए किसी मामले को जांच के लिये जिला मजिस्ट्रेट को सौंपना उचित नहीं है। इस मामले की जांच करने तथा तथ्यों का पता लगाने के लिये अध्यक्ष महोदय को स्वयं एक समिति गठित करनी चाहिये।

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : It is a matter of regret that the case of an M. P. has been handed over to a District Magistrate for inquiry. The officers are conspiring.

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई—मध्य) : इस मामले की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा कराए जाने का यह अभिप्राय हुआ कि सरकार के अनुसार यह मामला स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः इस स्थिति में निष्पक्ष जांच के लिये उस डाक्टर को निलम्बित किया जाना चाहिये।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : इसमें एक सिद्धान्त का प्रश्न निहित है। माननीय सदस्य जोकि जनता के प्रतिनिधि हैं इस सभा में आकर कोई बात कहते हैं तो प्रश्न उठता है कि उनकी बात प्रथम दृष्टि में सही प्रतीत होती है अथवा नहीं। अच्छा होता यदि वह इस सभा में कुछ नहीं कहते। यह सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न है।

मेरी पहली बात यह है कि अब जब प्रथम दृष्टि में मामला बन गया है तो यह आशा की जानी चाहिए कि जांच होने तक सम्बन्धित व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, निलम्बित किया जाएगा।

दूसरी बात सरकार और आपसे सम्बद्ध है। यदि कोई संसद सदस्य अपने संसदीय कर्त्तव्यों के लिये किसी सार्वजनिक संस्था में किसी आरोप की जांच करने जाता है और यह पता लग जाने पर भी कि वह संसद सदस्य है, उस पर आक्रमण किया जाता है तो यह सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन है और इस सभा का अवमान है।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : आज सुबह आपने कहा कि माननीय सदस्य अस्पताल में हैं परन्तु एक मिनट बाद वह यहां उपस्थित थे। वह कैसे आये ?

यह प्रश्न केवल संसद सदस्य का ही नहीं अपितु एक नागरिक और दूसरे नागरिक का मामला है।

इस मामले की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति बनाई जानी चाहिये न कि किसी जिला मजिस्ट्रेट को इसकी जांच करनी चाहिये।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : The Hospital staff involved in this incident should be suspended.

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला) : यह बात सभी के हित में होगी कि जिन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में मामला बनता है, जांच होने तक उन व्यक्तियों को निलम्बित रखा जाये।

इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिये, न कि मजिस्ट्रेट द्वारा।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 17 मई, 1972/27 वैशाख, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 17,1972/Vaisakha 27, 1894 (Saka).

Tej Kumar Press (P) Ltd., Lucknow—4-8-72—490